लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड १०, १९५७

(९ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १९५७)

2nd Lok Sabha

(Third Session)

दूसरा सत्र, १९५७

(खण्ड १० में अंक २१ से ३२ तक है)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

314 LSD--1

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १०—अंक २१ से ३२—दिनांक ९ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १९५७)

अंक २१, सोमवार, ९ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ९०० से ९०४, ९०६, ९०७, ९०९, ९१२ से ९१४, ९१६ और ९१८ से ९२१ — २०८५–२१०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०५, ९१०, ९११, ९१५, ९१७, ९२२ से ९२८ और ४८७ — २१०८–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९३ से १३७१ और १३७३ से १३७५ — २११३–५०

मूंदड़ा समवाय समूह में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन के बारे में — २१५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र — २१५०

राज्य सभा से संदेश — २१५०–५१

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय का बढ़ाया जाना — २१५१

कानपुर में श्रम सम्बन्धी स्थिति के विषय में स्थगन प्रस्ताव के बारे में निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक

विचार के लिए प्रस्ताव — २१५१–८३

दैनिक संक्षेपिका — २१८४–८८

अंक २२, मंगलवार, १० दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२९ से ९३६, ९३८ से ९४०, ९४२ से ९४८, ९५२ से ९५४ और ९५६ — २१८९–२२१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३७, ९४१, ९४९, ९५१, ९५५, ९५७ से ९६२, ९६२-क, ९६३ से ९७९, ९७९-क, ९८० और ९८१ — २२१५–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७६ से १३८८ और १३९० से १४६० — २२२७–६२

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२२६२–६३
कार्य मंत्रणा समिति--	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	२२६३
निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक--	
विचार के लिए प्रस्ताव	२२६३–२३०१
खण्ड २ और १	२२८५–२३००
पारित करने के लिए प्रस्ताव	२३००
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक --	
विचार के लिए प्रस्ताव	२३०१–०४
दैनिक संक्षेपिका	२३०५–१०
अंक २३, बुधवार, ११ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८४, ९८६, ९८७, ९९० से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९८ से १०००, १००२, १००४, १००८ से १०१० और १०१४ से १०१९	२३११–३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९३, ९९७, १००१, १००३, १००५ से १००७, १०११ से १०१३, १०२० से १०२५ और १०२७ से १०५२	२३३६–५३
अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५४४	३३५३–९०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२३९०–९२
राज्य सभा से सन्देश	२३९२
भारतीय रक्षित सेना (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखा गया	२३९२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	२३९३

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति--	
पंद्रहवां प्रतिवेदन	२३९३
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक--	
विचार के लिये प्रस्ताव	२३९३–२४२१
खण्ड २ से ८ और १	२४१३–२०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२४२०
दिल्ली विकास विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--	
विचार के लिये प्रस्ताव	२४२१–४३
दैनिक संक्षेपिका	२४४४–५०
अंक २४, गुरुवार, १२ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५ से १०६१, १०६३, १०६६, १०६७, १०६९ से १०८०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०५४, १०६२, १०६४, १०६५ और १०६८	२४७५–७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६०२, १६०४ और १६०५	२४७७–२५०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५०३–०४
राज्य सभा से सन्देश	२५०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
ब्योर मिल्स कानपुर में कामगरों की 'भीतर रहो' हड़ताल	२५०४–०५
समिति के लिये निर्वाचन	२५०५
नागरिकता (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित	२५०५–०६
सभा का कार्य	२५०६
दिल्ली विकास विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--	
विचार करने का प्रस्ताव	२५०६–५८
खण्ड २ से ६० और १	२५२०--५६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२५५६

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक

और

सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायें पर कर (वितरण) विधेयक—
(असमाप्त)

विचार करने का प्रस्ताव २५५७–६६

दैनिक संक्षेपिका २५६७–७०

अंक २५, शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८१ से १०८६, १०८८ से १०९०, १०९८, १०९९ और ११०३ से १११२ २५७१–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७, १०९१, १०९२ से १०९७, ११००, ११०१, और १११३ से ११२५ २५९६–२६०४

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०६ से १६७२ २६०५–३२

सभा का कार्य २६३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर की शुद्धि २६३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २६३२

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९५७—पुरःस्थापित २६३३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक और सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव २६३३–५३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक—

खण्ड १ से ६ २६५१

पारित करने का प्रस्ताव २६५१

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधेयक—

खण्ड १ से ६ २६५१

पारित करने का प्रस्ताव २६५१

पृष्ठ

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) २६५३–५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन २६५६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प २६५६–६८

प्रदीप में एक बड़ा पत्तन बनाने के बारे में संकल्प २६६८–६९, ३६७२–८०

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक—पुरःस्थापित २६६९–७१

उत्पादन-शुल्क में कमी करने और अतिरिक्त उत्पादन छूट को वापस लेने के बारे में वक्तव्य २६७२

राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन से अनुसूचित बैंकों के कार्य संचालन के पुनरीक्षण के लिये एक समिति गठित करने के बारे में संकल्प २६८०

दैनिक संक्षेपिका २६८१–८५

अंक २६, शनिवार, १४ दिसम्बर, १९५७

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २६८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६८७

सभा का कार्य २६८७,२६८८–८९

अनुपूरक अनुदानों की मांगें २६८९–२७०३

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २७०४–२७

खण्ड २, ३ और १ २७२४–२७

पारित करने का प्रस्ताव २७२७

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७२७–३३

दैनिक संक्षेपिका २७३४

अंक २७, सोमवार, १६ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११२८, ११३० से ११३३, ११३७, ११४२, ११४४, ११४७, ११४९, ११५०, ११५२, ११५६, ११५७, ११६०, ११६२, ११६३ और ११६७ से ११६९ २७३५–६०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २७६०–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६-क, ११२९, ११३४ से ११३६, ११३८ से ११४१, ११४३, ११४५, ११४६, ११४८, ११५१, ११५३ से ११५५, ११५८, ११५९, ११६१, ११६४ से ११६६ और ११७१ से ११८९ २७६२–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६७३ से १७३३ २७७७–२८०६

स्थगन प्रस्ताव--

हावड़ा में उपनगरीय बिजली की रेलवे व्यवस्था के उद्घाटन के सम्बन्ध में अपर्याप्त प्रबन्ध २८०६–०७

राज्य-सभा से संदेश २८०७

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक--

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २८०७

अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित २८०८

विनियोग (संख्या ५) विधेयक--पुरःस्थापित--

विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव २८०८–१०

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २८१०–३७

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २८३७–४९

जीवन बीमा निगम की निधियों का विनियोजन २८४९–६०

कार्य मंत्रणा समिति--

सोलहवां प्रतिवेदन २८५३

दैनिक संक्षेपिका २८६१–६६

अंक २८, मंगलवार, १७ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११९० से ११९२, ११९४ से १२०२ और १२०४ २८६७–९१

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, १२०३, १२०५ से १२२७ और ६०८	२८६१–२६०१
अतारांकित प्रश्न संख्या १७३४ से १७८२, १७८४ से १७६५ और १७६७ से १८०२	२६०२–२६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६२६–३०
कार्य मंत्रणा समिति--	
सोलहवां प्रतिवेदन	२६३०–३१
वेतन आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	२६३१
सदस्य की दोष-सिद्धि	२६३१
अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक--	
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव	२६३२
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	२६३२–७२
सभा का कार्य	२६५८–५६
दैनिक संक्षेपिका	२६७३–७७
अंक २६, बुधवार, १८ दिसम्बर, १६५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२२८, १२२६, १२३२ से १२३५, १२३७, १२३८, १२४१ से १२४३, १२४५, १२४७ से १२५०, १२५२, १२५४ से १२५६ और १२५८	२६७६–३००३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२३०, १२३१, १२३६, १२४०, १२४४, १२४६, १२५१, १२५३, १२५७, १२५६, १२७१, १२७१-क १२७२ से १२६०, १२६०-क और १२६१ से १३००	३००३–२५
अतारांकित प्रश्न संख्या १८०३ से १८५०, १८५२ से १८८७, १८८७-क, १८८८ से १८६०, १८६२ से १८६६, १८६६-क, और १८६७ से १६०४	३०२५–७१
जानकारी के लिये प्रश्न	
स्थगन प्रस्ताव--	
हावड़ा में बिजली की रेल सेवा के उद्घाटन के समय हुई घटनायें	३०७२–७५

311 LSD.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०७५-७६, ३११५

राज्य सभा से संदेश ३०७६

दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक---

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३०७६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति---

बारहवां प्रतिवेदन ३०७७

याचिका समिति---

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

प्राक्कलन समिति---

प्रथम प्रतिवेदन ३०७७

लोक लेखा समिति---

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) विधेयक---

विचार करने का प्रस्ताव ३०७७-९५

खण्ड २ से ७, अनुसूचियां और खण्ड १ ३०९१-९३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३०९३

रामनाथपुरम में उपद्रवों के सम्बन्ध में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे के सम्बन्ध में ३०९५-९८

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ३०९८-३११४

शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ३११५-२३

दैनिक संक्षेपिका ३१२३-३०

अंक ३०, गुरुवार, १९ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०८, १३११ से १३१३, १३१५ से १३१८, १३२० से १३२३, १३२४-क और १३२८ से १३३० ३१३१-५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ३१५४-५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३१०, १३१४, १३१६, १३२४ से १३२७, १३३१ से १३४२, १३४५ से १३५८, १३६० से १३७८ और १३७८-क ३१५६–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०५ से १६२१, १६२३ से १६२६, १६२६-क, १६३० से १६७७, १६७७-क, १६७८ से १६६३ और १६६५ से २०२७ ३१७६–३२२७

स्थगन प्रस्ताव--

दिल्ली राज्य अध्यापक संघ द्वारा हड़ताल की कथित धमकी ३२२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३२२७

राज्य-सभा से संदेश ३२२८, ३२७६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३२२६–६५

भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३२६५–७८

संघ उत्पादन शुल्क वितरण विधेयक--

राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२७६

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर वितरण विधेयक--

राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२७६

दैनिक संक्षेपिका ३२८१–८८

अंक ३१, शुक्रवार, २० दिसम्बर, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३७६ से १३८७, १३६० से १३६५, १३६७ से १४०१ और १४१४ ३२८६–३३१६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ ३३१६–२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३८८, १३८६, १३६६, १४०२, १४०३-क, १४०४ से १४१३, १४१४-क, १४१५ से १४२५ और १४२७ से १४३३ ३३२०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२८ से २०५० और २०५२ से २१४० ३३३५–८२

श्री लिंगराज मिश्र का निधन ३३८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३८३–८४

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--

चौथा प्रतिवेदन ३३८४

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
दिल्ली के पटवारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	३३८४-८५
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३३८५–३४२०
तारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर की शुद्धि	३३८५
सदस्यों के लिखित वक्तव्य	३४२०-४४०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
बारहवां प्रतिवेदन	३४४०
दिल्ली की शिक्षा संस्थाओं का विनियमन तथा अधीक्षण विधेयक--पुरःस्थापित किया गया	३४४०-४१
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित किया गया --	३४४१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक--वापिस लिया गया	३४४१
राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्योहारों को सवेतन छुट्टी विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	३४४१–४६
स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ के लिए दण्ड सम्बन्धी विधेयक	३४४६–६३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३४६३
वनस्पति तथा अग्नि शामक पदार्थों के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा	३४६३–६६
दैनिक संक्षेपिका	३४६७–७४
अंक ३२। शनिवार, २१ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	३४७५-७६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४७६-७७
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति--	
दूसरा प्रतिवेदन	३४७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कानपुर में मिलों का बन्द होना	३४७८
जानकारी का प्रश्न	३४७९
अनुपस्थिति की अनुमति	३४७९

लोक-सभा

शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मितव्ययता सम्बन्धी उपाये[1]

+

†*१०८१. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :
श्री साधूराम :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** ९ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खर्च में बचत करने के लिये भारत सरकार द्वारा अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कितनी रकम बचने की सम्भावना है;

(ग) इन उपायों के परिणामस्वरूप प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों की छंटनी हुई है; और

(घ) मितव्ययता सम्बन्धी उपायों की पूर्ण क्रियान्विति के लिये क्या-क्या किया जा रहा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : (क) ९ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ के उत्तर में यह बताया गया था कि खर्च में बचत करने के लिये सब

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Economy Measures.

मंत्रालयों से कहा गया है कि वे (१) वर्तमान और प्रस्तावित योजनाओं की इस दृष्टि से जांच करें कि क्या उनमें से कुछ घटाई जा सकती है अथवा उन्हें स्थगित या परित्यक्त किया जा सकता है, और (२) कर्मचारियों तथा आकस्मिकता पर खर्च का पुनरीक्षण करें ताकि अधिक मितव्ययता का पालन किया जा सके। विगत चार महीनों में इसी आधार पर काम जारी है। यह स्पष्ट है कि इसमें अधिक बचत की गुंजायश शीघ्र ही कम हो जायेगी और मंत्रालयों से हर महीने बचत करने की आशा नहीं की जा सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि बचत का उद्देश्य सम्पूर्ण व्यय में कमी करना नहीं है, किन्तु इस बात की पुष्टि करना है कि अनावश्यक और कम महत्व की वस्तुओं पर खर्च कम हो और आवश्यक कार्यों के लिये व्यक्ति तथा धन सुलभ हो सके।

(ख) अगस्त से नवम्बर के बीच जो निर्णय किये गये हैं उनके परिणामस्वरूप होने वाली 'बचत' के अनुमानित आंकड़े लोक-सभा के पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १८**]। इन में वे आंकड़े भी सम्मिलित हैं जो प्रशासी मंत्रालयों के नियंत्रण के बाहर हैं, जैसे विदेशी मुद्रा पर कठोर नियंत्रण।

(ग) मितव्ययता आन्दोलन के प्रारम्भ से ही यह निर्णय किया गया था कि कर्मचारियों की छंटनी यथासम्भव न होने पाये। नये पदों की मांग और स्वीकृत पद की पूर्ति न की जाकर बचत की जा रही हैं।

(घ) मितव्ययता सम्बन्धी उपायों की क्रियान्विति का निरीक्षण एक केन्द्रीय समिति करती है जिसमें वित्त मंत्रालय के प्रधान सचिव, गृह सचिव और संगठन तथा रीति विभाग के निर्देशक हैं और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव और उनके साथी अधिकारियों का सहयोग इस समिति को प्राप्त है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण में बताया गया है कि उपरोक्त बचत उपाय कुशलता और कार्यनिष्ठता को ध्यान में रखते हुए ही क्रियान्वित किये जायेंगे। क्या किसी मंत्रालय की कार्यकुशलता और उसकी कार्यनिष्ठता आंकने के लिये कोई व्यावहारिक प्रमाप निर्धारित किया गया है, और यदि हां, तो वे यथार्थ प्रमाप क्या हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** क्या माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि किसी मंत्रालय की कार्यकुशलता जांचने के लिये क्या मापदण्ड है?

†**डा० राम सुभग सिंह :** मंत्रालय की कार्यनिष्ठता।

†**श्री रंगा :** कार्यकुशलता।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** कार्यकुशलता के बारे में कुछ प्रमाप हैं। किन्तु इस प्रकार के पूर्ण प्रमाप तो कठिन हैं। कार्य की जांच—जिसे 'कार्य-अध्ययन' कहते हैं—के बारे में कुछ प्रमाप निर्धारित किये जाते हैं। किसी कार्य पर कितना समय दिया गया है और इस समय को किस प्रकार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। औद्योगिक टेकनीक में भी आजकल इसी आधुनिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है और अब यह सरकारी और शासकीय टेकनीक पर भी लागू होती है। मंत्रालय की कार्यनिष्ठता मालूम करना अत्यधिक कठिन है। केवल यही मालूम किया जा सकता है कि कार्यनिष्ठता का अभाव कहां है और कितना है और फिर उस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह :** विवरण में उल्लेख किया गया है कि यात्रा भत्ते और फर्नीचर, स्टेशनरी, बिजली, तार, टेलीफोन आदि पर खर्च कम करने के आदेश दिये गये हैं। मंत्रालय इन आदेशों का किस सीमा तक पालन करते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दे सकता हूं। इसके लिये प्रत्येक मंत्रालय का टेलीफोन आदि का व्यय एकत्रित करना आवश्यक है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह अत्यंत सामान्य प्रश्न है।

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट के देखने से पता चलता है कि फूड एंड ऐग्रिकल्चर विभाग में १२ लाख, ८२ हजार रुपये कम किये गये हैं। किसी आइटेम में कहा गया है : "कुछ परियोजनाएं पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप में स्थगित या परित्यक्त अथवा घटा दी गईं।" तो मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फूड प्रोडक्शन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : डिपार्टमेंट आफ एग्रीकल्चर की कुछ इमारतें बनने वाली थीं, वह रोक दी गई हैं। ६ लाख रुपये की और कुछ और 'कलकता और दिल्ली में कोठरियों की आकार के छत वाले गोदामो का निर्माण तथा डिजायन में परिवर्तन स्थगित' यानी मकान बनाना बन्द कर दिया गया है।

†**श्री दासप्पा :** क्या ये बचत उपाय स्वायत्त निगम भी करते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** बचत सब को करनी चाहिये। मैं निश्चित नहीं बता सकता कि उनके पास क्या-क्या निर्दिष्ट अनुदेश भेजे गये हैं। सब की भांति ही उनसे भी बचत की आशा की जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री तिम्मय्या। प्रश्न की सूचना देने वाले एक भी सदस्य नहीं उठ रहे हैं; और जब मैं दूसरा प्रश्न लूंगा तो वे खड़े होकर कहेंगे, मेरा नाम यहां है।

†**श्री तिम्मय्या :** क्या सरकार ने राज्य सरकारों से बचत उपाय करने के लिये कहा है; और यदि हां, तो क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि राज्य सरकारों द्वारा क्या उपाय बरते गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** सरकार निर्देश नहीं देती है। किन्तु सरकार निरन्तर राज्य सरकारों को यह बता रही है। प्रधान मंत्री की हैसियत में मैंने अनेक अवसरों पर उन्हें इस बारे में लिखा है। इसके अतिरिक्त संगठन तथा रीति विभाग भी उनके सम्पर्क में है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण:** क्या कतिपय पदों की रिक्तता का प्रभाव रक्षित पदों पर पड़ेगा ? आपने कहा था कि कुछ पदों की पूर्ति नहीं की जायेगी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** मैं यह नहीं कह सकता हूं। मैं नहीं जानता कि क्या ये रिक्तताएं इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं।

†**श्री रंगा :** क्या इस सम्भावना का परीक्षण किया गया है कि विगत वेतन आयोग के सुझाव के अनुसार मौजूदा उच्चस्तरीय वेतन में कमी की जाये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** वेतन नहीं घटाये गये हैं। इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। क्योंकि ऐसा करने के लिये अनेक संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक हैं। मैं केवल बचत के दृष्टिकोण से ही विचार नहीं करता हूं। उसका प्रभाव अपरिमित है—मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया। इसमें बहुत अधिक

---

†मूल अंग्रेजी में

रकम का फर्क नहीं पड़ेगा। ये व्यक्ति सीमित संख्या में हैं। किन्तु बचत दो प्रकार की होती है। एक है यथार्थ दस प्रतिशत या कुछ ऐसी ही कमी या फिर इसे बचत में परिणत कर दिया जाये।

†**श्री हेम बरूआ** : विवरण से प्रकट है कि रेलवे और इस्पात, खान तथा ईंधन में कुछ बचत की जा रही है। क्या इस बचत का प्रभाव कलकत्ता उपनगरीय विद्युतचालित रेलवे पर भी पड़ेगा और तेल की खोज जैसे कार्य भी इससे प्रभावित होंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो विस्तृत चर्चा हो गई।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इससे सर्वथा अनभिज्ञ हूं।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य सूची देखने की कृपा करें और यदि किसी बात पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो फिर उसके बारे में बाद में प्रश्न पूछ लें।

निर्यात संवर्द्धन निदेशालय[2]

+

†*१०८२. { **श्री श्रीनारायण दास** : **श्री राधा रमण** : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात संवर्द्धन निदेशालय की रचना, संगठन और निश्चित कृत्य क्या हैं ;

(ख) निदेशालय द्वारा अभी तक कितना कार्य किया गया है ; और

(ग) इस निदेशालय की रचना के पूर्व और पश्चात् निर्यात की क्या अवस्था थी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) निर्यात संवर्द्धन निदेशालय की रचना, संगठन और कृत्य का ब्यौरा १३ सितम्बर, १९५७ को एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया था उसकी एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १९**]

(ख) और (ग). निर्यात संवर्द्धन निदेशालय अगस्त, १९५७ के आरम्भ में बनाया गया था और इतने शीघ्र निदेशालय एवं निर्यात आय में सम्बद्ध स्थापित नहीं किया जा सकता है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस निदेशालय की स्थापना पर कुछ खर्च किया गया है और यदि हां, तो कितनी रकम खर्च हुई है ?

†**श्री कानूनगो** : निस्सन्देह ही इस पर कुछ खर्च हुआ है। मैं निश्चित रकम नहीं बता सकता हूं। कुछ स्थानों में वृद्धि की गई थी। वास्तव में हम इसे नया खर्च नहीं कह सकते हैं अपितु मौजूदा खर्चे में ही कुछ और जोड़ दिया गया है।

†**श्री श्रीनारायण दास**: क्या इस संगठन में सब व्यक्ति नियोजित हैं और यदि हां, तो इस कार्य में संलग्न अधिकारियों अथवा कार्यकर्त्ताओं की कुल संख्या कितनी है ?

†**श्री कानूनगो** : अभी इसमें व्यक्ति पूरे नहीं हैं। यह काम अभी चल रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[2]Export Promotion Directorate.

†**श्री राधा रमण** : क्या यह संगठन यह मालूम करने का प्रयत्न करेगा कि इस देश में निर्मित कौन-कौन सी वस्तुएं आवश्यकता से अधिक हैं और फिर इनके लिये विदेशी बाजार तलाश करेगा तथा क्या सरकार द्वारा इस संगठन को उक्त अभिप्राय के लिये निदेशन दिया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : ठीक यही इस संगठन का कार्य है । निदेशन आवश्यक नहीं है ।

†**श्री बासप्पा**: सोवियत रूस, पूर्वी यूरोपीय देश, कनाडा और आस्ट्रेलिया में भेजे जाने वाले पटसन और वस्त्र की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**श्री कानूनगो**: मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि इतने शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

†**श्री पट्टाभिरामन**: क्या सरकार यह देखने का प्रयत्न कर रही है कि निर्यात की जाने वाली वस्तुएं नमूने के अनुसार हों ?

†**श्री कानूनगो**: निर्यात संवर्द्धन निदेशालय का यह भी एक कार्य है ।

†**श्री मुरारका** : यह निदेशालय इतने विलम्ब से—अर्थात्, अगस्त, १९५७ में—क्यों स्थापित किया गया ? उसके पूर्व क्यों नहीं ?

†**श्री कानूनगो** : क्योंकि हमने अनुभव किया कि इस दिशा में और अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : निदेशालय की स्थापना के पश्चात् निर्यात में वृद्धि हुई है ?

†**श्री कानूनगो**: इतना शीघ्र इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी**: इस निदेशालय और निर्यात संवृद्धि परिषद् में परस्पर क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री कानूनगो** : सम्पर्क स्थापित करना है ।

गोआ की सीमा का अतिक्रमण

+

† १०८३. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोआ रेडियो के २७ सितम्बर, १९५७ के उस प्रसारण की जानकारी है जिसमें अधिकृत रूप से कहा गया है कि डाभाल ब्रिज और डाभाल चौकी (बांध) की घटनाओं के पीछे भारतीयों की साजिश है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दोषारोपण में कुछ सचाई है ?

†**वैदेशिक-कार्य-उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । भारत में पुर्तगाली अधिकार की इन बस्तियों की इन घटनाओं से भारत सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या यह सच है कि डामन में एक काफी बड़ी संख्या में पुर्तगाली सेना पहुंच गई है और वहां सैनिक तैयारियां जोरों पर हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी, हां। यह सच है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या विदेशों में भारत के विरुद्ध किये जाने वाले इस प्रचार की प्रतिक्रियाओं के सम्बन्ध में विदेशों में स्थित हमारे राजदूतावासों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : वह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

गन्ने की खोई से अखबारी कागज का तैयार किया जाना

*१०८४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की खोई से अखबारी कागज़ तैयार करने के बारे में इटली के विशेषज्ञ दल का विस्तृत प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) यदि प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण ह; और

(ङ) वह रपोर्ट कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). अखबारी कागज़ तैयार करने के बारे में इटली के विशेषज्ञ दल से कोई विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उसका प्रतिवेदन बांस से लुग्दी तैयार करने के बारे में ही है। कुछ भारतीय कच्चे मालों की उस दल ने जो जांच-पड़ताल की थी, उसी के आधार पर यह प्रतिवेदन दिया गया है।

(ग) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री भक्त दर्शन: इससे पहले जर्मनी के विशेषज्ञों ने अपनी कुछ सम्मति दी थी या कुछ प्रणाली बतायी थी, और अब इटली के विशेषज्ञों ने अपनी सम्मति दी है। तो इन दोनों प्रणालियों में से कौनसी कम खर्चीली और अधिक लाभदायक है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैंने अपने जवाब में अर्ज किया कि इटली के विशेषज्ञों ने न्यूज़प्रिंट बनाने की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। जर्मनी वालों से एक रिपोर्ट मिली है और उनसे बातचीत चल रही है। जहां तक इटली की पार्टी का सम्बन्ध है उसकी रिपोर्ट न्यूज़प्रिंट के बारे में नहीं है, बल्कि रेयन ग्रेड पल्प (रेयन श्रेणी की लुगदी) और दूसरी चीजों के बारे में है।

श्री भक्त दर्शन: क्या मैं जान सकता हूं कि इटली के विशेषज्ञों ने जो अपनी नई रिपोर्ट दी है उसके आधार पर कोई कारवाई की जायेगी, और क्या हमारे देश में कोई नया प्लांट खोला जायगा ?

श्री सतीश चन्द्र : उनसे उसके बारे में बातचीत चल रही है। रेयन ग्रेड पल्प बनाने के लिए यह सम्मति थी। उनकी रिपोर्ट से यह मालूम होता है कि बांस का इस्तेमाल करके रेयन ग्रेड पल्प बनाया

---

†मूल अंग्रेजी में

जा सकता है । बांस से पल्प बनाने के कारखाने देश में हैं, और प्राइवेट पार्टीज़ से कहा गया है कि अगर वे इसमें भी दिलचस्पी रखती हों तो इस फर्म से बातचीत कर सकती हैं ।

†श्री ब० स० मूर्ति : क्या इस इटालवी दल ने भद्राचलम् बनीय क्षेत्र का दौरा किया है और वहां पाये जाने वाले बांस की उपयोगिता की परीक्षा की है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : इसमें थोड़ी सी कुछ ग़लतफ़हमी है । मुख्य प्रश्न तो गन्ने की खोई से अख़बारी काग़ज़ के निर्माण के सम्बन्ध में था, और जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने बताया है, हम पश्चिमी जर्मन सरकार और वहां की व्यावसायिक संस्थाओं से इस देश के शक्कर नगर में गन्ने की खोई से अखबारी कागज़ निर्मित करने के लिये एक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध सें वार्ता कर ही रहे हैं ।

†श्री ब०स० मूर्त्ति : माननीय मंत्री ने कहा है कि इटालवी दल ने बांस से काग़ज़ के निर्माण के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन दिया ह । मैं इसी के बारे में कुछ और जानना चाहता था कि क्या उस दल ने भद्राचलम् में मिलने वाले बांस का भी परीक्षण किया है ?

†अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । हम केवल गन्ने की खोई के सम्बन्ध में ही बात कर रहे हैं । क्या प्रश्न पूछने मात्र से ही उसकी अनुमति मिल जाती है ? यह अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । यदि माननीय मंत्री उत्तर देना ही चाहें, तो दे सकते हैं ।

†श्री मनुभाई शाह : इटालवी दल द्वारा कई क्षेत्रों का दौरा करने का तो कोई सवाल ही नहीं है । उनसे केवल इसी के बारे में प्रविधिक सलाम ली गई थी कि रेयन श्रेणी की लुगदी बनाने के लिये बांस का उपयोग किया जा सकता है या नहीं । इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन हमें मिल चुका है, और हम उसका अध्ययन कर रहे हैं ।

†श्री दासप्पा : क्या सरकार ने अखबारी काग़ज़ की लुगदी, साधारण लुगदी या रेयन काग़ज़ की लुगदी आदि सभी प्रकार की लुगदियों में परिवर्तन के लिये सुलभ गन्ने की खोई की कुल मात्रा का कोई सर्वेक्षण किया है ?

†श्री मनुभाई शाह: यह तो सभी जानते हैं कि गन्ने की खोई चीनी मिलों में तैयार होती है और गन्ने की सूखी हुई खोई २० से ३० लाख टन सुलभ रहती है । हम कोशिश कर रहे हैं कि काग़ज़ और इस प्रकर के अन्य उत्पादों के निर्माण के लिये गन्ने की खोई का उपयोग किया जाये ।

श्री भक्त दर्शन: यह जो इटालियन टीम थी इसने देश के किन-किन स्थानों का दौरा किया था और आया इन्होंने कोई सिफारिश की है कि कहां पर यह काम अच्छी तरह चल सकता है ?

श्री मनुभाई शाह : यही तो मैंने जवाब दिया कि जहां तक इटालियन टीम का ताल्लुक है उसको जर्मन टीम के साथ मिला न दिया जाये क्योंकि जर्मन टीम को यह काम दिया गया था कि वह बगास (गन्ने खोई) से पेपर बनाने की स्कीम तैयार करे। इटालियन टीम से तो हमने खाली टैक्नीकल (प्रविधिक) ओपीनियन (राय) मांगी थी कि बांस से रेयन ग्रेड पल्प बनाया जा सकता है या नहीं । इस लिये उनके दौरे का कोई सवाल नहीं उठता ।

एक्सरे उपकरणों का निर्माण

†*१०८५. श्री स० चं० सामन्त :
श्री बर्मन

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में एक्सरे उपकरणों के निर्माण के लिये क्या कार्य किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि इसकी जांच के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो समिति की क्या सिफ़ारिशें हैं ; और

(घ) क्या भारत की किसी निजी संस्था ने इनके निर्माण का कार्य हाथ में लिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). भारत सरकार ने देश में एक्सरे उपकरण के निर्माण के विकास की सम्भावना का पता लगाने के लिये एक तालिका नियुक्त की थी, और उसके बाद भारत की इससे रुचि रखने वाली फर्मों से भी ऐसे उपकरण के निर्माण के लिये अपनी योजनायें प्रस्तुत करने को भी कहा गया है ।

(ग) तालिका ने मई, १९५७ में सरकार को अपना प्रतिवेदन दिया था । लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण में तालिका द्वारा की गई सिफारिशें दी गई हैं ।[**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०**]

(घ) मेसर्स राडोन हाउस, कलकत्ता कुछ प्रकार के एक्सरे उपकरणों का निर्माण करते हैं और उसके लिये वे एक्सरे नलिकाओं, टाइमर्स, अंचीक्षमता वाले तारों, भ्राशमान पर्दों, सीसा कांचों और वाल्वों जैसे पुर्जे आयात करते हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इस समय भारत में इसके कितने और कौन-कौन से निर्माता यह कार्य कर रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं बता चुका हूं; केवल एक ही—मेसर्स राडोन हाउस, कलकत्ता ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : सबसे अधिक पुर्जे कौन सा समवाय तैयार करता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक एक्सरे उपकरणों का सम्बन्ध है, केवल एक ही समवाय उसके कुछ पुर्जों का निर्माण कर रहा है, और इसीलिये तालिका नियुक्त की गई थी । सभा-पटल पर रखी गई उस तालिका की सिफ़ारिशों से स्पष्ट है कि हमें इस कार्य में अधिक संस्थाओं को रुचि लेने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये जिससे कि सभी प्रकार के पुर्जे तैयार हो सकें ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या इस समिति ने इस बात की सम्भावना पर भी विचार किया है कि क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स के कारखाने का कुछ और विस्तार करके या उसमें कुछ थोड़े से रूपभेद करके एक्सरे के कुछ पुर्जों का निर्माण किया जा सकता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां । उनमें एक सिफारिश यह भी है कि भारत इलैक्ट्रोनिक्स से कुछ वाल्वों, सीसा बैटरियों और नलिकाओं, इत्यादि का निर्माण करने के लिये कहना चाहिये ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह वही फर्म है जिसे कलकत्ता में भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री देखने गई थीं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री के इस कारखाने में जाने के सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है । लेकिन हमारे यहां एक बहुत अच्छा कारखाना है और सभी उसे देखना चाहेंगे ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं भी उसे देखना चाहूंगा ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या किसी अन्य देश ने भी भारत में इस सामग्री के निर्माण के लिये सहयोग करने को कहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : जी, हां । तालिका ने ठीक यही सिफारिश की है कि सरकार और उद्योग को इस देश में अपना निर्माण विकसित करने के लिये और यथासम्भव शीघ्रता से देश को इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भर बनाने के लिये निजी फर्मों का प्रविधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये ।

†श्री नंजप्पः क्या सरकार के पास ऐसी सामग्री है जिससे यह पता चल सके कि भारत में प्रति वर्ष लगभग कितने एक्सरे संयंत्रों का आयात किया जाता है और देश में अनुमानतः कितने सयंत्रों की आवश्यकता पड़ती है ?

†श्री मनुभाई शाह : मूल्यांकन किया गया है कि देश की आवश्यकता प्रति वर्ष ५० लाख रुपये तक की है और मुझे आशा है कि कुछ वर्षों के उचित प्रयास के बाद ही कुछ को छोड़ कर अन्य सभी पुर्जों में से अधिकांश यहीं तैयार होने लगेंगे ।

विस्थापित व्यक्तियों से बकाया किराये की वसूली

+

†*१०८६. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विस्थापित व्यक्तियों से बकाया ऋणों और किराये की वसूली की क्या स्थिति है ;

(ख) कितनी बकाया राशि वसूलनी है ;

(ग) उसके संग्रह में विलम्ब होने का क्या कारण है; और

(घ) उस बकाया राशि के फलस्वरूप सरकार को कितनी अनुमानित हानि हुई ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य-मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) किराये और ऋण की बकाया राशि की वसूली उसके लिये निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है ।

(ख) बकाया राशि की स्थिति के सम्बन्ध में एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जा रहा है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २१]

(ग) इसका मुख्य कारण है सरकार को अदा किये जाने वाले किराये और ऋणों की अदायगी में सामान्य उदासीनता ।

(घ) चूंकि अभी बकाया राशि की वसूली चल ही रही है, इसलिये वसूल न होने के कारण सरकार को होने वाली कुल हानि का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि महालेखापरीक्षक ने वर्ष १९५६ के अपने प्रतिवेदन में वसूली का लेखा ठीक से न रखने के सम्बन्ध में पुनर्वास वित्त प्रशासन की बड़ी कड़ी आलोचना की थी, और क्या यह भी सच है कि एक अधिकारी ने कई रसीद बुकों पर संग्रह किये गये किराये का लेखा प्रस्तुत नहीं किया और वह बाद में भाग गया था ? यदि हां, तो महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई और उस अपराधी तथा लापरवाह अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : शायद माननीय सदस्य एच० आर० ओ० संगठन के लेखे की लेखा-परीक्षा से सम्बन्धित प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहे हैं। अभी आजतक यह संगठन दिल्ली राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में था। दिल्ली राज्य की जन सरकार के हटने के बाद, अब हमने उस संगठन का प्रशासनिक नियंत्रण पुनर्वास मंत्रालय को दे दिया है।

दूसरी चीज़ यह है कि मैं ने ऐसा एक समाचार अखबारों में देखा था और मैं उसकी जांच करा रहा हूं।

तीसरी चीज़ यह है कि मुझे भी कुछ ऐसे मामले बताये गये हैं जिनमें कुछ ग़बन हुये हैं और उनके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि कई इमारतों का मूल्यांकन ही नहीं किया गया है और उससे सरकार को हानि पहुंची है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यदि माननीय सदस्य किराये की वसूली की बात पूछ र हैं तो मैं बता सकता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी इस विवरण में बताया है कि दिल्ली में किराये की बकाया राशि के रूप में ३.८० करोड़ रुपया अभी शेष है। जहां तक मूल्यांकन न करने का सम्बन्ध है, हो सकता है कि कुछ इमारतें रह गई हों।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या १०८७। श्री हेडा उपस्थित नहीं हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह एक महत्वपूर्ण-प्रश्न है और इसलिये इसका उत्तर दिया जाना चाहिये।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। जनता बड़ी ग़रीब है, और मैं समझता हूं कि उनसे किराया वसूली नहीं करनी चाहिये .....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कृपया जो भी सुझाव चाहें भेज दें। यदि वे सूचना चाहें, तो मैं उसकी अनुमति दे सकता हूं। लेकिन यदि प्रश्न इस प्रकार का है, तो मैं अगला प्रश्न ही लूंगा।

विस्थापित विद्यार्थी

†***१०८८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित विद्यार्थियों के सम्बन्ध में ३१ दिसम्बर, १९५६ तक कुल कितने सत्यापित दावे किये गये ;

(ख) ३१ जनवरी, १९५७ तक कुल कितने सत्यापित दावों की अदायगी की गई ;

(ग) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना तैयार की है जिसके द्वारा सभी सत्यापित दावों की अदायगी की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख) "विद्यार्थी श्रेणी" के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े नहीं रखे गये हैं । इसलिये मांगी गई यह सूचना देना सम्भव नहीं है ।

(ग) और (घ). कुल दावेदारों की संख्या लगभग ४.६५ लाख है और मंत्रालय ने प्रतिवर्ष लगभग १ लाख दावेदारों को प्रतिकर अदा करने की योजना बनाई है । अक्तूबर १९५७ तक २.२७ लाख दावेदारों को प्रतिकर अदा किया जा चुका है । प्रतिवर्ष एक लाख से भी अधिक दावेदारों को प्रतिकर अदा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जो विद्यार्थियों के क्लेम (दावे) हैं, सरकार उन को कितने समय में पूरा कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) देना चाहती है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं ने अभी अर्ज़ किया है कि जहां तक विद्यार्थियों का ताल्लुक है, हम ने उन की कोई खास अलाहिदा जांच नहीं की है ।

श्री विभूति मिश्र : विद्यार्थियों के न सही, दूसरे लोगों के जो क्लेम हैं, उन को कम्पेन्सेशन देने के लिये सरकार ने क्या कोई निश्चित अवधि निर्धारित की है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने अर्ज़ किया है कि ४,६५,००० भाई हैं, जिन के क्लेम हैं, जन में से २,२७,००० को कम्पेन्सेशन मिल चुका है और उन को ७० करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं । हम हर साल एक लाख लोगों को कम्पेन्सेशन दे रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हम साल, डेढ़ साल या दो साल में कम्पेन्सेशन स्कीम को, मासिवाय हार्ड कोर के, निपटा देंगे ।

अल्युमिनियम परियोजना

†*१०८९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अलौह धातु निर्माताओं की एक फ़्रांसीसी फर्म ने सलेम के मैत्तुर में एक अल्युमिनियम परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के सामने रखा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : प्रविधिक सहयोग के कुछ अस्थायी प्रस्ताव और अस्थगित भुगतान की कुछ आसान शर्तें रखी गई हैं, जिनके सम्बन्ध में आगे वार्ता की जा रही है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस योजना पर क्या खर्च आयेगा और क्या इसका काम स्टार्ट (आरम्भ) होगा या नहीं ?

श्री मनुभाई शाह : इसका खर्चा कोई बारह-तेरह करोड़ रुपये होगा और उत्पादन कोई दस हजार टन सालाना होगा ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या अमरीका की एक फ़र्म मेसर्स रेनाल्डस् ने सलेम में एक बड़ा कारखाना बनाने का प्रस्ताव रखा है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उपर्युक्त फ़्रांसीसी फ़र्म की भांति, एक अमरीकी फर्म ने भी ऐसा प्रस्ताव रखा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दामानी :** हमारा वर्तमान उत्पादन कितना है और द्वितीय योजना के अन्त में हमारी आवश्यकता कितनी होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हमारा वर्तमान उत्पादन लगभग ७,५०० टन है जो शीघ्र ही १२,५०० टन हो जायेगा, और हमें लगभग ४०,००० टन की आवश्यकता पड़ती है। द्वितीय योजना के अन्त तक हम उतना उत्पादन करने का प्रयास करेंगे ।

†**श्री खाडिलकर :** क्या कोल्हापुर क्षेत्र से भी ऐसा ही कोई प्रस्ताव आया है, जहां निजी व्यावसायिक संस्थाओं या विदेशी फ़र्मों ने सहयोग देने का प्रस्ताव किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, नहीं ।

काजू उद्योग

†*१०९०. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काजू उद्योग की संस्थापित क्षमता और देशीय पैमाने पर कच्चे काजू की सुलभता में अन्तर होने के कारण काजू के व्यापार में जो सट्टे की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं उससे काजू उद्योग और इस प्रकार देश के हित को धक्का पहुंचता है; और

(ख) यदि हां, तो सट्टे को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या सरकार जानती है कि मसाला जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि इसके व्यापार में सट्टे की प्रवृत्तियां होने के कारण इस उद्योग के अधिक समय तक समृद्ध रहने की सम्भावना नहीं है ?

†**श्री कानूनगो :** जी, हां। उसमें जिस सट्टेबाज़ी की प्रवृत्ति का उल्लेख है वह यह है कि बहुत से संस्थान व्यापार के लिये पूरी तौर पर सज्जित नहीं हैं ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या सरकार को मालूम है कि देशी कच्चे काजू के बाज़ार में आने से बहुत पहले ही आयातकगण भावी सम्भरण के लिये मूल्यों के वचन ले लेते हैं, और ऐसे बचनों की पूर्ति के लिये उन्हें फिर आयातकों से ही कच्चे काजू खरीदने पड़ते हैं और ये आयातकगण उनका बहुत अधिक मूल्य लेते हैं और इस प्रकार वे अधिक से अधिक सट्टा करते जाते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य तो सूचना दे रहे हैं। वे चाहते क्या हैं ?

†**श्री वें० प० नायर :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसे सट्टे को रोकने के लिये कोई ठोस कदम उठाया है जिससे हमारे निर्यात को हानि पहुंचने की सम्भावना है ?

†**श्री कानूनगो :** मैं बता चुका हूं कि इस प्रकार का सट्टा उसमें नहीं होता । जहां तक देशीय और आयात की जाने वाली फ़सलों के अन्तर का सम्बन्ध है, वह दो महीनों का ही होता है, जनवरी और मार्च का ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर :** क्या सरकार को यह मालूम है कि निर्यातकगण विदेशी खरीदारों को किस समय बेचते हैं और उस में तथा कच्चे काजू के संभरण में कितना अन्तर रहता है ?

†**श्री कानूनगो :** अधिक नहीं। जो भी हो, निर्यात मूल्य में अधिक अन्तर नहीं पड़ता

†**श्री जोकीम आल्वा :** वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय एक छोटे से समूह को, यह कि कहना चाहिये कि आयातकों के एक छोटे से गुट को ही अनुज्ञप्तियां देता है और वे बाजार पर हावी हो जाते हैं। सरकार उत्पादन की इस अत्यन्त दयनीय अवस्था को देखते हुये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से उत्पादन बढ़ाने के लिये कहने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की है ?

†**श्री कानूनगो :** माननीय सदस्य की सूचना सही नहीं है। अधिकांश आयात की अनुमति केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को ही दी जाती है, और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय यथाशीघ्र इस का उत्पादन का क्षेत्र बढ़ाने के लिये कार्यवाही कर रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि यह प्रश्न पहले भी पूछे गये थे और उत्तर दिया गया था कि ७१ प्रतिशत निजी अभिकरणों को दिया गया था। इसीलिये, माननीय सदस्य कृपया ऐसे प्रश्न न पूछें जिन के उत्तर दिये जा चुके हैं। सच तो यह है कि वे माननीय सदस्य उस समय यहां पर उपस्थित नहीं थे। अब इस के बाद से, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे प्रश्न पूछने से पहले इस सत्र के प्रश्नोत्तरों को पढ़ लें।

†**श्री जोकीम आल्वा :** मैं ने प्रतिवेदन पढ़ लिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** तब भी वे प्रश्न पूछते हैं।

†**श्री जोकीम आल्वा :** मैं यह जानना चाहता था कि माननीय मंत्री क्या ठोस कार्यवाही कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** विचित्र सी बात है कि उसके बाद भी माननीय सदस्य ने फिर प्रश्न पूछा है। श्री ब० स० मूर्ति।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। मैं पूछना चाहता था कि उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** तब वह प्रश्न दोहराने की आवश्यकता नहीं।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या यह सच है कि वास्तविक उपभोक्ताओं को अनुज्ञप्तियां दी जाने पर भी, उन उपभोक्ताओं के अफ्रीका से काजू खरीदने में समर्थ न होने के कारण, वे अपनी अनुज्ञप्तियां एकाधिकारी समाहारकों को बेच देते हैं ?

†**श्री कानूनगो :** अनुज्ञप्तियां का व्यापार करना अपराध है।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या सरकार इस तथ्य को जानती है ?

†**श्री पुन्नूस :** क्या यह सच नहीं है कि काजू उद्योग के संकट का कारण यह है कि काजू की एक बड़ी मात्रा का आयात करना पड़ता है, और सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : इस प्रश्न का एक विस्तृत उत्तर दिया जा चुका है।

†श्री पुन्नूस : उत्तर तो दिया जा चुका है पर संकट तो अभी मौजूद ही है ।

†अध्यक्ष म ोदय : इस का उत्तर नहीं दिया जायेगा। माननीय सदस्य ने पहले भी यही प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर दे दिया गया था। क्या सभा का समय इस पर खर्च करना उचित है।

†श्री वें० प० नायर : संकट तो मौजूद ही है। मजदूरों को निकाला जा रहा है।

†श्री पुन्नूस : अभी समस्या का हल नहीं हुआ है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को अपने संतोष योग्य उत्तर नहीं मिलेगा। वे उसे पसन्द नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या १०९१ और १०९७ रखने वाले माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। अब उसके बाद में यदि मैं देखूंगा कि कोई प्रश्न कर्त्ता लगातार तीन बार अनुपस्थित रहेंगे तो मैं उनको प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

†श्री वें० प० नायर : किस नियम के अनुसार।

लन्दन-स्थित भारतीय उच्च आयोग के कर्मचारी

+

†*१०९८. {श्री एन्थनी पिल्ले :
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग के कार्यालय के कर्मचारियों के लिये भिन्नक भिन्नक वेतन और भत्तों की व्यवस्था है जो इस बात पर निर्भर रहती है कि उनकी भर्ती इंगलैण्ड में की गई थी या भारत में ;

(ख) यदि हां, तो उन कई प्रकार की भर्तियों के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के वेतनों, उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों में क्या अन्तर है ; और

(ग) इंगलैण्ड की अपनी असैनिक सेवा के इसी प्रकार के कामों के लिये जो वेतन श्रेणी रखी गई है, उस के मुकाबले ये कम हैं या अधिक ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : हमारे लन्दन स्थित उच्च आयोग में भारत से भेजे जाने वाले अधिकारियों को, विदेशों में नियुक्त वैदेशिक सेवा के अन्य कर्मचारियों की भांति ही, भारत में मिलने वाले उनके आधारभूत वेतन के अतिरिक्त, एक विदेश भत्ता और निशुल्क सज्जित निवास, चिकित्सीय सहायता की सुविधाओं तथा बाल शिक्षा भत्ता आदि की भांति अन्य रियातें और वैदेशिक सेवा के अधिकारियों को सामान्यतया मिलने वाली अन्य छोटी मोटी रियातें भी दी जाती हैं। हमारे सभी विदेश-स्थित मिशनों में वहीं स्थानीय रूप से भर्ती किये जाने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तें लगभग वही रहती हैं जो संबंधित देशों की सरकारें अपने उसी श्रेणी के कर्मचारियों को देती हैं। इसीलिये, हमारे लन्दन स्थित उच्च आयोग में स्थानीय रूप से भर्ती किये जाने वाले कर्मचारियों को भी वही वेतन

†मूल अंग्रेजी में

और सेवा की शर्तें सुलभ हैं जो इंगलैण्ड की सरकार अपने उसी श्रेणी के कर्मचारियों को देती है। इंगलैण्ड की सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन में कुछ वृद्धि कर दी है। हमारे लन्दन-स्थित उच्च आयोग के स्थानीय रूप से भर्ती किये गये कर्मचारियों के वेतनों में भी उतनी ही वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : १९४७ में, लन्दन में उच्च आयुक्त के कार्यालय में काम करने वाले सारे कर्मचारियों के वेतन क्रम इंगलैण्ड की असैनिक सेवा के वेतन क्रमों के आधार पर थे। परन्तु १९४७ के पश्चात् दो तरक्कियां दी गई थीं। क्या यह सच है कि लन्दन में ही भर्ती किये गये कर्मचारियों ने इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार के कारण कि भारतीय कर्मचारियों के वेतन लंदन में भर्ती किये कर्मचारियों के वेतन से लगभग दुगने हैं, एक औद्योगिक विवाद किया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यदि वे एक एक कर के प्रश्न पुछें तो मैं उत्तर दे सकती हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : १९४७ में, उच्च आयुक्त के कार्यालय में कर्मचारियों के वेतन इंगलैण्ड की असैनिक सेवा के वेतन दरों पर आधारित थे।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : भारत से भर्ती किये गये नये कर्मचारियों को उनसे दुगुना वेतन मिलता है। क्या इस सम्बन्ध में एक औद्योगिक विवाद खड़ा किया गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जिन कारणों से भारत से भर्ती कर्मचारियों को वहां से भर्ती कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक वेतन दिया जाता है उनका उल्लेख मैं पहले कर चुकी हूं। यह इस कारण है कि स्थानीय भर्ती किये गये कर्मचारियों को और सुविधायें दी जाती हैं। उन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जाता। अतः उन्हें भारतीय कर्मचारियों से कम वेतन मिलता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वहां औद्योगिक विवाद हुआ है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी नहीं।

†**श्री पट्टाभिरामन** । उन में से कितने लोगों को भारतीय आय कर से विमुक्ति जैसी सुविधायें दी जाती हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : वहां से भर्ती किये गये कर्मचारियों को भारतीय आय-कर नहीं देना पड़ता।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार ने वहां भर्ती किये गये भारतीयों को भी वही सुविधायें देने की आवश्यकता पर विचार किया है जो यहां भर्ती किये गये कर्मचारियों को दी जाती हैं, क्योंकि उन पर आश्रित सम्बन्धी भारत में रहते हैं और उनका मामला इंगलैंड में भर्ती किये गये अंग्रेजों के समान नहीं।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : चाहे वे भारतीय हों या अंग्रेज, उनका मामला एक सा ही है।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या यह सच है कि भारत में भर्ती किये गये कर्मचारियों पर इंगलैंड में भर्ती किये गये कर्मचारियों की अपेक्षा दुगुना व्यय करना पड़ता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह कहना गलत है कि वहां भर्ती किये गये कर्मचारियों की तुलना में भारतीय कर्मचारियों पर दुगुना व्यय किया जाता है। उदाहरणतः, भारत से भर्ती पदाधिकारी और कर्मचारियों में प्रथम सचिव को २३५३ रुपये दिये जाते हैं, जब कि यदि उसे वहीं से भर्ती किया जाये तो उसे २००० मिलते हैं।

†**श्री नाथ पाई** : इंगलैंड में बहुत से भारतीय हैं जिन्हें वहीं से क्लर्क भर्ती किया गया है। यह प्रश्न उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। क्या बताया गया अनुपात उनके बारे में सत्य नहीं है? उदाहरणतः, भारत से भर्ती किये गये स्टेनोग्राफरों और क्लर्कों को लन्दन में भर्ती किये गये इन कर्मचारियों की तुलना में दुगुना वेतन मिलता है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह बात प्रायः ठीक है। भारत से भर्ती क्लर्क को १०७१ और वहां से भर्ती किये गये क्लर्क को ४७० रुपये मिलते हैं।

†**श्री नाथ पाई** : यह तो दुगुने से भी अधिक हुये ।

†**श्री राम नाथन चेट्टियार** : क्या यह सच नहीं कि विदेश सेवा में काम करने वाले लोगों को आयकर से मुक्त वेतन मिलता है और क्या यह नियम लन्दन में भारतीय उच्च आयुक्त के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** :- स्थानीय भर्ती किये गये अंग्रेज कर्मचारियों को इंगलैंड का कर देना पड़ता है और भारतीय कर्मचारी कर नहीं देते। क्या मैं वेतन में अन्तर के कारण पढ़ कर सुनाऊं ? यह समझा जाता है कि वहां भर्ती किये गये भारतीय कर्मचारियों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं देनी पड़ती और वे यूं ही भर्ती हो जाते हैं। जो कोई भी इंगलैंड जाने का प्रबन्ध कर ले वह बिना किसी प्रतियोगिता परीक्षा के उच्च आयुक्त के कार्यालय में भर्ती हो जाता है। वह अंग्रेजों की तरह इंगलैंड में रह कर अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। वह भारत से भर्ती किये गये कर्मचारी की तरह संसार के किसी भी भाग में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता और उसके सामने बच्चों की पढ़ाई आदि की समस्या नहीं होती।

प्रादेशिक समाचार प्रसार

*†१०९९. { †**श्री वाजपयी** :
श्री आसर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वें० च० मलिक : }

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल किन केन्द्रों से प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होता है ;

(ख) इनके विस्तार की क्या कोई योजना है ;

(ग) प्रादेशिक समाचार एकत्र करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ;

(घ) क्या इन प्रसारणों के लिये किसी समाचार अभिकरण को पैसे दिये जाते हैं ;

---

†मूल ... गी में

(ङ) क्या किसी समाचार अभिकरण ने प्रादेशिक समाचार प्रसारण की भाषा में देने के लिये अपनी सेवा प्रस्तुत की है ;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**:(क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २२**]

(ग) तथा (घ). पी० टी० आई०; आकाशवाणी के अपने संवाददाता, प्रेस सूचना विभाग और राज्य सरकारों के सूचना विभाग ।

(ङ) तथा (च). एक दो अभिकरणों ने प्रादेशिक समाचार सेवा की सहायता के लिये सेवायें प्रस्तुत की हैं और उनके गुणावगुणों के आधार पर उन पर उचित विचार किया जायेगा । इसके साथ यह याद रखना चाहिये कि किसी समाचार अभिकरण की सेवा स्वीकार अथवा अस्वीकार करना इस बात पर निर्भर करता है कि उस सेवा से आकाशवाणी को क्या लाभ होगा और उस पर कितना व्यय करना पड़ेगा । सभी बातों पर विचार करने के पश्चात् कोई निर्णय किया जाता है और ऐसी बातों का विवरण सभा-पटल पर रखना न तो संभव है और न ही वांछनीय है ।

श्री वाजपेयी : क्या यह सत्य नहीं है कि पी० टी० आई० के कार्यालय केवल बड़े नगरों तक ही सीमित हैं और यदि हां तो प्रादेशिक भाषाओं में समाचारों का प्रसारण करने के लिये क्या यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसी समाचार समितियों को प्रोत्साहन दिया जाये जिनके संवाददाता गांवों तक फैले हुये हैं ।

†**डा० केसकर** : माननीय सदस्य एक प्रश्न के रूप में एक विशेष समाचार अभिकरण के पक्ष में तर्क दे रहे हैं ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि मद्रास की प्रादेशिक भाषा तो तामिल है परन्तु वहां से तेलगू भाषा में समाचार का प्रसारण होता है और इस बारे में सरकार को अभ्यावेदन भी मिले हैं ।

†**डा० केसकर** : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री वाजपेयी** : मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य को कोई जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न पूछने चाहियें और उन्हें तर्क नहीं करना चाहिये तथा मेरे द्वारा अगले प्रश्न के लिये कहने पर खड़े नहीं हो जाना चाहिये ।

†**श्री वाजपेयी** : मैं यह जानना चाहता था कि क्या यह सच है कि पी० टी० आई० के कार्यालय केवल बड़े नगरों में हैं । क्या यह प्रश्न है या सुझाव ?

†**डा० केसकर** : माननीय सदस्य अपने प्रश्न का पहला आधा भाग बता रहे हैं । यदि मैं उनके प्रश्न का अनुवाद करूं तो वे पूछ रहे थे कि एक ऐसा समाचार अभिकरण है जिसके कार्यालय उत्तर प्रदेश के गांवों में भी हैं .....

†**श्री वाजपेयी** : मैंने उत्तर प्रदेश का उल्लेख नहीं किया । यह सर्वथा गलत है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० केसकर** : यह ठीक है और उन्होंने यह सुझाव दिया है . . . .

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : यदि किसी कार्यवाही के लिये सुझाव देना गलती है तो उत्तर देते हुये किसी के विचारों का अनुमान लगाना भी गलती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते हैं कि पी० टी० आई० के सभी कार्यालय केवल नगरों में ही हैं और गांवों में कोई नहीं ।

†**डा० केसकर** : पी० टी० आई० के संवाददाता बड़े बड़े नगरों में हैं। इस के साथ ही उन के, थोड़ा समय काम करने वाले संवाददाता गांवों में भी हैं और पी० टी० आई० के साथ करार में हम ने इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि गांवों में भी प्रादेशिक समाचार प्राप्त करने के लिये थोड़ा समय काम करने वाले विशेष संवाददाता रखे जायें।

†**श्री रंगा** : कौन सा अभिकरण उपयोगी हो सकता है इस संबंध में निर्णय करने के लिये क्या स्थानीय मंत्रणा समितियों से परामर्श का प्रयत्न किया जाता है ?

†**डा० केसकर** : हमारे प्रादेशिक समाचारों के प्रकाशन के प्रश्न पर कई बार विचार किया गया है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि अभी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन है छोटा होता और मुख्यतः वित्ताभावके कारण थोड़े समय के लिये होता है। जब हमारे पास अधिक धन हुआ तो समाचार बुलेटिन को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

कानपुर कॉटन मिल्स में मजदूरों की छंटनी

+

†*११०३. { **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि : }

क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ दल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के फलस्वरूप कानपुर कपास की मिल में लगभग ११०० कामगारों की छंटनी होने वाली है ?

(ख) क्या इस निर्णय के विरुद्ध सूती मिल मजदूर सभा की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी नहीं : राज्य सरकार ने यह बताया है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण मिलों ने २ दिसम्बर, १९५७ से अनिश्चित काल के लिये श्रमिकों को हटाया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह छंटनी इसलिये की जा रही है कि कामगारों को वैज्ञानिकन स्वीकार करने के लिये विवश किया जाये, यदि हां, तो सरकार उन्हें इस विपत्ति से बचाने के लिये क्या कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ल० ना० मिश्र :** अभी तक हमें वैज्ञानिकन के लिये कोई अभ्यावेदन नहीं मिला। संभवत: उन्होंने राज्य सरकार को लिखा हो।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या मंत्री महोदय को यह विदित है कि कानपुर की कपड़े की मिलों में तालाबंदी, कामबंदी और मिलें बंद रखने के कारण कानपुर की लगभग ३० प्रतिशत श्रमिक जन संख्या पर बुरा प्रभाव पड़ा है ? इस समस्या को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह सामान्य बात है और इस का प्रश्न से संबंध नहीं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह बात समाचारपत्रों के आधार पर कह रहे हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या इसी मिल के कार्य की जांच के लिये पहले एक समिति नियुक्त की गई थी और यदि हां तो क्या उस समिति ने प्रतिवेदन दे दिया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर की सारी कपड़े की मिलों के काम की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की थी और उस का प्रतिवेदन अभी तक हमें नहीं भेजा गया।

खानों का उद्योग

†*११०४. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस प्रबन्ध के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है कि अमरीका और इंगलैण्ड में मूल्यों के उतार चढ़ाव से दक्षिण भारत के खालों के उद्योग पर प्रभाव न पड़े ;

(ख) क्या चाय उद्योग की तरह इस के संबंध में भी भारत में नीलामी करने की कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने उद्योग के इस सुझाव पर विचार किया है कि कच्ची खालों के विक्रय मूल्य का नियंत्रण ढीला रखा जाए ; और

(घ) यदि हां तो इस का क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) सामान्यता भारतीय मूल्यों को संसार के मूल्यों से अलग नहीं किया जा सकता। इंगलैण्ड और अमरीका के अतिरिक्त अन्य देशों में यहां की खालों के निर्यात के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

(ग) तथा (घ). आजकल कच्ची खालों के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस वस्तु के विक्रय मूल्य पर नियंत्रण ढीला करने के लिये उद्योग की ओर से भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन नहीं मिला।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या सरकार को विदित है कि चालीसवीं दशाब्दी के आरम्भ में कच्ची खालों के अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्यों को निश्चित किया गया था ताकि उन में उतार चढ़ाव न हो और क्या सरकार इस नियंत्रण को पुन: लगाने की संभावना पर विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : इस प्रश्न पर कई बार विचार किया गया है और इस समय सरकार का यह विचार है कि ऐसी मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था से निर्यात की समस्या हल नहीं होगी। अधिक अच्छी नीलामी और अधिक अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिये विकास ही एक ठीक साधन है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या इंगलैण्ड स्थित व्यापार प्रतिनिधि को आदेश दिया गया है कि वह कम से कम नीलामी के समय उपस्थित रहे ताकि नीलामी में सट्टेबाजी न चले।

†**श्री मनुभाई शाह** : हां, श्रीमान सामान्यत: एक प्रतिनिधि वहां उपस्थित रहता है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : दक्षिण भारत में इस उद्योग के महत्व को ध्यान में रखते हुये सरकार मद्रास में नीलामी करने और इस व्यापार को इंगलैण्ड की नीलामी पर निर्भर न रखने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस विषय का अध्ययन किया जा रहा है और जैसा मैंने पहले बताया है मद्रास में नीलामी आरम्भ करने से व्यापारियों को अधिक मूल्य प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलेगी।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : इस निर्यात से भारत को कितनी विदेशी मुद्रा मिलती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कमाई हुई खालों के लिये लगभग १३ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिलती है और प्रति वर्ष कच्ची खालों के ६ करोड़ रुपये मिलते हैं।

अम्बर चरखा कार्यक्रम

†***११०५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार के उद्योग विभाग ने १६५७–५८ में अम्बर चरखा कार्यक्रम के लिये कितनी धन राशि मांगी है ;

(ख) कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) १६५७–५८ में पंजाब को कितने अम्बर चरखे दिये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) पंजाब सरकार के उद्योग विभाग ने चालू वर्ष में अम्बर चरखा कार्यक्रम के लिये ४,६०,६१० रुपये का अनुदान और ३,८०,००० रुपये का ऋण मांगा है।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने पहली किश्त के रूप में पंजाब राज्य के लिये ५२,६०० रुपये का अनुदान और ४४,००० रुपये का ऋण मंजूर किया है। राज्य विधान मंडल के एक अधिनियम के अधीन जहां कहीं बोर्ड स्थापित किये गये हैं उन्हें आयोग की नीति के अनुसार निधियां दी जाती हैं। पंजाब में भी ऐसा बोर्ड है। केवल ऐसे राज्यों में जहां संविहित बोर्ड कोई नहीं है निधियां संबंधित राज्य सरकारों को दी जाती हैं।

(ग) १३,१००

†**श्री दी० चं० शर्मा** : अनुदान और ऋण दोनों की मांगी गई और दी गई राशियों में इतना बड़ा अन्तर क्यों है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : उत्तर में बताया गया है कि यह पहली किस्त है। प्रक्रिया यह है कि भुगतान के समय कमी पूरी की जाती है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विभिन्न राज्यों को यह राशि कितनी किश्तों में दी जाती है और किश्तों के बीच कितने समय का अन्तर होता है ?

†**श्री कानूनगो** : भिन्न भिन्न राज्यों में पृथक पृथक प्रक्रिया है परन्तु यह भुगतान की क्षमता पर भी निर्भर करता है ।

कच्ची सामग्री

+

†*११०६. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग आयात की जाने वाली कच्ची सामग्री पर निर्भर करते हैं ;

(ख) हमारे उद्योगों के लिए आयात किये जाने वाली कच्ची सामग्री क्या क्या है ;

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से अब तक आयात सामग्री की मांग में कितनी कमी हुई है ; और

(घ) देशी उत्पादन द्वारा यदि कच्ची सामग्री की मांग को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). न तो ये आंकड़े अलग रखे जाते हैं और न ही उन्हें एकत्र करना संभव है । उद्योगों में संतोषजनक गति से वृद्धि हो रही है और उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है । १९५६ के प्रथम ९ मास में उत्पादन के औसत आंकड़े १४४.८ थे जब कि १९५७ के प्रारम्भिक ९ मास में ये आंकड़े १४८.८ हैं और वर्ष के अन्त में और भी अधिक उत्पादन की आशा है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : हमारे उद्योगों के लिए आयात की जाने वाली कच्ची सामग्री पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने भी यही कहा है और माननीय सदस्य का प्रश्न भी यही है । जब तक आंकड़े अलग अलग न रखे जाएं ये तथ्य एकत्र नहीं किये जा सकते ।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया

+

†*११०७. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री हेडा :
श्री मधुसूदन राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० टी० आई० के निदेशक बोर्ड ने मजूरी बोर्ड के निर्णय को न स्वीकार करने का फैसला किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

† **श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या पी० टी० आई० के कर्मचारियों ने श्रम मंत्री को कोई अभ्यावेदन भेजा है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री आबिद अली** : इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन नहीं मिला ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या सरकार पी० टी० आई० को वित्तीय सहायता बढ़ाने का विचार कर रही है अथवा इसे बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात प्रश्न में से कैसे पैदा होती है ?

†**श्री पट्टाभिरामन्** : क्या यह सच नहीं कि यह मामला उच्चतम न्यायालय के पास विचाराधीन है ?

†**श्री आबिद अली** : सारा संसार इसे जानता है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या उन्हें पता है कि पी० टी० आई० के प्रबन्धकों ने मजूरी बोर्ड के निर्णय को लागू करने का फैसला किया है ?

†**श्री आबिद अली** : मजूरी बोर्ड के निर्णय की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के लिए नहीं कहा गया ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस समय स्थिति क्या है ? सरकार बोर्ड के निर्णय को लागू करवाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**श्री आबिद अली** : यदि हमें कोई सूचना या अभ्यावेदन मिला तो तदनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : ऐसा समाचार है कि पी० टी० आई० कर्मचारियों ने सरकार से कहा है कि मजूरी बोर्ड के निर्णय करने के लिए सरकार उनकी सहायता करे । इसीलिए मैंने यह प्रश्न पूछा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक अलग बात है । क्या माननीय सदस्य का सुझाव है कि वेतन बढ़ाए जाएं और सरकार सहायता देती रहे । यह बात प्रश्न से सम्बन्धित नहीं ।

इंडो-असाही ग्लास कम्पनी लिमिटेड

+

†*११०८. **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री० अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोदपुर और भुरकुंडा की शीशे के करखानों के, जो इंडो–असाही ग्लास कम्पनी लिमिटेड के हैं, उत्पादन आरम्भ कर दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस तारीख से उत्पादन आरम्भ किया है ; और

(ग) किन किन वस्तुओं का उत्पादन होता है और वे कारखाने प्रति मास कितना उत्पादन करते हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) भुरकुंडा के शीशे के कारखाने ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ।

(ख) भुरकुंडा कारखाने ने २९ जुलाई, १९५७ को उत्पादन आरम्भ किया था ।

(ग) भुरकुंडा कारखाना शीशे की चादरें तैयार करता है और आजकल प्रति मास ९.३ लाख वर्ग फुट शीशे का उत्पादन होता है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यद्यपि शीशे के कारखाने वालों को औद्योगिक वित्त निगम और सरकार से पूरी सहायता और समर्थन प्राप्त था, तथापि १९५४ तक यहां उत्पादन शुरू नहीं हुआ था । मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन से हालात थे जिनसे स्थिति में परिवर्तन आ गया और जून १९५७ से उत्पादन आरम्भ हो गया ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह मामला कई बार गत सत्र में सभा के समक्ष आ चुका है और इस कारखाने के कार्य के बारे में मैं वक्तव्य भी दे चुका हूं । जैसे कि उस वक्तव्य से प्रकट है कि औद्योगिक वित्त निगम संसार के विभिन्न प्राविधिक दलों से अक्तूबर १९५६ तक बातचीत करते रहे । उन्होंने एक जापानी समवाय से एक करार किया, जिसने कि अब काम सम्भाला है और ९ मास में उत्पादन आरम्भ हो गया है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : सोदपुर शीशा फैक्टरी की मशीनरी का कुछ भाग जो अयोग्य हो गया है, क्या सरकार उसे सुधारने के सम्बन्ध में कदम उठाने वाली है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में उद्देश्य यही है । यह कारखाना सोदपुर और भुरकुंडा कारखानों को मिला कर बनाया गया है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : कारखाना नहीं, मैं तो भारत सरकार की मशीनरी का उल्लेख कर रहा हूं जो कि सोदपुर शीशे के कारखाने में काम आ रही थी । इसकी सहायता के बावजूद भी उस कारखाने में उत्पादन आरम्भ नहीं हो सका । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस मशीनरी के सुधार के लिए क्या कर रही है । क्योंकि यदि वह ऐसी ही प्रयोग की गयी तो निश्चित रूप में कोई सुधार नहीं होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह किसी बेजान अथवा जानदार मशीनरी का उल्लेख कर रहे हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : हमारा विचार था कि वह बेजान मशीनरी का उल्लेख कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : निर्वचन की क्या आवश्यकता है ? जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं औद्योगिक वित्त निगम के प्रशासन के सम्बन्ध में उल्लेख कर रहा था, वह सरकारी निकाय है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं कोई सामान्य बात नहीं कर रहा, यह मुबारकबाद की बात है कि औद्योगिक वित्त निगम सब नुकसानों की मुक्ति की व्यवस्था करने में सफल हुआ और प्रथम श्रेणी का उत्पादन प्राप्त करने में देश को लाभ हुआ ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वितित्र शीशे और बोतलें बनाने की मूल योजना बिलकुल छोड़ दी गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं । इस पर विचार किया जा रहा है और टैक्निशियन इस पर अथवा अपना निर्णय देंगे । वह तो इसकी मूल रूप में निर्धारित शक्ति को दो गुणा कर रहे हैं । अन्य प्रकार के शीशों का काम भी लिया जायेगा ।

†**श्री ति० ना० सिंह** : क्या माननीय मंत्री का यह कहना ठीक है कि औद्योगिक वित्त निगम सभी नुकसानों की मुक्ति दे देगा ।

†**श्री मनुभाई शाह** : इसलिये कि नहीं तो सारी राशि ही नष्ट हो जाती । उन्होंने उसे ६२ लाख में बेच दिया ।

†**श्री वें० प० नायर** : इस कारखाने की लागत का मुकाबला हिन्दुस्तान पिलकिंगटन लिमिटेड की लागत से कैसा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह बिलकुल अलग चीज है । सामान्य प्रकार की चीजों और शीशे के दाम बाजार की स्थिति के अनुसार होंगे । यदि मैं भूल नहीं करता ऊंचे दर्जे के शीशे की ४० से ४५ प्रतिशत आवश्यकता यहां पूरी हो जाती है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : नुकसान के उल्लेख से जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस नुकसान के लिए कौन उत्तरदायी है, और वह अब भी सरकारी मशीनरी में चिमटे बैठे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्योंकि उन्होंने कहा है कि औद्योगिक वित्त निगम नुकसान की मुक्ति दे देगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कई बार जब प्रश्न ठीक ढंग से नहीं पूछा जाता तो निराधार बात निकल आती है, अब अगला प्रश्न ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग

+

†*११०९. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हांसदा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्रों के प्रमुख उद्योग कौन से हैं जिनके लिए समुचित पूंजी प्राप्त नहीं हो रही ;

(ख) सरकार उनकी किस ढंग से सहायता करना चाहती है . और

(ग) क्या किसी एक ने वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). यह ठीक है कि कई बार पूंजी को उपलब्ध करने में कुछ उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना होता है। राज्य वित्त निगम, औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक ऋण विनियोग निगम और बैंक, इत्यादि विभिन्न ऋण निकायों तथा बीमा और विनियोग ऋण संस्थायें पूंजी प्राप्त करने में सहायता देती हैं ?

†श्री स० चं० सामन्त : द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में इस प्रकार के उद्योगों की सहायता के लिये कितना धन दिया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह बड़ा व्यापक प्रश्न है । देश में कई ऋण संस्थायें हैं, सब से आंकड़े एकत्रित करना नितान्त असम्भव है यदि माननीय सदस्य किसी विशेष निगम के सम्बन्ध में आंकड़े चाहते हों तो मैं सदन के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं ।

†श्री दासप्पा : क्या औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किये गये पहले वायदों का पालन किया जायेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : यह प्रश्न पहले भी कई बार आ चुका है । द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कुछ भी औद्योगिक वित्त निगम को दिया गया था, वह २० ही महीनों में समाप्त हो गया है । इस समय यह कहना कठिन है कि भविश्य के वायदों का पालन किया जायेगा अथवा नहीं । हम औद्योगिक वित्त निगम को और अधिक धन दे रहे हैं ताकि वह यथासम्भव अधिक से अधिक आवेदन-पत्रों को पास कर सके ।

काश्मीर में सीमेंट का संयंत्र

\+

*१११०. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रूमानिया से सहायता प्राप्त कर काश्मीर राज्य में २ करोड़ रुपये की लागत से सीमेन्ट का संयन्त्र लगाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रघुनाथ सिंह : काश्मीर में सीमेंट की आवश्यकता को देखते हुए क्या यह आवश्यक नहीं है कि वहां भी एक प्लैन्ट एस्टैब्लिश किया जाए ?

श्री मनुभाई शाह : लगाना तो जरूरी है । इसलिए जो २ करोड़ रु० की बात कही गई है मैंने उस के सम्बन्ध में मना किया, लेकिन ६० टन का प्लान्ट तो हम लगाने वाले हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विद्युच्चालित करघों का बन्द किया जाना

*१११११. **श्री त्यागी (श्री ग्रासर की ग्रोर से)** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि महाराष्ट्र में सांगली, कुरुंदवाड़, इचलकरंजी जैसे शहरों में ६०० से ७०० विद्युच्चालित करघे बन्द कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इन करघों के बन्द हो जाने के कारण हजारों मजदूरों की दशा दयनीय हो गयी है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार इन करघों को फिर से चलाने के लिये प्रयत्न कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या प्रयत्न किये जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). २६६ विद्युच्चालित करघे बन्द होने की खबर है, क्योंकि कुछ उस्ताद बुनकरों ने उनसे कारबार करना बन्द कर दिया है ।

(ग) ये करघे बन्द हो जाने से ४०० मजदूर बेकार हो गये हैं ।

(घ) और (ङ) मामले पर सरकार गौर कर रही है ।

तिब्बत से व्यापार

†*१११२ **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर के रास्ते से इस समय भारत से तिब्बत के साथ कितना व्यापार हो रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : अपेक्षित जानकारी देना सम्भव नहीं है क्योंकि विदेशी व्यापार के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सीमेंट की कीमतें

†*१०८७. **श्री हेडा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपभोक्ताओं के लाभ के लिए वह सीमेंट की कीमतों को कम करने पर विचार कर रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जी, नहीं, श्री नरसिंहन् के ५ दिसम्बर के तारांकित प्रश्न संख्या ८२४ के भाग (घ) की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी जर्मनी से आई कपड़ा मशीनें

†*१०९१. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कपड़ा मशीनरी निर्माताओं के पूर्वी जर्मनी ग्रुप (टेक्सटिया) ने भारतीय कपड़ा मिलों को कपड़ा मशीनों के संभरण सम्बन्धी आर्डर बुक किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन आर्डरों की कुल रकम कितनी है ;

(ग) क्या इन आर्डरों की मशीनों का कुछ भाग संभरित हो गया है ; और

(घ) लम्बित आर्डरों की मशीनों के कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) ३३,२०,००० रुपये ।

(ग) कभी नहीं, श्रीमान ।

(घ) दिसम्बर १९५८ तक ।

सीमेंट का वितरण

†१०९२. **श्री आसर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि सीमेंट न मिलने के कारण जनता को बड़ी कठिनाई हो रही है और उसे चोर बाजार से ११ या १२ रुपये प्रति बोरी की दर से सीमेंट खरीदना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य जनता को सीमेंट उपलब्ध करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) सरकार को पता है कि सीमेन्ट की मौजूदा सप्लाई इतनी काफी नहीं है कि सभी मांगें पूरी तौर पर पूरी की जा सकें और मांग के मुताबिक सप्लाई न होने से बड़ी कमी महसूस की जाती है ।

(ख) राज्यों को सीमेन्ट का अलाटमेन्ट अक्तूबर १९५७ से ३१,५७० टन प्रति मास बढ़ा दिया गया है और अगली जनवरी से उसे २५,००० टन प्रतिमास और बढ़ाया जा रहा है । राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे आम जनता को दिये जाने वाले सीमेंट का अनुपात बढ़ा दें और जहां कहीं स्थानीय हालतों को देखते हुए मुमकिन हो, सीमेंट बांटने के इंतजाम में कुछ ढिलाई करने पर विचार करें ।

पंजाब की कपड़ा और चीनी की मिलें

†*१०९३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब की सहकारी चीनी और कपड़े की मिलों ने सरकार से अनुदान अथवा कर्जे के रूप में वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नहीं, जी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कातार के भारतीय[1]

+

†*१०९४. { श्री अ० क० गोपालन : श्री वारियर }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कातार (फारस की खाड़ी) के भारतीयों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि उन्हें दोहा के पोलिटिकल एजेन्ट (राजनीतिक अभिकर्ता) ने इस आधार पर "कोई आपत्ति नहीं" सम्बन्धी प्रमाण-पत्र नहीं दिया कि वह हिन्दू है ;

(ख) क्या मस्कत के भारतीय वाणिज्य दूत से इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त "कोई आपत्ति नहीं सम्बन्धी प्रमाण-पत्र नहीं दिया कि वह हिन्दू है ;
हुई है; और

(ग) इस प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन):

(क) कातार के हिन्दू कर्मचारियों से यह प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि धर्म के आधार पर उनके परिवारों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं' का प्रमाण पत्र नहीं दिया ।

(ख) हां ।

(ग) मुस्कत के भारतीय वाणिज्य दूत ने मामले को कातार के शासक के पास भेजा है और निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है । वाणिज्य दूत स्वयं भी भारत सरकार के लिए ताजी जानकारी प्राप्त करने कातार जा रहे हैं । वह वहां अधिकारियों से भी मामले की चर्चा करेंगे । इस प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर समुचित ढंग से कार्यवाही की जायेगी ।

ग्रैफ़ाइट का निर्यात

†*१०९५. **श्री बलराम कृष्णप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष ऐसी कोई प्रस्थापना है कि ग्रैफाइट का निर्यात विदेशों के लिए रोक दिया जाय, क्योंकि अणु री-एक्टरों में इसका प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ग्रैफाइट का निर्यात वर्जित है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Indians in Qatar.

काजू और गोल मिर्चों की निर्यात संवर्द्धन परिषद्

†**१०९६. श्री कुमारन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काजू और गोल–मिर्चों की निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा भेजे गये प्रतिनिधिमंडल ने अपने यूरोप के देशों के अध्ययन दौरे के सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन के मुख्य सुझाव और सिफारिशें क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिनिधिमंडल के सुझावों अर सिफारिशों को प्रकट करने वाला विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २३**]

उड़ीसा में ग्रामोद्योग केन्द्र

†***१०९७. श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उड़ीसा राज्य में ग्रामोद्योग खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय रेशम कीट पालन गवेषणा केन्द्र, बरहामपुर (पश्चिमी बंगाल)

†***११००. श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रेशम कीट पालन गवेषणा केन्द्र, बरहामपुर, पश्चिमी बंगाल, के कार्य का पुनरीक्षण करने के लिए जिस समिति की स्थापना हुई थी उसकी कोई बैठक हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और कौन–कौन सी तिथि को; और

(ख) क्या इससे निर्धारित लक्ष्य पूरा हो गया है ;

(ग) इस उत्पादन के कारण हुई हानि अथवा लाभ का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पेनिसिलीन को बोतलों में भरने के संयंत्र का लेखा अलग है; और

(ङ) यदि हां, तो इसी वर्ष का उसके हानि और लाभ का लेखा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) ९८ लाख ९०हजार मेगा यूनिट।

(ख) जी हां, उत्पादन वास्तव में लक्ष्य से भी आगे निकल गया है।

(ग) कर्जे पर व्याज और अवक्षयण की व्यवस्था करके ५८,००० रुपये का कुछ थोड़ा मुनाफा हुआ।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

साइकलों के टायर और ट्यूब

†*१११३. **श्री बलराम कृष्णय्या**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह ठीक है कि आंध्र प्रदेश के साइकल रिक्शा संघ ने सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें कलकत्ता की निर्माता समवायों से टायर ट्यूबों का कोटा अनुसूचित दरों पर दिलवाये जायें;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि दुकानदार इन टायर और ट्यूबों को अनुसूचित दरों से तीन गुणा अधिक पर बेच रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के ७४,००० साइकल रिक्शाओं के मालिकों की सहायता के लिए इन दुकानदारों को इस बुरी लत से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) कुछ मामलों में, रिक्शा टायरों की अस्थायी कमी के कारण, निर्माता समवायों द्वारा निर्धारित दरों से परचून कीमतें ऊंची हो गयी थीं। ट्यूबों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ग) निर्माता समवायों को इस सम्बन्ध में अपने दुकानदारों पर कड़ा नियन्त्रण रखने के लिए कहा गया है, ताकि वह उनकी चीजें सारे देश में निर्धारित दरों पर ही बेचें। ये समवाय साइकल और रिक्शा टायरों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी पग उठा रहे हैं। साइकल और रिक्शा टायरों के आयात की अनुमति कोटे के आधार पर दी जा रही है।

उड़ीसा में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का डिवीजन

†*१११४. **श्री संगण्णा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कोई डिवीजन नहीं है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या ऐसा कोई डिवीजन बनाने की कोई प्रस्थापना है; और

(ग) यदि हां, तो यह डिवीजन कब बनाया जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं; अभी हाल में ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बागान जांच आयोग का प्रतिवेदन

†*१११५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बागान जांच आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार काफी और रबड़ के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मोदी टैक्सटाइल मिल्स, मोदीनगर

†*१११६. **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदी टैक्सटाइल मिल्स, मोदी नगर, के श्रमिकों में गम्भीर असन्तोष पाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह ठीक है कि अब तक १७० कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं;

(ग) इन कर्मचारियों की मांगें क्या हैं ; और

(घ) इस असन्तोष को समाप्त करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) मिल में २५ अक्तूबर से काम चालू है, सिवाय इसके कि कुछ कर्मचारी सत्याग्रह कर रहे हैं। और यह एक संघ द्वारा की गयी हड़ताल का परिणाम है ।

(ख) धारा १४४ के अन्तर्गत आदेश भंग करने के अपराध में ७ दिसम्बर १९५७ तक, १४९ व्यक्ति गिरफ्तार हुये ।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत हुये करार के अनुसार मिल में कार्य कर रही समझौता समिति को भंग कर दिया जाय, पदच्युत व्यक्तियों को पुनः नियुक्त किया जाये और गिरफ्तार हुये व्यक्तियों को रिहा कर दिया जाये ।

(घ) राज्य सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

पंजाब की औद्योगिक बस्ती

†*१११७. { श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २८ अगस्त १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब राज्य में जो औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की जानी थी, उस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या २४]

मशीनों तथा भारी विद्युत संयंत्रों का आयात

†*१११८. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ के वर्ष में आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक ने कितने मामलों में मशीनों तथा भारी विद्युत संयन्त्रों के आयात के लिए संभरण कर्ताओं और उधार-संघटनों से बातचीत आरम्भ करने के लिये प्राधिकार पत्र दिये ;

(ख) उन मामलों की संख्या और प्रकार जिन में प्राधिकार पत्र अस्वीकृत कर दिये गये; और

(ग) इस वर्ष के पिछले १० मास में हुये आयात का प्रकार और मूल्य ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या २५]

दृष्टांक

†*१११९. डा० राम सुभग सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि शिलांग के पाकिस्तानी दृष्टांक प्राधिकारी, पूर्वी पाकिस्तान के लिए 'ख' श्रेणी के दृष्टांक के नवीकरण का आवेदन पत्र दिये जाने पर, उसे या तो 'ग' श्रेणी का कर देते है अथवा देते ही नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तानी सरकार का ध्यान इस अनियमितता की ओर दिलाया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). हमें इस प्रकार की कुछ शिकायतें मिली है और मामले पर पाकिस्तान सरकार से बातचीत की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात संवर्द्धन समिति

†*११२०. श्री हेडा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात संवर्द्धन समिति की प्रमुख सिफारिशों पर अब तक क्या कदम उठाये गये है; और

(ख) इस संबंध में क्या सफलतायें प्राप्त की गयी हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). निर्यात संवर्द्धन समिति की कई सिफारिशों पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अन्य सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय हो जाने की आशा है।

दमन में पुर्तगाली सेना

*११२१. **श्री आसर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि अभी हाल ही में दमन में पुर्तगाली सेना एक जहाज के द्वारा पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पुर्तगाल अधिकृत दमन में मोर्चे को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिक तैयारियां की जा रही हैं ;

(ग) क्या इन सैनिक कार्यवाहियों के कारण भारतीय सीमा में रहने वाली जनता में कोई आतंक या अशांति फैली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). जी हां। सूचना से पता चलता है कि हाल ही में बहुत से सिपाही भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों में आए हैं। वे पुर्तगाल के यूरोपीय और अफ्रीकी सिपाही दोनों ही हैं; पुर्तगाली अधिकारी भारत-दमन सीमा पर काफी बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहे हैं।

(ग) सीमा के भारतीय हिस्से से किसी तरह का ज्यादा तनाव होने की रिपोर्टें नहीं आई हैं।

(घ) यह सवाल नहीं उठता। सरकार स्थिति को देख रही है।

चाय निर्यात

†*११२२. **श्री रामेश्वर डांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग को लंका और पूर्वी अफ्रीका से गंभीर मुकाबला करना पड़ रहा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार चाय के निर्यात के लिए अधिक कोटा देने का विचार कर रही है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हमें अपने चाय निर्यात व्यापार में अन्य उत्पादक देशों से मुकाबला करना पड़ रहा है।

(ख) चाय के निर्यात के कोटे समय समय पर भेजे जाते हैं। अभी तक चाय बागानों की पैदावार के ५.५ प्रतिशत के बराबर कोटा भेजा गया है जो ४०१.५ लाख पौंड होता है। जब और जैसे आवश्यकता होगी और कोटा भेज दिया जाएगा।

घाना से सद्भावना एवं व्यापार प्रतिनिधि मंडल

†*११२३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि घाना से एक सद्भावना एवं व्यापार प्रतिनिधि मंडल निकट भविष्य में भारत आने वाला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : हां, श्रीमान्। घाना से एक व्यापार एवं सद्भावना प्रतिनिधिमंडल के शीघ्र भारत आने की आशा है।

कहानियों का संकलन[४]

†*११२४. **श्री संगण्णा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को वर्ष १९५७-५८ में आदिम जातीय भाषाओं में लिखी गई कहानियों और लेखों के संकलन के लिए अनुदान दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मद्रास में सिनेमा प्रविधिज्ञों[५] की छटनी

†*११२५. **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में ७०० सिनेमा प्रविधिज्ञों को छटनी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह छटनी निर्माताओं द्वारा केन्द्र के चलचित्रों की लम्बाई कम करके १०,००० फीट कर देने के निर्णय के प्रति विरोध के रूप में की जा रही है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[४]Compilation of short stories.
[५]Cine Technicians.

श्रीगंगानगर में विस्थापित व्यक्ति

१६०६. श्री प० ला० बारूपाल : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर में विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान बनाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मकान बनाये जायेंगे और वे कब तक बनाये जायेंगे; और

(ग) इनमें से कितने मकान विस्थापित हरिजनों को दिये जायेंगे ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) हाल ही में राज्य सरकार के साथ बात चीत होने पर यह फैसला हुआ है कि बीकानेर में ५० टेनोमेंट्स बनाये जायें। आशा है कि ये जून १९५८ तक बन जायेंगे।

(ग) इनका एलाटमेंट पात्र शरणार्थियों को राज्य सरकार करेगी। हरिजन शरणार्थियों के लिये विशेष 'कोटा' नहीं है।

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

१६०७. श्री प० ला० बारूपाल: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को गत वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चलाये जाने वाले केन्द्रों में जो बुनकर काम करते है उनकी अधिकतम और न्यूनतम मासिक आय कितनी है;

(ग) क्या सरकार को यह विदित है कि स्थानीय खादी संस्थायें जो ग्रामीण बुनकरों से खादी खरीदती हैं, उस पर ६ आना प्रति रुपया बढ़ा कर दाम निश्चित करती है और तब उसे ३ आना प्रति रुपया कटौती देकर बेचती है और उस कटौती को बुनकरों को देने की बजाय संस्थायें स्वयं सरकार से उसे ले लेती हैं; और

(घ) क्या सरकार को यह भी विदित है कि जब कि ग्रामाण कतवार कच्ची ऊन ८ रुपये प्रति सेर के भाव से खरीद कर काती हुई ऊन को ३२ रुपये प्रति सेर के भाव बेचते हैं, ये खादी संस्थायें जब इन कतवारों से ऊन कतवाती हैं, तब वे उन्हें प्रति सेर के केवल १६ रुपये देती हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ८,२५,४०,६५७ रु० के अनुदान और ६,३१,९३,७०८ रु० के ऋण दिये गये।

(ख) बुनकरों की आमदनी इस बात पर निर्भर होती है कि उसे मदद देने वाले लोगों की संख्या चाहे वे उसके परिवार के हों चाहे नौकर, कितनी है और वह किस किस्म का कपड़ा बुनता है।

आमतौर पर बुनकर की सहायता उसकी पत्नी करती है या एक सहायक। २६ दिनों के महीने में औसतन ८ घंटे प्रतिदिन काम करके एक बुनकर को ४५ रु० से १२५ रु० तक

की आमदनी होती है। विशेष किस्मों का कपड़ा बुनने के लिए जो बुनकर जैकार्ड करघे इस्तैमाल करते हैं, वे आमतौर से ज्यादा कमा लेते हैं।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग कमीशन उन खादी संस्थाओं को प्रमाणित करता है जो हाथ से कता सूत और हाथ से बुना कपड़ा बेचती हैं। ये संस्थाएं बुनकरों को सूत देकर कपड़ा तैयार करवाती हैं। वे, बुनकरों को अलग अलग नम्बरों के सूत के लिए कमीशन द्वारा निर्धारित दरों पर, काम के हिसाब से, मजदूरी देती हैं। ये संस्थाएं हाथ से बुना कपड़ा बुनकरों से नहीं खरीदतीं इसलिए उनको कटौती देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। "सरकार से मिलने वाली कटौती" का अर्थ जाहिर तौर पर इस छूट से है जो खादी की बिक्री पर ३ आने प्रति रु० की दर से खादी एम्पोरियम या डिपो, सरकार से प्राप्त अनुदानों में से खरीदारों को दिया करते हैं। इस छूट का पूरा पूरा फायदा कपड़े के खरीदार को दिया जाता है।

(घ) जी नहीं। ऊनी धागे की कतवाई की दरें काफी हद तक ऊन और काते गये धागे की किस्म पर निर्भर होती हैं। कहीं कहीं तो यह दर ६० रु० सेर या उससे भी अधिक होती है। इस बात का कोई आधार नहीं है कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन से प्रमाणित संस्थाएं ऊनी धागे की कतवाई बाजार दर से कम देती हैं।

दिल्ली में बेदखली के मुकदमे

†१६०८. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत वर्ष १९५५, १९५६ और १९५७ में (३१ अगस्त तक) दिल्ली के दीवानी न्यायालयों में बेदखली के कुल कितने मुकदमे दायर किए गए और रिहायशी और गैर-रिहायशी किराएदारियों के सम्बन्ध में (जो पृथक पृथक दिखाई जायेंगी) धारा २३ अथवा किसी भी अन्य धारा, जिसके अन्तर्गत वे दायर किए गए थे, के प्रत्येक उपखण्ड के अन्तर्गत उनकी अलग अलग संख्या कितनी है ;

(ख) विभिन्न वर्षों में इनमें से कितने मुकदमों का निर्णय किया गया है और कितने अभी विचाराधीन हैं ;

(ग) कितने मामलों में बेदखली के आदेश पास किये गये, वर्ष १९५५, १९५६ और १९५७ में (अगस्त तक) कितने मुकदमे खारिज किए गए और निर्णय किये गये मुकदमों में से बेदखली के कितने आदेश रिहायशी किरायेदारियों से सम्बन्धित थे और कितने गैर-रिहायशी किरायेदारियों से; और

(घ) इनमें से १९५५, १९५६ और १९५७ में पृथक पृथक कितने मामलों में बेदखली के आदेश कार्यान्वित किये गये और किराएदार बेदखल किए गए (रिहायशी तथा गैर-रिहायशी किरायेदारियों के अंक अलग अलग दिये जायें) ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अम्बर चर्खों का निर्माण

१६०९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बर चर्खे के निर्माण के लिये कौन कौन सी चीजें विदेशों से मंगानी पड़ती हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

§Residential and Non-residential tenancies.

(ख) उनके आयात पर अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ;

(ग) क्या उन्हें देश में तैयार करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) बाल बेयरिंग, गीयर कटर, विंग नट तथा फ्लूटड रोलर बनाने के लिये नरम इस्पात की चमकदार छड़ें विदेशों से मंगानी होती है ।

(ख) इनके आयात पर ७.१२ लाख रु० खर्च किये जा चुके हैं और ६.०९ लाख रु० के आर्डर दे दिये गये हैं ।

(ग), (घ) और (ङ). ई एल–८ किस्म के बाल बेयरिंग अभी देश में नहीं बनाये जाते । इस किस्म के बाल बेयरिंग बनवाने के लिये मैसर्स नेशनल बाल बेयरिंग कं० जयपुर से खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन बातचीत कर रहा है । गीयर कटरों सम्बन्धी आवश्यकतायें भी देशी साधनों से पूरी करने की कोशिश कमीशन कर रहा है । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा विंग नट बनवाने के लिये कलकत्ते की फर्म मैसर्स गेस्ट, कीन, विलियम्स लि० से बातचीत कर रही है । लेकिन नरम इस्पात की शफ्टिंग छड़ों को देश में बनाना फिलहाल संभव नहीं है ।

बाट तथा माप की मीट्रिक प्रणाली

१६१०. डा० राम सुभग सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने उद्योगों ने बाट तथा माप की मीट्रिक प्रणाली को चलाने का समर्थन किया है और वे उद्योग कौन कौन से हैं ;

(ख) क्या किसी उद्योग ने इस प्रणाली के जारी किये जाने का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस उद्योग का क्या नाम है और किस आधार पर इसका विरोध किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) बाट तथा माप की मीट्रिक प्रणाली अपनाने का समर्थन उन बैठकों में किया गया है जिनमें निम्न आठ उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था :—

(१) सूती कपड़ा ।

(२) चीनी ।

(३) लोहा और इस्पात ।

(४) इंजीनियरिंग ।

(५) सीमेन्ट ।

(६) कोयला ।

(७) चाय ।

(८) भारी रसायन (क्षारक) ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गन्ने को खोई से अखबारी कागज

१६११. डा० राम सुभग सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २४ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शक्करनगर (आन्ध्र प्रदेश) में अखबारी कागज के कारखाने के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट के लिये जर्मन विशेषज्ञों की फर्म को कुल कितनी फीस दी गई ;

(ख) इस फर्म द्वारा सुझाई गई नई प्रक्रिया नेपा के अखबारी कागज के कारखाने में अपनाई गई प्रक्रिया की तुलना में कहां तक लाभप्रद है ; और

(ग) क्या इस प्रक्रिया से अखबारी कागज के उत्पादन की लागत कम हो जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) रिपोर्ट देने के लिये कोई फीस नहीं दी गयी ।

(ख) दोनों प्रक्रियाओं की तुलना संभव नहीं है लेकिन यहां यह बात ध्यान में रखने की है कि नयी प्रक्रिया का प्रयोग गन्ने की खोई से अखबारी कागज बनाने के लिये किया जायेगा ।

(ग) आशा तो यही है ।

अम्बर चर्खे

१६१२. डा० राम सुभग सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यक्तियों ने अम्बर चर्खे को सहायताप्राप्त मूल्य पर खरीदने की योजना से अब तक लाभ उठाया है ; और

(ख) सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी राशि दी जा चुकी है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ८९,०१७ व्यक्तियों ने ।

(ख) १,१४,५६१ अम्बर चर्खे किराया-खरीद प्रणाली पर बांटने के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन ने विभिन्न संस्थाओं और अभिकरणों को १,३७,४७,३८० रु० का ऋण दिया है ।

विदेशी सरकारों को प्रत्यावर्तन व्यय

१६१३. श्री भ० दी० मिश्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीयों के विदेशों से प्रत्यावर्तन के लिये भारत को विदेशी सरकारों का कितना शेष धन देना है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : विदेशों से जो भारतीय वापस लाए गये हैं उनके बारे में विदेशी सरकारों को कोई धन देना बाकी नहीं है ।

सिन्दरी उर्वरक

१६१४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्दरी उर्वरक कारखाने को बीकानेर से जिप्सम पर्याप्त मात्रा में लगातार मिलता रहे इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि गत वर्ष सिन्दरी के कारखाने को जिप्सम कम मिलने के कारण अमोनियम सल्फेट का उत्पादन कम हो गया था ; और

(ग) कारखाने को इस कारण से कितनी हानि उठानी पड़ी ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) राजस्थान सरकार से उस राज्य के उत्तरलाई स्थान की बढिया खानों का पट्टा कराने के लिये कदम उठाये गये थे जिस से सिन्दरी कम्पनी खुद ही उन खानों की खुदाई करा सके। राज्य सरकार ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और सिन्दरी कम्पनी इन खानों से सितम्बर, १९५६ से जिप्सम निकलवा रही है। राजस्थान सरकार तथा मैसर्स बीकानेर जिप्सस लि० (जो सिंदरी कारखाने को जिप्सम सप्लाई करती है) ने यह आश्वासन दिया है कि भविष्य में बीकानेर से जिप्सम की सप्लाई में कोई रूकावट नहीं आएगी।

(ख) जी, हां।

(ग) इस के कारण १९५६–५७ में २५०० टन अमोनियम सल्फेट का कम उत्पादन हुआ था।

बिजली का सामान

१६१५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली के सामान की बिक्री के लिये अधिक अच्छी व्यवस्था करने के हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में निर्माताओं को क्या क्या कठिनाइयां हो रही हैं ;

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या सहायता दी है ;

(घ) क्या सरकार ने बिजली के सामान की बिक्री में सहायता देने की दृष्टि से निर्माताओं तथा ग्राहकों को सम्बन्धित जानकारी देने के लिये कोई व्यवस्था की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) बिजली के सामान की बिक्री के लिये कोई खास कदम नहीं उठाये गये हैं। फिर भी इस प्रश्न पर भारी विद्युत उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ने विचार विनिमय किया है। परिषद् ने सिफारिश की है कि माल मंगवाने वाले अधिकारी बिजली के सामान के आर्डर काफी पहले दिया करें जिससे निर्माताओं को कच्चे माल प्राप्त करने की योजना बनाने के लिये काफी समय मिल सके। परिषद् ने यह भी अनुभव किया कि अगर सारी खरीद एक केन्द्रीय खरीद संस्था द्वारा करायी जाए तो देश की क्षमता का अधिकतम प्रयोग हो सकेगा। बिक्री के सौदों की शर्तों का प्रतिमानीकरण करने के लिये परिषद ने एक उपसमिति नियुक्त की थी। इस उपसमिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद परिषद ने सुझाव दिया

है कि परीक्षण के तौर पर तब तक केन्द्रीय खरीद की जाती रहे, जबतक कि उपलब्धि की स्थिति में सुधार न हो जाय ।

ये सभी सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि बिजली के सामान के निर्माताओं को अपना माल बनाने में कोई गंभीर दिक्कत होती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) और (ङ). इस मंत्रालय की विकास शाखा ने अपनी सूची में दर्ज फर्मों के बारे में "हैण्ड बुक आफ इंडीजीनस मैन्यूफैक्चरर्स (इंजीनियरिंग स्टोर्स)" नामक एक पुस्तक छापी है जिसमें निर्माताओं के नाम, उनके पते और उनके द्वारा बनायी जाने वाली चीजों की जानकारी दी गयी है ।

सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद्

१६१६. श्री झूलन सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् ने सूती वस्त्र का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये हैं ;

(ख) परिषद् द्वारा कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं और उन्हें कितना वेतन दिया गया है ;

(ग) इस राशि में सरकार का अंशदान कितना है ; और

(घ) सरकार इस परिषद् पर कुल कितनी धन राशि खर्च कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् ने सूती वस्त्र का निर्यात बढ़ाने के लिये निम्न उपाय किये हैं :—

१. बगदाद, सिंगापुर, लागोस, रंगून, अदन और मौम्बासा में ६ कार्यालय खोलना जो अपने कार्य क्षेत्र के बाजारों का अध्ययन करते हैं ।

२. वहां विदेशी बाजारों में परिषद् को पत्रिकाओं, डायरेक्टरी, न्यूज सीरीज, समाचार पत्रों आदि के द्वारा सूती कपड़े का लगातार प्रचार करते रहना ।

३. प्रमुख बाजारों में समय समय पर प्रदर्शनियों का आयोजन करना ।

४. झगड़ों की जांच पड़ताल करना और उन्हें तय करना ।

५. सौदों का एक प्रतिमानित रूप तथा पैकिंग का प्रतिमान बनाना ।

६. भारत के निर्यातकों तथा मिलों और विदेशी खरीदारों से सम्पर्क रखना जिससे वह विभिन्न निर्यात बाजारों के लायक नयी नयी किस्मों के भारतीय सूती कपड़े तैयार करवा सकें ।

७. व्यापार मिशन तथा निर्यात अध्ययन ग्रुपों को भेजकर निर्यात बाजारों की संभावनाओं का सर्वेक्षण कराना ।

८. विदेशों को व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजना । दक्षिण पूर्वी एशिया के बाजारों की स्थितियों का अध्ययन करने के लिये परिषद् ने एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल जून/जुलाई १९५५ में भेजा था ।

९. विदेशों की यात्रा या दौरे करना जिससे भारतीय कपड़े के बिकने की संभावना का अध्ययन किया जा सके । परिषद् के सचिव १९५६ के शुरू में बहरीन, कुवैत, बसरा और बगदाद गये थे तथा वहां के कपड़ा बाजारों का दौरा किया था । परिषद् की प्रशासन समिति के सदस्य श्री एम० एन० सवानी ने १९५६ के मध्य में भारतीय कपड़ा खपने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये पश्चिमी एशिया के बाजारों का दौरा किया था ।

(ख) परिषद् द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या १ दिसम्बर, १९५७ को ७८ थी जिनमें विदेश स्थित ६ कार्यालयों के कर्मचारी भी शामिल हैं । इनको लगभग २२,९८६.९१ रु० प्रति मास वेतन दिया जाता है ।

(ग) सरकार परिषद् को वार्षिक अनुदान देती है इसलिये वेतन की मद में सरकार का अंशदान अलग करके बता सकना संभव नहीं है ।

(घ) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् का खर्च निम्नानुसार है :—

	रु०
१९५४-५५ .	७२,०७२
१९५५-५६ .	२,५५,१४७
१९५६-५७ .	४.१६,६९७

साइकिलें

१६१७. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साइकिलों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) भारत से किन किन देशों को साइकिलों का निर्यात किया जाता है ; और

(ग) चालू वर्ष में भारत से किन किन देशों को कितनी साइकिलों का निर्यात किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २६]**

काम दिलाऊ दफ्तर

१६१८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काम दिलाऊ दफ्तरों को अनिवार्य रूप से रिक्त स्थानों की सूचना देने के सम्बन्ध में विधि बनाने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मध्य प्रदेश और जम्मू व काश्मीर राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने इस बारे में कानून बनाना मंजूर कर लिया है । मध्य प्रदेश सरकार इस बारे में

अभी विचार कर रही है। जम्मू व कश्मीर की सरकार राज्य में नियोजन कार्यालय खोलने के बाद इस बात पर विचार करेगी। कानून बनाने के सिलसिले में सम्बन्धित अधिकारियों की सलाह से प्रारंभिक कार्यवाहियों की जा रही हैं।

काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन)

१६१९. **श्री राधा रमण**: क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५७ से अब तक देश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ख) उसका क्या कारण है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) जनवरी १९५७ से ३१ अक्तूबर, १९५७ तक नियोजन कार्यालयों में नाम लिखाने वाले बेरोजगारों की संख्या में १,०७,२८५ की वृद्धि हुई है।

(ख) उक्त अवधि में खोले गये २७ नये नियोजन कार्यालयों के कारण प्रार्थियों की संख्या में ३२,००० की वृद्धि हुई। शेष वृद्धि का कारण नियोजन कार्यालयों में नाम दर्ज कराने वालों की संख्या में हो रही लगातार वृद्धि है। यह वृद्धि मार्च १९५७ से देखी जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का विशेषज्ञ

१६२० **श्री राधा रमण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नियोजन सम्बन्धी सूचना को इकटठा करने के लिये दिल्ली की अग्रगामी परियोजना के लिये जिस अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की गई थीं, उसका नाम क्या है और इस काम में उसके अनुभव का ब्यौरा क्या है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : श्री जे० एच० डेवी। युद्धकाल को छोड़ कर जब वे सैनिक सेवा में थे, श्री डेवी, ब्रिटेन सरकार के श्रम एवं राष्ट्रीय सेवा मंत्रालय में १९३९ के काम कर रहे थे। विभिन्न कार्यकारी पदों के अतिरिक्त आप प्रादेशिक और केन्द्रीय अमला अफसर भी रहे हैं। इस पद पर कार्य करते हुए आपने मंत्रालयों की जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने, आयोजना बनाने तथा इसी सम्बन्ध में सारे ब्रिटेन का सर्वेक्षण का कार्य किया था। प्रवर नियोजन अधिकारी के रूप में आपका काम नियोजन सेवाओं तथा औद्योगिक और श्रमिकों की पूर्ती सम्बन्धी जानकारी इकट्ठी करना भी था।

नियोजन सेवा योजना

१६२१. **श्री राधा रमण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यावसायिक निर्देशन, नियोजन सेवाएं और नियोजन परामर्श सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति की गयी है ;

(ख) इसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कौन सा विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है

(ग) उसके अनुभव का क्या ब्यौरा है और उस पर कितना व्यय किया जा रहा है ; और

(घ) अब तक कितने युवकों को व्यवसाय चुनने में सहायता दी गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) भारत सरकार ने दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, पटना लखनऊ, अम्बाला, और हैदराबाद के नियोजन कार्यालयों में व्यावसायिक मार्ग दर्शन एकांश खोलने की मंजूरी दे दी है। इस काम के लिये राज्य सरकारों द्वारा चुने गये अफसरों को व्यावसायिक मार्ग दर्शन और नियोजन सम्बन्धी सलाह देने के तरीके सिखाये जा चुके हैं।

(ख) और (ग). श्री एस० ओ० डूस। वे १५ वर्ष से रायल लेबर बोर्ड, स्टाक होम (स्वीडन) के व्यावसायिक अनुसंधान और सूचना कार्यालय के प्रधान हैं भारत में रहते हुए उन पर ७,६५० रुपये खर्च हुए हैं।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा उक्त एकांशों की स्थापना के बाद यह काम शुरू होगा। व्यावसायिक मार्ग दर्शन का तजर्बा हासिल करने और इस काम की कार्य प्रणाली तय करने के लिये नियोजन महानिदेशालय में अग्रगामी कार्य हुआ था। इस सिलसिले में २०० व्यक्तियों को सहायता दी गई थी।

व्यावसायिक गवेषणा तथा विश्लेषण सम्बन्धी योजना

१६२२. श्री राधा रमण : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यावसायिक गवेषणा तथा विश्लेषण सम्बन्धी योजना के अनुसरण में क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) इसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कौन सा विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है ;

(ग) उसके अनुभव का क्या ब्यौरा है ; और

(घ) उस पर कितना व्यय किया जा रहा है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) पुनःस्थापन एवं नियोजन महानिदेशालय में एक व्यावसायिक सूचना एकंश स्थापित कर दिया गया। इसके साथ ९ राज्यों, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में व्यावसायिक सूचना एकांश खोले जा चुके हैं।

इन एकांशों में काम करने वाले अफसरों ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। देश के विभिन्न व्यवसायियों का वर्गीकरण, परिभाषा और विवरण का कार्य चालू है। लगभग १००० व्यवसायों के क्षेत्रों का अध्ययन, देश के विभिन्न केन्द्रों में हो गया है।

(ख) से (घ). विशेषज्ञ का नाम श्री एस० ओ० डूस है : वे १९४२ से रायल लेबर बोर्ड स्टाक-होम (स्वीडन) के व्यवसायिक अनुसंधान और सूचना कार्यालय के प्रधान हैं। भारत में रहते हुए उन पर ७,६५० रुपये खर्च हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

रानीगंज कोयला क्षेत्रों में केन्द्रीय अस्पताल

१६२३. **श्री दि० प्र० सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रानीगंज कोयला क्षेत्रों के केन्द्रीय अस्पताल में खोले गये पुनर्वास केन्द्र में अब तक कितने पंगु मजदूरों को बसाया जा चुका है ;

(ख) इस पुनर्वास केन्द्र में इन पंगु मजदूरों को जो दस्तकारी की शिक्षा दी जाती है उसका इन्होंने अपने जीविकोपार्जन के लिये किस ढंग से प्रयोग किया है ; और

(ग) इन दस्तकारियों की सहायता से ये पंगु मजदूर प्रति दिन कितना कमा लेते हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) केन्द्र में १३३ पंगु खनिकों को विभिन्न तरह की दस्तकारी सिखाई गई है।

(ख) केवल अस्पताल में रहने वाले ऐसे मरीजों को जो पंगु हों, केन्द्र में ट्रेनिंग दी जाती है। अस्पताल में इलाज समाप्त होने के बाद वे ट्रेनिंग कक्षायें छोड़ देते हैं। यह नहीं मालूम कि उन्होंने ट्रेनिंग का कैसे उपयोग किया है।

(ग) सूचना प्राप्त नहीं है।

पंगु मजदूर

१६२४. **श्री दि० प्र० सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और चालू वर्ष में अब तक कोयला खानों में कितने मजदूर पंगु हुए ; और

(ख) पूना के कृत्रिम अंग लगाने के सैनिक केन्द्र में इन पंगु मजदूरों में से कितने मजदूरों के कौन कौन से कृत्रिम अंग लगाये गये ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). सूचना प्राप्त की जा रही है जो यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

कोयला क्षेत्रों में केन्द्रीय अस्पताल

१६२५. **श्री दि० प्र० सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान क्षेत्रों के केन्द्रीय अस्पतालों में मनोरंजन के क्या साधन किये गये हैं ; और

(ख) यहां कितने बीमार मजदूरों को अब तक हिन्दी पढ़ाई जा चुकी है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) धनबाद और आसनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों में मरीजों के लिये मनोरंजन-कमरे स्थापित किये गये हैं, जहां प्रादेशिक भाषा की पुस्तकों, सामयिक पत्र-पत्रिकाओं और दैनिक समाचार पत्रों की व्यवस्था की गई है। कुछ एक भीतरी खेल, जैसे कैरम, शतरंज, लूडो, आदि की भी व्यवस्था है।

(ख) गत वर्ष लगभग २,००० व्यक्ति हिन्दी पढ़ने आये।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षय-रोग आरोग्यशालायें तथा केन्द्रीय अस्पताल

१६२६. **श्री दि० प्र० सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान श्रम कल्याण निधि में से क्षय रोग से पीड़ित मजदूरों के उपचार के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ;

(ख) इस काम के लिये कितनी क्षय-रोग आरोग्यशालायें और केन्द्रीय अस्पताल चल रहे हैं ;

(ग) वर्ष १९५६-५७ और चालू वर्ष में अब तक इन में कितने मजदूरों का इलाज किया गया ; और

(घ) इन अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या सीमित होने के कारण कितने क्षय-रोग से पीड़ित मजदूरों को भर्ती नहीं किया जा सका ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख) कोयला खान श्रम कल्याण फंड संस्था द्वारा झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में बारह-बारह पलंगों के दो क्षय-रोग औषधालय चलाये जा रहे हैं। इनके अलावा, संस्था ने विभिन्न क्षय-रोग आरोग्यशालाओं/अस्पतालों में ६२ पलंग रक्षित कराये हैं।

(ग) जितने मजदूरों और उनके आश्रित का क्षय-रोग आरोग्यशालाओं और औषधालयों में इलाज किया गया उनकी संख्या नीचे दी जाती है :—

	१९५६	(नवम्बर, १९५७ तक)
१. संस्था के क्षयरोग औषधालयों में	१५१	१०२
२. क्षयरोग आरोग्यशालाओं/अस्पतालों में जहां कि संस्था ने पलंग रक्षित कराये हैं	६७	९७

(घ) लगभग १२००।

खली

१६२७. **श्री रा० रा० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि खली से तेल निकालने के पश्चात् जो रद्दी अंश शेष रहता है उसका कारखानों में किस प्रकार उपयोग किया जाता है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : खली से तेल निकालने के बाद कारखाने उसे इस्तैमाल नहीं करते। लेकिन तेल रहित खली को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा निर्यात किया जाता है। इन खलियों को जानवरों के खिलाने के काम में भी लाया जा सकता है बशर्ते कि इनमें से तेल निकालते समय घोलक पदार्थ के रूप में बढ़िया किस्म का "हैक्सोन" तथा "हैप्टेन" प्रयोग किया जाए।

एसबेस्टस सीमेंट की चादरें

१६२८. **श्री रा० रा० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसबेस्टस सीमेंट की चादर बनाने के लिये विदेशों से क्या क्या कच्चा माल मंगाना पड़ता है ; और

(ख) इस कच्चे माल को देश में प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) एसबेस्टस की चादरें बनाने के लिये विदेशों से सिर्फ कच्चा एसबेस्टस मंगाना पड़ता है ।

(ख) देश में जिस किस्म का कच्चा एसबेस्टस मिलता है, वह एसबेस्टस सीमेंट की चादरें बनाने के लिये पूरी तरह ठीक नहीं है। वैज्ञानिक गवेषणा परिषद् (हैदराबाद) देश में मिलने वाले एसबेस्टस का प्रयोग किया जा सकने की जांच पड़ताल कर रही है। कलकत्ते में एसबेस्टस सीमेंट का संयंत्र स्थापित करने की एक योजना हाल ही में मंजूर की गयी है । इस योजना में कुछ आयातित कच्चा माल मिलकार देश में प्राप्त कच्चा माल प्रयोग करने का विचार है। इन अयोजनाओं के सफल होने पर ही देशी रेशों को खासे बड़े पैमाने पर प्रयोग करना संभव होगा ।

अल्युमिनियम

१६२९. **श्री रा० रा० मिश्र**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में अब तक अल्युमिनियम की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) उसके फलस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). अल्युमिनियम उद्योग की मौजूदा उत्पादन क्षमता ७,५०० टन वार्षिक है। १२,५०० टन की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लाइसेंस तथा मौजूदा उत्पादन क्षमता में २,४०० टन का और भी विस्तार करने की मंजूरी दे दी गयी है। इस प्रकार कुल उत्पादन क्षमता २२,४०० टन हो जायेगी ।

जितनी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लाइसेंस दिये जा चुके हैं उससे १९५७-५८ में अतिरिक्त उत्पादन होने की आशा नही है लेकिन १९५८ के अंत तक लाइसेंस शुदा एक योजना से अधिक उत्पादन होने की संभावना है ।

ऊनी कपड़ा

१६३०. **श्री रा० रा० मिश्र**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों को प्रत्येक वर्ष कितना ऊनी कपड़ा निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) इस निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या सरकार कोई उपाय कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) १९५५ से ऊनी कपड़ा निम्न परिमाण में निर्यात किया गया :—

	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८ (जनवरी-जून)
ऊनी कपड़ा (गजों में)	१२,३११	४४,४१५	५,१२९
शाल (संख्या)	१४,७२८	२३,५३५	१४,०५१
अन्य प्रकार का (पौंड)	६,५६,७६७	५,४१,४७०	८,६३,७५४
हौजरी	—	—	२४,११९

(ख) और (ग) ऊन उद्योग की विकास परिषद् के ऊनी माल का निर्यात बढ़ाने के लिये एक विशेष उपसमिति नियुक्त की है ।

बिनौले के तेल के कारखाने

१६३१. **श्री बाल्मीकी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में बिनौले का तेल निकालने के जिन ६ नये कारखानों को लाइसेंस दिये गये हैं, उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उनमें कितनी पूंजी लगाई गई है ; और

(ग) ये लाइसेंस उन्हें किस आधार पर दिये गये थे ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है । **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७]**.

पटसन के बदले में काम आने वाली चीजें

१६३२. **श्री बाल्मीकी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन के कपड़े तथा टाट के बोरों के बदले में कौन कौन सी वस्तुएं काम में लाई जा रही हैं ;

(ख) क्या इनके कारण पटसन के माल की खपत पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई गवेषणा कराने का प्रयत्न किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) कागज और कुछ सीमा तक प्लास्टिक की चीज

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां । इंडियन जूई मिल्स असोशियेशन ने काफी बाजार गवेषणा करायी है ।

उत्पादकता आन्दोलन

१६३३. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का उत्पादकता आन्दोलन के सिलसिले में कोई विशेष गवेषणा कराने का भी विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : उत्पादकता आन्दोलन शुरू करने की सिफारिश भारतीय उत्पादकता प्रतिनिधिमंडल ने की थी जो अक्तूबर-नवम्बर १९५६ में जापान गया था । प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् स्थापित करने की सिफारिश की है जिस में सरकार, मिल मालिकों, मज़दूरों तथा उत्पादकता बढ़ाने में दिलचस्पी रखने वाले अन्य तत्वों के प्रतिनिधि होंगे । प्रतिनिधिमंडल की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं । राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् अन्य कामों के साथ साथ उत्पादकता से सम्बन्धित समस्याओं की गवेषणा करायेगी ।

विद्युच्चालित करघे

१६३४. श्री रा० स० तिवारी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में अब तक कितने विद्युच्चालित करघे बनाये जा चुके हैं ; और

(ख) इन करघों द्वारा कितना कपड़ा तैयार किया हुआ है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) शायद प्रश्न में सरकार की वित्तीय सहायता से हथकरघा क्षेत्र में लगाये जाने वाले विद्युच्चालित करघों का उल्लेख है । यदि ऐसा है तो ऐसा कोई करघा नहीं लगाया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

काश्मीर में गृह निर्माण पर व्यय

†**१६३५. श्री याज्ञिक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ नवम्बर, १९४७ से ३१ मार्च, १९५७ तक जम्मू राज्य को विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी राशि दी गई है और वास्तव में उन पर अलग अलग कितनी राशि व्यय की गई ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २८**].

काश्मीर के विस्थापित व्यक्ति

१६३६. श्री याज्ञिक : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर को १ नवम्बर, १९५७ से ३१ मार्च, १९५७ तक की अवधि में शरणार्थियों के पुनर्वास पर निम्नांकित कार्यों के लिये कुल कितनी राशि दी गई और वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई :

(१) उन को ऋण देने,

(२) उन को सहायता देने, और

(३) उन के प्रशिक्षण, शिक्षा केन्द्रों और छात्रवृत्तियों पर ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य-मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : जम्मू तथा काश्मीर राज्य को १ नवम्बर, १९४७ से ३१ मार्च, १९५७ तक की अवधि में ३५४ लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी। इस में से लगभग १८० लाख रुपये ऋण के रूप में, लगभग १५९ लाख रुपये सहायता के लिये और लगभग १५ लाख रुपये शिक्षा और प्रविधिक प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिये थे। इन मदों में जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा वास्तव में व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त हो जाने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

काश्मीर में प्रचार पर व्यय

†१६३७. **श्री याज्ञिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य को निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत १ नवम्बर, १९४७ से ३१ मार्च, १९५७ तक की अवधि में कुल कितनी राशि दी गई और वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई :

(१) प्रसारण ; और
(२) सूचना ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : एक विवरण जिस में आवश्यक जानकारी दी गई है लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९**].

उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां

†१६३८. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में औद्योगिक तथा ग्रामीण औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिये केन्द्र द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में आदिवासी और हरिजन क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखते हुए कितनी ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां खोली जाने वाली हैं तथा किन किन स्थानों में ; और

(ग) क्या विभिन्न राज्यों को भारत सरकार की ऐसी कोई सिफारिशें हैं कि ऐसे विकास कार्यों के लिये अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों को अधिमान्यता दी जाय ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) उड़ीसा सरकार को दूसरी योजना में औद्योगिक बस्तियों के लिये ६२.७० लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। १९५७-५८ का आवंटन ५.१३ लाख रुपये है। ग्रामीण औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिये किसी भी राज्य में कोई पृथक राशि नहीं आवंटित की गई है।

(ख) उड़ीसा सरकार निम्नलिखित स्थानों में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का विचार कर रही है :

(१) कटक
(२) रूरकेला

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) झरसुगादा

(४) जैपुर

(५) केन्द्रपाड़ा (सामुदायिक परियोजना क्षेत्र)

राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त स्थानों का चयन उद्योगों की आवश्यकताओं का विचार कर के किया गया है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

विधान का प्रचार

†१६३९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी विधान का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करने के लिये अधिक जोरदार प्रयत्न करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) तथा (ख). राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित विधान के प्रचार की जिम्मेदारी मूलतः राज्य सरकारों की है । जहां तक संसद् द्वारा पारित विधान का सम्बन्ध है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार, जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, रेडियो, समाचार पत्र, चलचित्र, पोस्टर, फोल्डर, पर्चों, सिनेमा की स्लाइडों आदि विभिन्न साधनों द्वारा किया जाता है ।

खनिकों का परिवार

†१६४०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खनिकों के क्षय-ग्रस्त परिवार को कोई सुविधायें देती है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रदान की जाने वाली सुविधायें किस प्रकार की हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) जिन कोयला खान मजदूरों की मासिक आय ३०० रुपये तक है उन के परिवारों का कोयला खान मजदूर कल्याण निधि द्वारा चालित क्षय रुजालयों[७] में निशुल्क अन्तर्वास और बहिर्वास उपचार किया जाता है ; खनिकों के परिवारों को क्षय की उन आरोग्यशालाओं[८] में भी प्रवेश मिल सकता है जिन में निधि ने चारपाइयां सुरक्षित की हों ।

अभ्रक खान मजदूर कल्याण निधि का कर्मा के केन्द्रीय अस्पताल से सम्बद्ध एक छोटा सा क्षय-बोर्ड है जिस में अभ्रक खनिकों के परिवारों के क्षय-ग्रस्त सदस्यों को प्रवेश मिल सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[७]T.B. Clinics.

[८]Sanatoria.

पंजाब में गन्दी बस्तियों की सफाई

१६४१. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब राज्य में गन्दी बस्तियों की सफाई और उन के सुधार की कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) १९५७-५८ में अभी तक कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों का हटाया जाना

†१६४२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में (३० नवम्बर, १९५७ तक) दिल्ली से केन्द्रीय सरकार के कितने दफ्तर बाहर भेजे गये हैं ; और

(ख) उन्हें किन किन स्थानों को भेजा गया है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारी पानी का कारखाना[१]

†१६४३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३१ जुलाई १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा नांगल में भारी पानी के कारखाने के निर्माण के समय से क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : उर्वरक संयंत्रों के संभरण, उन की स्थापना एवं उन्हें चालू करने के लिये आस्थगित भुगतान की शर्तों पर एक फ्रांसीसी सार्थ को ठेका दिया गया है । विद्युत् सम्बन्धी उपकरण के आस्थगित भुगतान शर्तों पर संभरण के लिये एक समझौता शीघ्र ही होने की आशा की जाती है । भारी पानी के संयंत्र के संभरण, उस की स्थापना एवं उसे चालू करने के लिये टेंडर नांगल फर्टिलाइज़र एण्ड कैमिकल्स (पी) लिमिटेड को प्राप्त हो गये हैं और उन की जांच की जा रही है ।

लगभग आधी स्थायी बस्ती के निर्माण के लिये टेंडर प्राप्त हो गये हैं और उन की जांच की जा रही है । बस्ती के एक भाग में नालियों के निर्माण के लिये टेंडर आमंत्रित किये गये हैं ।

रेलवे साइडिंग के निर्माण का कार्य अनुसूची के अनुसार चल रहा है और उस के मई, १९५८ के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Heavy Water Factory.

जूट मिलें

†१६४४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय जूट मिलों में कितनी उत्पादन क्षमता अप्रयुक्त है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** इस समय ७,८४२ करघे, जिन की उत्पादन क्षमता लगभग १२,००० टन जूट का माल प्रति माह है तथा जो जूट मिलों के करघों की संख्या के १२½ प्रतिशत हैं, अप्रयुक्त हैं ।

ओखला (दिल्ली) में औद्योगिक बस्ती

†१६४५. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री नवल प्रभाकर
श्री हेडा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ओखला स्थित औद्योगिक बस्ती में अभी तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस बस्ती में किसी विस्तार कार्यक्रम का विचार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां कौन से नये उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) पैंतीस कारखाने पूरे बन चुके हैं । प्रशासकीय खण्ड के निर्माण का कार्य चल रहा है और कार्यक्रम के अनुसार उस को जनवरी, १९५८ के मध्य तक पूर्ण हो जाना चाहिये । समस्त ३५ कारखाने आवंटित कर दिये गये हैं और २१ कारखानों पर कब्जा किया जा चुका है । शेष १४ पर शीघ्र कब्जा किये जाने की आशा की जाती है । कब्जे में किये गये २१ कारखानों में से १२ में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) ७३ उद्योगों के लिये १४० व्यक्तियों से प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं जिन की सूची लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०**] उन पर नये कारखानों के बन जाने पर विचार किया जायगा ।

कुनैन का उत्पादन

†१६४६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में (३० नवम्बर, १९५७ तक) कुनैन का कितना उत्पादन हुआ ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** जनवरी, १९५७ से सितम्बर १९५७ तक ५१,८२६.६२ पौंड कुनैन का उत्पादन हुआ । अक्तूबर और नवम्बर के उत्पादन के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में शहतूत की पैदावार करने वाले

†१६४७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में (अब तक) पंजाब राज्य में शहतूत की पैदावार करने वालों को ऋण तथा अनुदान देने के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने कितनी राशि आवंटित की ; और

(ख) ये ऋण किन शर्तों पर दिये जाते हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) यद्यपि तीन योजनाओं के लिये ४७,११५ रुपये सहायक अनुदान के रूप में मंजूर किये गये हैं तथापि १९५७ में पंजाब राज्य की रेशम के कीड़े पालने की कोई ऐसी योजना अनुमोदित नहीं हुई है जिस में ऋण देने की व्यवस्था हो । सामान्यतः शहतूत की पैदावार करने वालों को प्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता नहीं दी जाती है, परन्तु बढ़िया किस्म के पौधे और बीज आदि दिलाने के लिये राज्य सरकारों के द्वारा सुविधायें दी जाती हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में हथकरघा उद्योग

†१६४८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हथकरघा उद्योग का विकास करने के लिये पंजाब राज्य को ऋण अथवा अनुदानों के रूप में कोई राशि स्वीकृत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां ।.

(ख) ४०.४४ लाख रुपये ।

कुटीर दियासलाई उद्योग

१६४९. **श्री भक्त दर्शन :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १० सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १६२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दियासलाई तैयार करने के एक सौ नये कुटीर उद्योग केन्द्र स्थापित करने का किन किन स्थानों पर निश्चय किया गया है ;

(ख) इन केन्द्रों को चालू करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) शेष सौ केन्द्रों के लिये स्थान चुनने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). नये सौ केन्द्र निम्न राज्यों में खोले जायेंगे :

राज्य का नाम	केन्द्रों की संख्या
आंध्र	१०
आसाम	५
बिहार	१५
केरल	५
मद्रास	३०
मैसूर	१५
उत्तर प्रदेश	२०

हाल ही में इन के लिये वित्तीय बंटन भी कर दिया गया है। इन के लिये सब से पहले प्रारंभिक काम जैसे स्थान का चुनाव करना, उपयुक्त इमारतें बनाना, कारखाने चलाने के लिये लाइसेंस हासिल करना और रासायनिक पदार्थ तथा कच्चे मालों की खरीद करना, पूरे करने होंगे। इस-लिये कारखानों में उत्पादन शुरू होने में कुछ समय लगेगा।

(ग) चालू साल का कार्यक्रम दियासलाई बनाने के 'घ' श्रेणी के इन सौ नये कारखानों तक ही सीमित रखने का प्रस्ताव है जिन का उल्लेख (क) भाग में किया गया है।

काजू

†१६५०. श्री वें० प० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वगामी वर्ष की तुलना में १९५६-५७ में भारत को काजू के निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३१].

भूमि खरीदने के लिये ऋण

†१६५१. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नफरगंज देवनगर बस्ती थाना कैनिंग २४ परगना के ५९ कृषि परिवारों को उन के स्वीकृत 'बयाननामों' पर भूमि खरीदने के लिये ऋण मंजूर कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऋण के कब तक मंजूर होने की आशा है ;

(ग) सरकार के पास उन के 'बयान नामे' भेजे जाने कितना समय हो गया है ; और

(घ) विलम्ब का क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य-मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) ५९ परिवारों में से जिन्हों ने आवेदन पत्र भेजे थे ४७ परिवारों को ऋण मंजूर कर दिये गये हैं। १२ परिवारों को ऋण नहीं दिये जा सके क्योंकि उन के मालिकाना अधिकारों में कुछ दोष थे।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ). 'बयाननामें' सरकार को नहीं बल्कि जिला पदाधिकारियों को देने होते हैं। अगस्त १९५६ में राज्य सरकार को जिला पदाधिकारी से ऋण देने सम्बन्धी सुझाव मिला था। क्योंकि प्रत्येक परिवार द्वारा मांगा गया ऋण विहित अधिकतम राशि से अधिक था इसलिये इस बात का निर्णय करने के लिये कि अधिकतम मात्रा में छूट देना ठीक होगा या नहीं भूमि की किस्म, उस के वर्तमान मूल्य आदि के बारे में पूछताछ करना आवश्यक था। यह पूछताछ करने में कुछ समय लग गया और राज्य सरकार को जिला पदाधिकारी की अन्तिम सिफारिशें जुलाई, १९५७ में मिलीं। अगस्त, १९५७ में मंजूरी दे दी गई।

गन्दी बस्तियों की सफाई

†१६५२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रत्येक राज्य के लिये गन्दी बस्तियां हटाने की कितनी योजनायें स्वीकृत की हैं ;

(ख) उन योजनाओं को पूरा करने के लिये अनुमानतः कितनी राशि की आवश्यकता है ; और

(ग) इन में से कितनी योजनाओं पर प्रत्येक राज्य में काम हो रहा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). एक विवरण जिस में मांगी गई जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या** ३२].

निष्क्रान्त सम्पत्ति

१६५३. **श्री पदम देव** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५१ माल रोड, शिमला पर स्थित दुकान संख्या १३ आग से नष्ट हो गई और किरायेदार ने उस में आवश्यक मरम्मत करा ली ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मरम्मत पर कुल खर्चा लगभग सात हज़ार हुआ और कस्टोडियन जनरल ने इस को स्वीकृति दे दी थी ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अभी तक किरायेदार को रुपया नहीं दिया गया है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) मंजूर की गई रकम का बिल अदायगी के लिये २६-११-५७ को मंत्रालय के पे एन्ड अकाउंट्स आफिसर के पास भेजा गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी गृह निर्माण

†१६५४. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गृह-निर्माण का प्रोत्साहन करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : सहकारी संस्थायें बनाने और उन का विकास करने का काम वास्तव में राज्य सरकारों का है। राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण और अलग अल्पआय वर्ग गृह-निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार बड़ी सरल और आकर्षक शर्तों पर सहकारी गृह निर्माण योजनाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता देती है। औद्योगिक श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं को स्वयं मकान बनाने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये हाल ही में मैसूर में हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन में कुछ सिफारिशें की गई हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। सिफारिशों की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

करघों और तकुओं के लाइसेंस देना

†१६५५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में अब तक पंजाब और दिल्ली में कितने करघों और तकुओं के लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) इन में से कितने लाइसेंस प्रयोग में लाये गये हैं और कौन कौन सी सार्थें लाइसेंसों का उपयोग नहीं कर सकीं ;

(ग) क्या इस बात का प्रयत्न किया गया है कि लाइसेंस का प्रयोग न करने वालों के लाइसेंस अन्य समवायों अथवा सार्थों को दे दिये जायें ; और

(घ) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिस से भारत के उत्तरी जोन में उत्पादन बढ़ा कर वहां की स्थानीय आवश्यकतायें पूरी कर दी जायें ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण जिस में मांगी गई जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३**].

पोर्ट ब्लेयर, अन्दमान के नाविक विभाग की श्रमिक समिति

†१६५६. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर, अन्दमान के नाविक विभाग की श्रमिक समिति के निर्वाचन अक्तूबर, १९५७ में नियमित रूप से हुए थे;

(ख) क्या सरकार को पोर्ट ब्लेयर के नवीन कर्मचारी संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). सरकार को एक शिकायत मिली है कि पोर्ट ब्लेयर के नाविक विभाग की श्रमिक समिति के निर्वाचन में कुछ बेकायदगियां हुई थीं। अन्दमान और निकोबार द्वीप के मुख्य आयुक्त ने सूचना भेजी है कि निर्वाचन औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ के अनुसार हुए थे।

निकोबार द्वीपों में खोपरा और सुपारी

†१६५७. डा० राम सुभग सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री कार निकोबार तथा अन्य निकोबार द्वीपों में खोपरा और सुपारी सम्बन्धी १३ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १८०८ के भाग (ख) और (घ) में जो जानकारी देने का वायदा किया गया था क्या वह देने की कृपा करेंगे ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : भाग (ख) कार निकोबार और अन्य निकोबार द्वीपों में खोपरा और सुपारी की कीमत खरीद पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा बताई गई कलकत्ता बाजार के विक्रय मूल्य के आधार पर निश्चित की जाती है।

भाग (घ)	सरल लाभ	१९५६ में सरकार को देय लगभग स्वामित्व
मैसर्ज कारनिकोबर ट्रेडिंग कं०	१,८८,३५१	५६,००० रुपये
मैसर्ज अकूजी जादवेत एण्ड कं०	१,६१,६००	८२,००० रुपये

जूते बनाने का उद्योग

†१६५८. श्री संबंदम् : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने राज्यों की योजनाओं, जैसे कि मद्रास में जूते बनाने का उद्योग, के लिये कितनी सहायता दी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४]

वस्तुओं में अपमिश्रण

†१६५९. कुमारी मो० वेद कुमारी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खुदरा विक्रेताओं की इस शिकायत पर विचार करती है कि वे खाद्यान्न के अतिरिक्त जो वस्तुयें बन्द डिब्बों में थोक विक्रेताओं से खरीदते हैं उन में भी अपमिश्रण होने पर उन्हें ही दण्ड दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). भारत सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है। राज्य सरकारों से प्रतिवेदन मांगे गये हैं और प्राप्त होने पर जानकारी यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५८-५९ के लिये विकास योजनायें

†१६६०. **श्री संगण्णा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपनी १९५८–५९ की विकास योजनायें उस कार्यक्रम के अनुसार २५ नवम्बर, १९५७ तक भेज दें जिस में यह अवेक्षित है कि सम्पूर्ण योजना का अन्तिम प्रतिवेदन अगले वर्ष जुलाई तक तैयार हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सब राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त हो गई है; और

(ग) प्रत्येक राज्य की विकास योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** :(क) जी, हां ।

(ख) अभी तक निम्नलिखित क्षेत्रों से १९५८–५९ की विकास योजनायें प्राप्त हुई हैं :

राज्य : आन्ध्र प्रदेश, बम्बई, मद्रास, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, और बिहार :

संघ क्षेत्र : दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, लक्कदीव अमीनदीवी द्वीप, और उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण ।

(ग) इस अवस्था में हम यह जानकारी नहीं दे सकते ।

चांदीपुर समुद्र तट (उड़ीसा) पर रेत

†१६६१. **श्री का० चं० जेना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में बालासोर जिले में चांदीपुर के निकट समुद्र तट पर कुछ मूल्यवान रेत मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस का रासायनिक परीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :(क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग

†१६६२. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में "प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग" योजना को सफल बनाने के लिये इस के विरोध को समाप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : सरकार का विचार है कि देश में जो कार्मिक संघ हैं वे आपसी शत्रुता को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि उसी के कारण पैदा होने वाली कठिनाइयों से प्रबन्ध म भाग नहीं ले सकते हैं। यदि कार्मिक संघ इस शत्रुता अथवा विरोध को समाप्त करने का प्रयत्न करें तो सरकार इस का स्वागत करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर परिवहन श्रमिक

†१६६३. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में मोटर परिवहन श्रमिकों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या मोटर परिवहन श्रमिक सम्मेलन ने सरकार के पास इस बारे में कोई अभ्यावेदन भेजा कि उन की सेवा की शर्तों में सुधार किया जाये; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) २२११ ।

(ख) परिवहन श्रमिकों से उन की सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिये अलग विधान बनाने के बारे में समय समय पर अभ्यावेदन मिलते रहते हैं ।

(ग) इस प्रश्न की जांच करने के लिये एक त्रिपदीय समिति स्थापित की गई है । उस का प्रतिवेदन मिलने वाला है ।

बागान श्रमिक अधिनियम

†१६६४ **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में किसी चाय बागान ने बागान श्रमिक अधिनियम को लागू किया है;

(ख) किन किन चाय बागान ने अंशतः उस अधिनियम को लागू किया है;

(ग) अधिनियम को लागू कराने में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) अधिनियम को लागू कराने में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). त्रिपुरा में सभी चाय बागान धीरे-धीरे बागान श्रमिक अधिनियम लागू कर रहे हैं ।

(ग) त्रिपुरा प्रशासन ने एक मशीनरी नियुक्त की है जो इस बात का ध्यान रखेगी कि अधिनियम ठीक प्रकार लागू हो ।

(घ) आवास तथा चिकित्सा सुविधायें कुछ कठिनाइयां पैदा कर रही हैं क्योंकि चाय बागान छोटे-छोटे हैं और उन की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है ।

कोयला खान कल्याण आयुक्त (बिहार)

†१६६५. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रणा समिति ने कई बार जो सरकारी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की मांग की अब तक कोयला खान कल्याण आयुक्त (बिहार) उसे देने से इंकार करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में पानी का स्तर

†१६६६. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमिगत जल स्तर को कम करने के लिये, जिस के बढ़ जाने से दिल्ली में इमारतों की नीवें खतरे में पड़ गई थीं, अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अतिल कु० चन्दा) : यह ठीक नहीं है कि भूमिगत जल स्तर से इमारतों की नीवों को खतरा पैदा हो गया था । उसे कम करने के लिये कुछ नलकूप लगाये जा रहे हैं । मैदानों, बागीचों और बागों में नालियां आदि को सुधारने के लिये एक गहन सर्वेक्षण किया गया है और टैक्नीकल विशेषज्ञों की और सिफारिशें मिलने वाली हैं ।

राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति

१६६७. श्री प० ला० बारूपाल : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के जिला गंगानगर में बहुत से शरणार्थियों की दुकानें, १९ अक्तूबर, १९५७ को आग से भस्म हो गईं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में शरणार्थियों को सहायता देने के लिये सरकार से कोई प्रार्थना की गई है;

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है; और

(घ) जिन शरणार्थियों की दुकानें जल कर भस्म हो गईं उन में कितने ऐसे शरणार्थी हैं जिन्हें पुनर्वास मंत्रालय ने व्यापार करने के लिये कर्जा दिया था ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). श्री कर्णी सिंह जी संसद सदस्य की मार्फत गंगानगर के कुछ शरणार्थी दुकानदारों का एक प्रार्थना पत्र जिन की दुकानें अक्तूबर १९५७ में आग से भस्म हो गई थीं, आया था । उन्हें जल्द सहायता दिये जाने के लिये ५०० रुपये की रकम अनुदान के रूप में दी गई । क्योंकि बाढ़, सूखा और आग आदि के मामलों में शरणार्थी और स्थानीय लोगों के साथ समान बरताव होता है, इस लिये उन लोगों को राज्य सरकार से इस बारे में प्रार्थना करने के लिये सलाह दी गई है ।

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

शराब का आयात

१६६८. श्री प० ला० बारूपाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ से अक्तूबर, १९५७ तक कितने रुपये की अंग्रेजी शराब बाहर से मंगाई गई; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसी अवधि में कुल कितने गैलन देशी शराब भारत में तैयार की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) जनवरी, १९५६ से जून १९५७ तक कुल १६,९१,००० की शराब विदेशों से आयात की गई। उसी अवधि में ब्रिटेन से आयात की गई शराब का मूल्य ४,२८,००० रु० था। जुलाई-अक्तूबर १९५७ की अवधि में हुए आयात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†१६६९. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री घोषाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में सिन्दरी फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड ने ४ करोड़ रुपये से अधिक मुनाफा कमाया है ;

(ख) यदि हां, तो मुनाफे का कितना भाग उस के कर्मचारियों में बांटा गया है; और

(ग) किस प्रकार ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में ४ करोड़ रुपये से कुछ अधिक सकल लाभ प्राप्त हुआ ।

(ख) और (ग). लाभांश के रूप में कर्मचारियों में लाभ का कोई अंश नहीं बांटा जा रहा है। १९५७ में १६ लाख रु० का प्रसादतः तदर्थ भुगतान स्वीकृत किया गया था; इस में से १२ लाख रुपये का भुगतान नकद दिया जाना था और ४ लाख रुपये कर्मचारियों की भविष्य निधि में पर्याप्त वृद्धि करने के लिये उपयोग करने के हेतु था ।

अमोनियम नाइट्रेट

†१६७०. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री सुबोध हासदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रूस सरकार ने भारत को ३०,००० टन अमोनियम नाइट्रेट देने का वायदा किया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : रूस सरकार ने १०—१५ हजार टन अमोनियम नाइट्रेट देने को कहा है ।

मशीनों और अन्य सामग्री का आयात

†१६७१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में अब तक, मशीनों और अन्य सामग्री के आयात पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ख) उसी अवधि में विलास वस्तुओं के आयात पर कितनी राशि खर्च की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ४९९.७५ करोड़ रुपये ।

(ख) 'विलास वस्तुओं' को अलग श्रेणी में नहीं रखा जाता है। १९५७ में इन वस्तुओं के लिये जो लाइसेंस दिये गये उन की संख्या बहुत कम थी ।

छोटे पैमाने के उद्योग

†१६७२. श्री प्र० गं० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में हाल ही में छोटे पैमाने के उद्योगों सम्बन्धी बोर्ड की जो बैठक हुई उस का क्या परिणाम निकला और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये क्या नीति निर्धारित की गई ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): १९ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २७५ के उत्तर में छोटे पैमाने के उद्योगों सम्बन्धी बोर्ड की नवीं बैठक का कार्यवाही सारांश, जिस में बोर्ड से सिफारिशें हैं, सभा-पटल पर रखा जा चुका है ।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये बोर्ड नीति नहीं बनाता। छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये उस ने विशेष सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

सभा का कार्य

†श्री त्रि० कु० चौधरी : (बरहामपुर) : श्रीमान्, सभा का कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, मैं इस पक्ष के कुछ सदस्यों की ओर से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम के विनियोजनों संबंधी श्री फीरोज गांधी के प्रस्ताव पर चर्चा के लिये समय बढ़ा दिया जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : जब उस प्रस्ताव पर चर्चा हो तब तक उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिये। चर्चा प्रारम्भ होने पर समय बढ़ाने का प्रश्न सभा के समक्ष रखा जा सकता है और उसी समय समय घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर की शुद्धि

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : लोक सभा में १७ मई, १९५७ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर में सभा को बताया गया था कि १९५५–५६ तथा १९५६–५७ में क्रमशः २,३०० तथा १००० सामुदायिक रेडियो सेट पंजाब राज्य को दिये गये थे। परन्तु ठीक स्थिति इस प्रकार है कि १९५५–५६ में पंजाब सरकार को २,३०० रेडियो सेट देने के आदेश दिये गये थे परन्तु केवल ४०० रेडियो सेट दिये गये। शेष १,९०० रेडियो सेट तथा १९५६–५७ के लिये दिये गये १००० रेडियो सेट, १९५६–५७ में दिये गये हैं ।

१९५५-५६ में पेप्सू को ३१० रेडियो सेट दिये गये थे। पेप्सू अब पंजाब राज्य में मिला दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

खाद्य अपमिश्रण रोक नियमों में संशोधन

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(१) दिनांक २५ फरवरी, १९५६ का एस० आर० ओ० संख्या ४६५।

(२) दिनांक २६ मई, १९५६ का एस० आर० ओ० संख्या १२०२।

(३) दिनांक २८ सितम्बर, १९५६ का एस० आर० ओ० संख्या २२१३।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी–४३९/५७]

समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियमों और प्रपत्रों का संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियमों और प्रपत्रों १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ दिसम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३८६७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी–४४०/५७]

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक*

†**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (श्री क०च० रेड्डी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अचल संपत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक और सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक १९५७, और सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधेयक, १९५७ पर विचार होगा। सामान्य चर्चा के लिये ३-३० घंटे में से १ घंटा १६ मिनट समाप्त हो चुके हैं। खण्डवार चर्चा तथा तृतीय वाचन के लिये ३० मिनट रखे गये हैं। सेठ अचल सिंह अपना भाषण जारी रखें।

सेठ अचल सिंह (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, जो एक्साइज ड्यूटी के बंटवारे का बिल हमारे सामने पेश है उसका मैं स्वागत करता हूं। यह बिल फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पेश किया गया है। लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि जो पहले ४० फीसदी एक्साइज ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट होती थी उसको २५ फीसदी कर दिया गया है। इस वक्त तक तीन चीजों की एक्साइज

---

†मूल अंग्रेजी में।

*भारत के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, दिनांक १३-१२-५७ में प्रकाशित।

[सेठ अचल सिंह]

ड्यूटी का बटवारा होता था, अब चार और चीज़ बढ़ा दी गयी हैं। अब गवर्नमेंट को २९ करोड़ रुपया स्टेट्स को देना होगा जब कि वह पहले २२ करोड़ देती थी। लेकिन स्टेट्स की जो फाइनेंस की मांग है वह इससे पूरी नहीं हो सकती है। अच्छा तो यह होता कि जो ४० परसेंट पहले दी जाती थी वही दी जाती रहे। लेकिन अगर फाइनेंस कमीशन की यह रिपोर्ट है कि बजाये ४० के २५ परसेंट दिया जाये, तो मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि सेंटर से स्टेट्स को दूसरे महकमों में, पंचवर्षीय योजना में और डेवेलपमेंट के कामों में सहायता मिलती है। सेंटर की आमदनी और स्टेट्स की आमदनी करीब करीब बराबर है। ऐसी सूरत में सेंटर का यह फर्ज है कि जो स्टेट्स उससे सम्बन्ध रखती हैं उनको हर तरह की सहायता दी जाये।

मैं इसका भी स्वागत करता हूं कि स्टेट्स को सेंटर को लोन देने थे उनकी मियाद १५ और ३० बरस कर दी गयी है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स ५५ परसेंट राज्यों को मिलता था वह ६० परसेंट कर दिया गया है।

लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आयी। फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में शुगर, तम्बाकू और टैक्सटाइल मिल्स के कपड़े पर एक्साइज़ ड्यूटी लेने की सिफारिश की थी। मुझे अफसोस है कि मिल वस्त्र पर सेल्स टैक्स के बजाये एक्साइज़ ड्यूटी नहीं लगायी गयी है। इस मामले को हम लोग पिछले कई वर्षों से पेश करते आ रहे हैं कि कपड़े पर सेल्स टैक्स होने की वजह से राज्यों को काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि जो कपड़ा बेचने वाले हैं वे गलत नामों से कपड़ा लाते हैं और सेल्स टैक्स न देकर उसे बेच देते हैं। इसी प्रकार इनकम टैक्स में अपना हिसाब कुछ का कुछ दिखाते हैं और स्टेट्स को नुकसान होता है। इस प्रकार राज्यों को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। मुझे अफसोस है कि जो तमाम देश की मांग थी कि कपड़े पर सेल्स टैक्स के बजाये एक्साइज ड्यूटी लगायी जाये वह अभी तक नहीं लगायी गयी। मुझे आशा है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस बात पर गौर करेंगे और जल्दी से जल्दी इस तरह का बिल लायेंगे जिससे कपड़े पर बजाये सेल्स टैक्स के एक्साइज़ ड्यूटी लगायी जाये। मैं इन शब्दों के साथ इस बिल का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब हिन्दुस्तान के व्यापारियों की बरसों की इस मांग पर ध्यान देंगे कि कपड़े पर सेल्स टैक्स के बजाये एक्साइज़ ड्यूटी लगायी जाये और ऐसा करने के लिये जल्दी से जल्दी एक बिल लायेंगे और सबको राहत देंगे।

†श्री बर्मन (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां): माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि हमें इस विधेयक के उपबन्धों को स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि यह विधेयक वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इन सिफारिशों के अतिरिक्त यदि हमने और सिफारिशों को क्रियान्वित किया तो उससे आगामी १३ अथवा १५ वर्ष तक वित्तीय स्थिति बड़ी कठिन हो जायगी। परन्तु हमने आज के समाचारपत्रों में पढ़ा है कि वित्त मंत्री ने राज्य पालों के सम्मेलन में कहा है कि राज्यों को पर्याप्त रियायतें दी गई हैं और राज्यों को केन्द्र से इससे अधिक सहायता की आशा नहीं करनी चाहिये। मैं इसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

आयोग के प्रतिवेदन को देखकर यह पता लगता है कि उसके मुख्यतः तीन भाग हैं। पहला यह है कि आयकर ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत कर दिया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि आय कर में जो १० प्रतिशत वृद्धि की गई है इसमें से राज्यों का अंश कितना होगा तभी

---

†मूल अंग्रेजी में

तो उदारता से आवंटन कहा जा सकता है। केन्द्र चाहता है कि राज्य सरकारें कृषि, विकास, स्वास्थ्य शिक्षा तथा राष्ट्र बिकास की अपनी योजनाओं के लिये अपनी शक्तियों का उपयोग करे और केन्द्री सरकार से आशा न करे। मेरे विचार से इसका राज्यों के राष्ट्र विकास विभाग पर बुरा असर पड़ेगा।

अनुदान १६ करोड़ से ४० करोड़ रुपये कर दिये गये हैं। इस समय अनुदान के अन्तर्गत आने वाले सभी शीर्षों के सम्बन्ध में नहीं बताया जा सकता है परन्तु एक से उदाहरण दिये जा सकते हैं। पंजाब तथा बंगाल को सीमान्त राज्य होने के कारण कुछ अनुदान दिये जाते हैं जो उचित है। खाद्यान्न उपजावों आन्दोलन के सम्बन्ध में राज्य तथा केन्द्र दोनों की जिम्मेदारी है इसलिये यह धनराशि की वृद्धि उचित ही है।

उत्पादन शुल्क घटा कर ४० से २५ प्रतिशत कर दिया गया है जिसके लिये कहा जाता है कि प्रथम सूची में बहुत से कर बढ़ा दिये गये हैं इसलिये इसको कम कर दिया गया है। मेरे विचार से राज्यपाल सम्मेलन में माननीय वित्त मंत्री का यह कहना कि राज्यों को उदारता से धन दिया गया है ठीक नहीं है। क्योंकि सभी वृद्धि जो की गई है वह उत्पादन शुल्क में पूरी कर दी गई। मैं समझता हूं कि राज्य बड़ी कठिन स्थिति में पड़ गये हैं।

(पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए)

मैं यह बता देना चाहता हूं कि मेरे राज्य पश्चिमी बंगाल में राजस्व मुख्यतया भूराजस्व से आता था। परन्तु अब भू राजस्व की स्थिति बड़ी खराब हो गई है।

कुछ दिन पूर्व के विधान से कृषि आयकर भी समाप्त प्रायः हो गया है। देहाती क्षेत्रों में अधिक कृषि भूमि अब नहीं रह गई है जिसके फलस्वरूप यह कर भी कम उगाया जाता है। मेरा अपना विचार है कि कुछ समय पश्चात् कृषि आय-कर एक दम समाप्त हो जायगा।

राज्यों को मदिरा से पर्याप्त आय हो जाती है। परन्तु अपने मद्यनिषेध कर के राज्यों को उससे भी वंचित कर दिया और साथ ही साथ यह भी कहा कि राज्यों को अपने साधनों से अपनी योजनायें पूरी करनी चाहिये। इन तीन साधनों से ही राज्यों को आय होती थी जो अब समाप्त प्रायः हो गई है।

केन्द्र ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिये बहुत सी शक्तियां ले ली हैं और इसीलिये वित्त मंत्री से धन मांगने पर उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि राज्यों को पर्याप्त रियायतें दे दी गई हैं और उन्हें केन्द्र से और सहायता की आशा नहीं करनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें बतायें कि आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप राज्यों को कितनी कितनी धनराशि दी जायेगी।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : यह सभी जानते हैं कि सरकार को करारोपण करने का अधिकार है तथा करारोपण द्वारा इकट्ठी की गई धनराशि के वितरण करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। मैं विशेषतः अपने राज्य के बारे में कुछ कहूंगी। राज्यपालों के सम्मेलन में वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त आयोग ने राज्यों के आय के साधनों के लिये पर्याप्त व्यवस्था कर दी है और इसलिये उन्हें केन्द्रीय सरकार से और धनराशि की मांग नहीं करनी चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि हमें इस मामले में आस्ट्रेलिया का आदर्श सामने रख कर काम करना चाहिये। वहां

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती इला पालचौधरी]

पर राज्य केन्द्र को अपनी समस्यायें बताते हैं और केन्द्र उन्हीं के अनुसार उनको सुलझाता है और उसी के अनुसार धन का वितरण करता है। मैं समझती हूं कि हमें भी राज्यों की आवश्यकताओं को समझ कर धन वितरण करना चाहिये जिससे राज्य भी अपनी योजनाओं का विकास समुचित रूप में कर सकें ।

द्वितीय वित्त आयोग ने यह निर्णय किया है कि कुल आय कर राजस्व में से ६६ प्रतिशत राज्यों को देना चाहिये। इस ६६ प्रतिशत का ९० प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर राज्यों में वितरण हो जाना चाहिये तथा शेष १० प्रतिशत एकीकरण के आधार पर वितरित होना चाहिये। इस गणना से पश्चिमी बंगाल को ११.२५ प्रतिशत मिलने के स्थान पर १०.८ प्रतिशत मिलेगा जो कि बहुत कम होगा ।

वित्त आयोग ने पश्चिमी बंगाल में आने वाले शरणार्थियों पर विचार नहीं किया है। यद्यपि यह ठीक है कि शरणार्थी समस्या पर केन्द्रीय सरकार धन व्यय करती है परन्तु जब किसी छोटे राज्य में बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य घुस आयें तो यह निश्चित है कि उस राज्य की अर्थ-व्यवस्था गड़बड़ हो जायगी। वित्त आयोग को इस पर भी ध्यान देना चाहिये था। इसीलिये मैं भी यही चाहती थी कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले, हमें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिये था। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह इस सुझाव पर पुनः विचार करें कि राज्य केन्द्र से और अधिक धन की आशा न करें।

मैं जानना चाहती हूं कि राज्यों के क्या साधन हैं जिनसे वह अपनी योजना के लिये धन की व्यवस्था करें। हमें मद्यनिषेध नहीं करना चाहिये । मदिरा से पर्याप्त आय हो सकती है। और ऊंचे मूल्य होने के कारण लोग उसको पीने में भी दस बार सोच विचार करेंगे। इस प्रकार आय एक तीर से दो निशाने करेंगे ।

मेरा दूसरा सुझाव है कि करारोपण व्यवस्था को कठोर बना कर भी हम धन अधिक ले सकते हैं। मैसूर राज्य ने इसका प्रयोग किया और वह निधि बढ़ाने में सफल रहे। हमें केन्द्र में भी इसका प्रयोग करना चाहिये ।

कुछ राज्यों की कुछ योजनाओं, जैसे उत्तर प्रदेश की रिहांद योजना तथा बंगाल की फर्रका योजना, के लिये केन्द्र को अधिक धन देना चाहिये जिस से इन योजनाओं को पूरा किया जा सके और राज्यों का राजस्व बढ़ सके। यदि केन्द्र अपनी इस नीति कि राज्यों की योजनाओं का विकास न होने देना, को ही रखा तो मैं समझती हूं कि राज्यों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ेगी।

रेलवे कर के बारे में एक सदस्य ने कहा कि यद्यपि रेलों का विद्युतिकरण ठीक है परन्तु यह उस समय नहीं किया जाना चाहिये जब कि राज्यों में पिछड़े वर्गों का विकास करना हो। मेरा यह कहना है कि हमें बंगाल की रेलों का विद्युतिकरण अवश्य करना चाहिये क्योंकि इससे रेलवे का राजस्व बढ़ेगा। पश्चिमी बंगाल का अंश इसमें ६.३१ प्रतिशत रखा गया है जब कि मद्रास का अंश ६.४६ प्रतिशत रखा गया है। बंगाल की अपनी बहुत समस्यायें हैं इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उन समस्यायों पर विचार किया जाना चाहिये ।

†श्री घोषाल (उलुबेरिया) : मेरा भी यही मत है कि हमें वित्त आयोग के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखना चाहिये था और उसके पश्चात् इन विधेयकों को पुरःस्थापित करना चाहिये

†मूल अंग्रेजी में

था। मैं भी बंगाल के सम्बन्ध में ही कुछ कहना चाहता हूं। बंगाल सदा से पिसता आया है, इसके कई उदाहरण मिलते हैं। १९२५ में कर जांच समिति से १९३४ तक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा केन्द्र तथा राज्य के अंशों पर विचार हुआ और अन्त में मामला सर ऑटो नमियेर को १९३६ में सौंप दिया गया। नमिय्रेर समिति ने 'एकीकरण' को वितरण का आधार माना परन्तु फिर भी १५ अगस्त १९४७ से ३१ मार्च, १९५० तक कर राजस्व का वितरण इस प्रकार हुआ :

बम्बई	११ प्रतिशत
मद्रास	१८ ,,
पश्चिमी बंगाल	१२ ,,
उत्तर प्रदेश	१९ ,,
मध्य प्रदेश	६ ,,
पंजाब	५ ,,
बिहार	१३ ,,
उड़ीसा	३ ,,
आसाम	३ ,,

१९४८–४९ के लेखों से यह पता लगता है कि विभाजन के पश्चात् पश्चिमी बंगाल को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

राज्य	वितरण योग्य निधि में राज्यों का अंश		राज्य का अंश		प्रतिशतता
	(लाखों में)		(लाखों में)		
बम्बई	४१,६०	रुपये	९,९५	रुपय	२३.९२
पश्चिमी बंगाल	३०,७२	,,	६,४०	,,	२०.८३
मद्रास	८,९०	,,	८,२९	,,	९३.१५
उत्तर प्रदेश	४,७६	,,	८.५३	,,	१७८.०८
पंजाब	३,६७	,,	२,६१	,,	७१.१२
बिहार	१,८४	,,	५,९२	,,	३२१-७४
आसाम		,,			८४.२०
मध्य प्रदेश . .					२१५.१५
उड़ीसा . .					६१७.३९

इस तालिका से यह पता लग जाता है कि कुछ राज्यों ने आयकर दिया कम जब कि उनको अधिक धन मिल गया और बंगाल द्वारा अधिक धन दिये जाने पर भी कम धन ही मिला। संविधान बनाते समय श्री नलिनी सरकार के सभापतित्व में एक समिति बनाई गई जिसने जन संख्या के आधार पर वितरण स्वीकार किया। और बंगाल का अंश कम कर दिया गया। परन्तु श्री देशपांडे ने १९५० में इसको फिर बढ़ा दिया। प्रथम वित्त आयोग की सिफारिश पर नियोगी पंचाट दिया गया जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल का अंश १३.५ प्रतिशत से कम करके ११.२५ प्रतिशत कर दिया गया।

[श्री घोषाल]

द्वितीय वित्त आयोग के समक्ष पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें अंग्रेज़ों के काल से अब तक का कर वितरण इतिहास दिया गया था। और अपनी कठिनाइयां बताई गई थीं। और प्रार्थना की गई थी कि यदि कर राजस्व का वितरण जनसंख्या के आधार पर करके पश्चिमी बंगाल को कम धन दिया गया तो राज्य का विकास असम्भव हो जायेगा। परन्तु फिर भी उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। अब उन्होंने कुछ करारोपण प्रस्तावों को विधान सभा के साथ किया है जिसके कारण छोटी सिंचाई योजनायें भी पूरी नहीं हो सकेंगी। अन्त में, मेरी प्रार्थना है कि वित्त मंत्री पश्चिमी बंगाल की अनुदानों को बढ़ाने पर पुनः विचार करेंगे।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : इस विधेयक पर कुछ कहने से पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि वित्त आयोग की सिफारिशों पर वित्त मंत्री ने पूरी तरह ध्यान नहीं दिया है। यदि वह इन पर ध्यान देते तो मेरा विचार है कि इन सिफारिशों को इस प्रकार स्वीकार नहीं किया जाता कि कहीं कुछ भी परिवर्तन न हो। मेरा विचार है कि हमें इन सिफारिशों पर किसी विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिये थी।

संघ उत्पादन शुल्कों के सम्बन्ध में वित्त आयोग ने कहा है कि यदि ४० प्रतिशत की व्यवस्था रखी जाती तो राज्यों को कम धन मिलता। अब २५ प्रतिशत की व्यवस्था रखने से उनको अधिक निधि मिलेगी क्योंकि सामग्रियों की संख्या जिन पर उत्पादन शुल्क का अंश मिलेगा बढ़ा दी गई है। और इसलिये २५ प्रतिशत अंश कर दिया गया। परन्तु यह कारण पर्याप्त नहीं है। हमें वित्त मंत्री के द्वारा और कारण बताये जाने की आशा है।

उत्पादन शुल्क के वितरण के सम्बन्ध में सभी राज्यों ने सुझाव दिए परन्तु केन्द्रीय सरकार ने कोई सुझाव नहीं दिया। केन्द्रीय सरकार पर संघ क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है इसलिये उसको भी अपने सुझाव प्रस्तुत करने चाहिये थे। मेरा विचार है कि हमें केन्द्रीय सरकार की बातें भी इस बारे में पता लगनी चाहिये थीं। मेरा विचार है कि वित्त आयोग यदि जनसंख्या को वितरण का आधार बनाती तो भी प्रतिशतता ३५ आती और २५ नहीं आती। वित्त आयोग ने इसको मन-माने ढंग से निश्चित कर दिया है।

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किराये पर कर विधेयक के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध में १९५३ में अधिनियम बनाया गया था और उसी के आधार पर वितरण किया जा रहा है। यही इनके वितरण का सिद्धान्त है कि संसद् द्वारा बनाये गये अधिनियम के आधार पर ही इनका वितरण हो। सम्पदा शुल्क और रेलवे यात्री किराया कर को एक साथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सम्पदा शुल्क गत ४ वर्षों से हम तदर्थ निर्धारित कुछ आधारों पर वितरित करते रहे हैं। अतः मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को रेलवे यात्री किराया कर विधेयक से अलग रखना चाहिये था।

अभी तक सम्पदा शुल्क से होने वाली आय को राज्यों को वितरित करने की जो नीति है वह बहुत गड़बड़ीपूर्ण है। हमें चाहिये कि हम अचल तथा सचल सम्पत्ति की आय सभी को एकत्रित करके राज्यों में बांटें। राज्य सरकारों ने कुछ आर्थिक विकास योजनायें शुरु कर रखी हैं हमें उनमें भी मदद करना है। मद्यनिषेध तथा नमक सम्बन्धी नीति पर भी हमें फिर से विचार करना चाहिये।

मेरा विचार है कि मद्यनिषेध तथा नमक कर से हमें लगभग १५० करोड़ रुपये की आय होगी। बहुत से राज्य मद्यनिषेध योजना से खुश नहीं हैं फिर भी जबरदस्ती उसे चला रहे हैं। पर गांवों के

---

†मूल अंग्रेजी में

लोग इस योजना से खुश हैं । दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये हमें राज्यों को काफी धन देना है । नमक कर से हमें काफी धन मिल जायेगा और यदि मद्यनिषेध की नीति को हम कुछ ढीला कर दें तो उससे भी हमें काफी लाभ हो सकता है ।

†श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : आरम्भ से हमारे देश में वित्तीय प्रणाली एकात्मक स्वरूप की थी । इस शताब्दी के आरम्भ से ही राज्यों को कुछ वित्तीय क्षेत्रों का अधिकार मिला है । वित्त आयोग के प्रतिवेदन में भी यही कहा गया है कि राज्यों की आय के साधन बहुत सीमित हैं । केन्द्र तो अतिरिक्त करों द्वारा काफी धन पैदा कर सकता है पर बेचारे राज्य तो २ या ३ करोड़ रुपये भी अतिरिक्त करों से नहीं पैदा कर सकते ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में आशा थी कि राज्य सरकारें २३० करोड़ रु० के अतिरिक्त आय करेंगे पर उन्होंने केवल ८० करोड़ रु० किये । मैं नहीं समझता कि किस प्रकार वित्त मंत्री यह आशा कर रहे हैं कि नये और पुराने से मिलाकर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें १२०० करोड़ रुपये की आय करेंगी ।

कल वित्त मंत्री ने कहा कि हमें ५२ करोड़ रु० राज्यों को देने पड़ेंगे पर मेरा विचार है कि राज्यों को २४ करोड़ रुपये से अधिक सहायक अनुदान में नहीं मिलता । रेलवे यात्री किराया कर तथा सम्पदा-शुल्क पर तो संघ सरकार का अधिकार है ही नहीं । रेलवे कर से हमें लगभग १२ करोड़ रुपये मिलेंगे और सम्पदा-शुल्क से भी ३ करोड़ रुपये से अधिक नहीं मिलेंगे ।

यदि राज्यों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शेष समय में ५२ करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी तो शायद वह अपने उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह निभा पायें अन्यथा वे नहीं पायेंगे ।

प्रत्येक वर्ष हम पुनर्वास कार्यों, अधिक अन्न उपजाओ योजना तथा प्राइमरी शिक्षा आदि के लिए राज्यों को सहायता अनुदान देते रहते हैं । हम लोग जो राशियां राज्यों के लिए स्वीकृत करते हैं उनके लिए हम पूरी तरह से उत्तरदायी हैं पर हम देखते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हमारे वित्त मंत्री उन राशियों के व्यय पर कोई नियंत्रण रख सकें या उस के बारे में कोई जानकारी रख सकें । अभी उस दिन खाद्य तथा कृषि मंत्री भी कह रहे थे कि यद्यपि राज्यों को इतनी राशियां अधिक अन्न उपजाओ योजना के अधीन दी जा चुकी है पर अभी राज्यों का उत्पादन नहीं बढ़ा है अतः मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाये कि राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों के व्यय पर हम नियंत्रण रख सकें ।

कुछ संघीय राज्यों में, जैसा कि रूस में है और कुछ अंशों तक जर्मनी और स्विटजरलैण्ड में भी है, कि एक ही संघीय आय-व्ययक होता है । हमें चाहिये कि राज्यों को अधिक कर लगा कर अपने लिए स्वयं धन इकट्ठा करने की अधिक छूट न दें । हम संचित निधि में से जो धन राज्यों को देते हैं उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता । अतः या तो हम उनकी आय के लिए उन्हें अतिरिक्त साधन दें या फिर एक संघीय आय-व्ययक हो और यही सभा राज्यों के लिए धन स्वीकृत करे और उनके व्यय पर भी नियत्रण रखे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

बंगाल से आये माननीय सदस्यों ने जो मांग की है उनसे मैं सहमत हूं । हमारे देश में एक अजीब स्थिति है कि विभिन्न राज्यों का राजस्व केन्द्रीय सहायता को मिला कर ९ रु० प्रति व्यक्ति से १९ रु० प्रति व्यक्ति पड़ता है । ऐसी स्थिति में विभिन्न राज्यों के विकास में असमानता अवश्य होगी । उदाहरण के लिए बिहार को ले लीजिए । बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है । इसका असर बंगाल पर बहुत बुरा पड़ता है । अतः सभी राज्यों के समान विकास के लिए यह आवश्यक है कि सरकार इस बात पर ध्यान दे कि विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति राजस्व में समानता रखी जाये ।

द्वितीय वित्त आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि राज्यों को लगभग ८८० करोड़ रुपये की लागत के २७९२ ऋण दिये गये पर इन ऋणों को किसी भी निश्चित आधार पर नहीं दिया गया यह बात ठीक नहीं है । इसके लिए वित्त मंत्री को आयोग की सिफारिश मान कर कुछ आधार निश्चित करना चाहिए जिसके हिसाब से राज्यों को ऋण दिया जाये ।

यह बात बिल्कुल अन्याय है कि रेलवे यात्री किराया कर का बंटवारा राज्यों में इस प्रकार किया जायेगा कि जिस राज्य में जितने मील रेलवे लाइन हैं उसको उसी अनुपात से मिलेगा । रेलवे लाइनों का कम या अधिक होना केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है । राज्य इसमें क्या कर सकते हैं अतः एक तो जिस राज्य में कम रेलवे लाइन हैं वह घाटे में तो है ही फिर उसे इस कर के बटवारे में भी कम राशि दी जाये यह तो और भी अन्याय है ।

द्वितीय वित्त आयोग ने मीलों के आधार पर इस आय को वितरित करने की सिफारिश क्यों की है यह बात समझ में नहीं आई । हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और बम्बई को कुल आय का ३५ प्रतिशत मिलेगा जब कि शेष ग्यारह राज्यों में शेष ६५ प्रतिशत बंटेगा । मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री आयोग की सिफारिशों में परिवर्तन नहीं कर सकते पर वे ध्यान रखें कि अन्य राज्यों के साथ भी न्याय किया जाना चाहिए ।

कन्द्रीय उत्पादन शुल्क के संबंध में आयोग ने मदों की संख्या ५ से ८ कर दी है जब कि उन मदों की संख्या ४० से घटाकर २५ कर दी है जिनकी आय का बंटवारा होगा । समझ में नहीं आता कि इसके पीछे क्या तर्क है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्पादन शुल्क के मामले में पश्चिमी बंगाल के शरणार्थियों को क्यों छोड़ दिया गया । उनकी संख्या इस समय २८ लाख के लगभग होगी । यदि उनको भी ध्यान में रखा गया होता तो पश्चिमी बंगाल को कुछ लाख रुपये और मिलते । अतः माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इस बात पर अवश्य फिर से विचार करें ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग) : वैसे तो वित्त आयोग ने राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विचार किया है पर ऐसा लगता है कि उसने उनके साथ पूरा न्याय नहीं किया है । पहले राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी थी पर १९५० के बाद अर्थात् वित्तीय एकीकरण के बाद राज्यों की हालत खराब हो गई है । मैं मैसूर राज्य के बारे में बताता

---

†मूल अंग्रेजी में

हूं कि पहले वहां इतना काफी रक्षित धन था कि मैसूर राज्य सरकार सभी निर्माण और विकास कार्य स्वयं बड़ी आसानी से करा लेती थी । पर अब मैसूर राज्य भी तथा अन्य राज्यों की भी वित्तीय हालत बहुत खराब हो गई है । वे केन्द्र के दान तथा अनुदान पर ही आश्रित हैं । यदि केन्द्र अनुदान देना बन्द कर दे तो राज्यों के बहुत से काम ठप्प हो जायें ।

अब प्रश्न यह है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई ? इसके कई कारण हैं जैसे करों के सभी साधन केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से छीन लिये, यह लोकतंत्रात्मक सरकार अपनी आय का ध्यान किये बिना बहुत अधिक व्यय करती है और तीसरा कारण यह है कि राज्य सरकारें ऋण के बोझ से बुरी तरह लदी हुई हैं । राज्यों के हाथों से उत्पादन शुल्क तथा आय-कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया । अब उनको केवल भूमि राजस्व, कृषि आय-कर बिक्री-कर आदि की ही आय मिलती है । यह आय बहुत थोड़ी होती है और राज्यों के पास काम बहुत बढ़ गये हैं ।

इन करों के कारण भारत की जनता बहुत पीड़ित है । उस पर तीन तरफ से केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और स्थानीय निकायों द्वारा--कर लगाया जाता है वह इन्हीं करों के भार से पिसी जा रही है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए मैसूर राज्य सरकार ने कहा है कि वह केवल १ करोड़ रुपये व्यय कर सकती है । जब कि मैसूर राज्य सरकार के लिए ८३ करोड़ रुपये व्यय करने के लिए कहा गया है । यह ८२ करोड़ रुपये की कमी कैसे पूरी होगी ? अतः मेरा कहना है कि वित्त आयोग ने सभी समस्याओं पर ठीक प्रकार अध्ययन नहीं किया है । यह अतिरिक्त कार्य किस प्रकार पूरे होंगे ?

मैं देख रहा हूं कि अति केन्द्रीकरण हो रहा है और उसी के कारण यह सब कठिनाइयां हैं । सभी राज्य केन्द्र की सहायता पर निर्भर रहते हैं । यह अवस्था ठीक नहीं है। उनको निश्चित राशि अलग दे दी जानी चाहिए ताकि वें अपना काम ठीक प्रकार चला सकें ।

†**श्री नोशेर भरूचा** : (पूर्व खानदेश) : उत्पादन शुल्क के वितरण की समस्या से सब को बहुत असंतोष है । पर यह वितरण चाहे जनसंख्या या खपत या अन्य किसी भी आधार पर किया जायेगा पर राज्यों को कुछ न कुछ शिकायत अवश्य रहेगी । अतः वित्त आयोग ने जो कुछ भी निर्धारित कर दिया है उसको हमें मानना ही पड़ेगा ।

यह बात ठीक है कि राज्यों को अधिक राशि की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उन्हें अनेक विकास संबंधी कार्य करने हैं । मैं देखता हूं कि राज्यों की हालत यह है कि वे हर बात के लिए धन की मांग करने के लिए केन्द्र के पास आ जाते हैं ।

द्वितीय वित्त आयोग ने जो सिफारिश की है वह ठीक है । वित्तीय संकट के समय राज्यों को अनुदान दिया जायेगा जिससे वह काम चलायें ? यात्री किराया कर को रेलवे लाइन के मीलों के आधार पर विभाजित करना अनुचित है जन संख्या को भी इसका आधार बनाने में कठिनाई होगी । यात्रियों की संख्या के आधार पर भी इसका बंटवारा करना ठीक नहीं है । अतः वित्त आयोग ने जिस आधार पर वितरण करने का सुझाव दिया है उसी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नाशीर भरूचा]

आधार पर वितरण करना ठीक होगा । हां, आवश्यकता पड़ने पर राज्यों को कई वर्षों तक तदर्थ सहायक अनुदान दिये जा सकते हैं । अतः वित्त मंत्री को चाहिए कि वे वित्त आयोग की सिफारिशों को उसी रूप में स्वीकार करें इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है ।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : सबसे पहले मैं माननीय सदस्य श्री मोहम्मद इमाम की बातों का उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वित्तीय एकीकरण के पूर्व मैसूर राज्य काफी समृद्ध तथा सम्पन्न था । वहां का प्रत्येक कार्य, केन्द्रीय सरकार की किसी सहायता के बिना ही, आसानी से चल जाता था । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अब भी राज्यों के लिए आय के अनेक साधन तथा संसाधन खुले हैं । केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय एकीकरण के बाद भी राज्यों के सा पूरा सहयोग किया है । मेरा विश्वास है कि राज्य में ही त्रुटि है । यह कहना गलत है कि अनावश्यक व्यय किये जाते हैं । हमने कौन सा अनावश्यक व्यय किया है ? मतभेद किसी विशेष मामले में हो सकता है पर हमने अपव्यय बिल्कुल नहीं किया है ।

उन दिनों वेतनों के जो स्तर थे वह बहुत कम थे अब परिस्थितियां बदल गई हैं अतः उन स्तरों से काम नहीं चल सकता । क्या यह कहना गलत है कि केन्द्रीय सरकार ने इन छोटे छोटे पदाधिकारियों को अधिक वेतन दिया है ।

अन्यथा मैसूर राज्य के लिए यह कहां सम्भव था कि वह इतना कुछ कर डाले । थोड़े ही समय की बात है कि वहां बिजली आ जायेगी और सारा इलाका समृद्ध हो जायेगा । इसका श्रेय इसी बात को ही है कि हमारी संघ सरकार मदद कर रही है और संघीय वित्तीय एकीकरण की व्यवस्था है ।

श्री मोहम्मद इमाम की यह शिकायत भी गलत है कि वित्त आयोग ने केवल राजस्व की ओर ही ध्यान दिया और योजना सम्बन्धी सारे खर्चे पर कुछ विचार नहीं किया । परन्तु उसके लिए तो संविधान के अन्तर्गत एक अलग आयोग की व्यवस्था है । इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि इस वित्त आयोग ने पूंजी बांट के बारे में विचार ही नहीं किया ।

मैं ने वित्त आयोग के प्रतिवेदन का अध्ययन किया है । उन्होंने काफी परिश्रम किया है और प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं पर विचार किया है । श्री इमाम को यह बात देखनी चाहिए कि मैसूर को ६ करोड़ वार्षिक दिया गया है । ४ करोड़ आन्ध्र को और ४.७५ करोड़ पश्चिमी बंगाल को दिया गया है । और इसके अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं के लिए केरल को दिया जा रहा है, जिसका कि श्री इमाम ने अपने भाषण में उल्लेख किया है । मेरा मत यह है कि वित्त आयोग ने बहुत ही योग्यता के साथ यथार्थता के दृष्टिकोण से सभी राज्यों की आवश्यकताओं पर विचार किया है । हम आयोग के इस बात के लिए बहुत ही आभारी है ।

कल श्री विमल घोष ने कहा था कि पहले एकत्रित करके फिर बांटने का लाभ क्या है । हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सब एक ही योजना के अंग हैं । केवल

---

†मूल अंग्रेजी में

एक ही अंग को ले लेना ठीक नहीं रहेगा । और आयोग का सारा मामला ही खराब कर देगा । इसीलिए वित्त मंत्री ने आरम्भ में ही चेतावनी दे दी थी ।

मैं प्रसन्नता से इन दोनों विधेयकों का स्वागत करता हूं और वित्त आयोग को उनके महान कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं ।

†श्री पट्टाभिरामन् (कुम्बकोणम्) : ठीक ही कहा गया है कि वित्त आयोग ने बहुत ही शानदार काम किया है, और जितने अच्छे सम्भव परिणाम निकल सकते थे वह निकाले गये हैं । यदि मामला वित्त मंत्री पर छोड़ कर उन्हें सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से बातचीत करने के लिए कहा जाता, तो वित्तीय वितरण सम्बन्धी कोई भी निर्णय हो ही न पाता । वितरण सम्बन्धी शिकायतें सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ । शिकायतें यदि किसी को हो सकती हैं तो वह मद्रास, बम्बई और उत्तर प्रदेश हैं, परन्तु उन्होंने कोई शिकायत नहीं की ।

संविधान के अनुच्छेद २६९ (२) के अन्तर्गत करों का वितरण इस संसद् द्वारा किया जाना चाहिये, और दूसरे वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें की हैं उसके अनुसार अब उपलब्ध राशि २२.६४ करोड़ के स्थान पर २७.८० करोड़ हो जायेगी । और यह वृद्धि बहुत अच्छी है । श्रीमती इला पालचौधरी ने बंगाल की सहायता की बात कही है, मेरा कहना है कि केन्द्र की सहायता से यदि किसी राज्य को लाभ पहुंचा है तो वह पश्चिमी बंगाल ही है । आप उड़ीसा की दंडकारण्य योजना को ही ले लीजिये इससे पश्चिमी बंगाल को करोड़ों का लाभ हुआ है । वहां हजारों शरणार्थी हैं, हमें उनकी सहायता करनी है, और यह बड़ी आवश्यक बात है । परन्तु मेरा कहना है कि वितरण की शिकायत गलत है :

बंगाल का उल्लेख मैं कर रहा था, परन्तु पंजाब की सहायता भी आवश्यक है । पंजाब के किसी सदस्य ने शिकायत नहीं की, हालांकि उसकी स्थिति भी पंजाब जैसी ही है । मेरे मैसूर के मित्र श्री मोहम्मद इमाम ने शिकायत की है कि विलय के कारण राज्य को हानि पहुंची है । परन्तु इस बात को याद रखना चाहिए कि संघ मजबूत होगा तो सारा देश मजबूत होगा । यह कहना गलत है कि संघ पर बहुत जोर दिया जा रहा है । जहां तक वित्त आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है, उन्हें क्षेत्र, आबादी तथा अन्य कई बातों का ध्यान रख कर निर्णय करना था । और निर्णय करने से पूर्व इन सब बातों का ध्यान रखा गया है ।

अन्त में मेरा मत यह है कि जहां तक इस केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है, विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यक और सम्भव विकास आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिये । यदि एक खनिज एक स्थान पर उत्पन्न होती है, तो हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसका उत्पादन बढ़े ताकि सारे देश को लाभ हो । इसलिए यह कहना कि किसी सिद्धान्त के अनुसार भारत की संचित निधि से धन राज्यों को वितरण होना चाहिए, गलत बात है ।

मद्रास को सिफारिशों से लाभ हुआ है और हानि भी हुई है । हम ६.४६ करोड़ की रेल भाड़े के कर द्वारा अतिरिक्त आय हो गयी है । यह ठीक है, कि राज्यों का आधार भूराजस्व और बिक्री कर ही अधिक है । अच्छा विचार यही है कि बिक्री कर को एकत्रित करने और वितरण करने का अधिकार केन्द्र का ही हो । संविधान के विभिन्न उपबन्धों में यही तो है कि व्यापार और अन्तर्राज्यीय व्यापार की स्वतन्त्रता होगा । इसलिए इस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पट्टाभिरामन्]

संबध में किसी प्रकार की परेशानी पैदा करना ठीक नहीं । रूस में भी तो ऐसा ही होता है । इसलिए आयोग की सिफारिशों पर शिकायत मेरी समझ में नहीं आयी ? आयोग ने बहुत ही शानदार काम किया है, और उसके सदस्यों ने उनकी योग्यता और अनुभव का पूरा परिचय दिया है । भारत को मजबूत करके ही हम एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सकते हैं । वित्तीय अधिकार केन्द्र के ही हाथ में रहने चाहिए । यद्यपि वित्तीय स्वतन्त्रता तो होगी परन्तु राज्यों को बहुत अधिक अधिकार नहीं होंगे ।

मैं दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं और वित्त आयोग को उसके शानदार काम पर मुबारकबाद देता हूं ।

†**श्री बीरेन राय** (कलकत्ता–दक्षिण–पश्चिम) : यह कहना गलत है कि हमारे देश में संघीय प्रणाली की सरकार है हमारे देश में एकात्मक ढंग की सरकार है और इस कारण राज्यों को केन्द्र के पास भिक्षा मांगने जाना ही पड़ता है । संघीय प्रणाली में तो राज्यों को कर लगाने और उसे एकत्रित करने का अधिकार होता है । पश्चिमी जर्मनी में ऐसा ही है । हमारे यहां यह सब काम केन्द्र करे इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं । यह परम्परा है, परन्तु केन्द्र को यह धन ठीक ढंग से राज्यों को वितरण करना चाहिए । इस वितरण का आधार केवल जनसंख्या ही नहीं होनी चाहिए । पंजाब और बंगाल का जहां तक सम्बन्ध है वे विभाजन के कारण काफी घाटे में रहे हैं । पंजाब का दायित्व १३४ करोड़ रु० से ऊपर है और बंगाल का १५४ करोड़ रुपये है । बंगाल का खर्चा २५ प्रतिशत बढ़ा है । और पश्चिमी बंगाल में काफी कर बढ़ा देने से भी हम खर्चा पूरा नहीं कर सके । इसलिए इन हालात में हमारे लिए वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना असम्भव है ।

यदि इस आयकर का वितरण ठीक प्रतिशतता के आधार पर करना चाहते हैं तो ७५ प्रतिशत का बटवारा होना चाहिए । और वह भी परस्पर समझौते के आधार पर । मैंने अपने एक संशोधन में यही कहा है कि ५० प्रतिशत तो कुल संग्रह राशि का होना चाहिए, और ५० प्रतिशत का आधार जनसंख्या रखा जा सकता है ।

सम्पदा शुल्क के बारे में बहुत कम कहा गया है । इस सम्बन्ध में तीन बार मेरा वित्त मंत्री से पूछा गया प्रश्न रद्द किया जा चुका है । मैं ने कहा था कि इस मामले में हम अन्य देशों में प्रचलित प्रणाली को अपना सकते हैं । और निर्धार्य से अचल सम्पत्ति के रूप में सम्पदा-शुल्क वसूल कर सकते हैं । इसलिए इस बात का ध्यान रहते हुये नियमों में अथवा मूल सम्पदा-शुल्क अधिनियम में वित्त मंत्री महोदय को समुचित परिवर्तन करना चाहिए । इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पश्चिमी बंगाल जनसंख्या के अनुसार दूसरे स्थान पर और घनी आबादी के दृष्टिकोण से केरल प्रथम स्थान पर आता है । मेरी प्रार्थना है कि प्रतिशतता को इसी आधार पर परिवर्तित किया जाना चाहिए । यही बात मैं ने अपने संशोधनों में कही है, परन्तु वे तो अस्वीकृत कर दिये जायेंगे । चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी ५० प्रतिशत का मत्र ठीक रहेगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : केन्द्र और विभिन्न राज्यों में वितरण किये गये करों के आंकड़ों को देखते हुये हमें संविधान द्वारा केन्द्र और राज्यों पर डाली गयी इस महान जिम्मेदारी पर विचार करना ही होगा । ऐसे मामलों पर विवाद भी स्वाभाविक

---

†मूल अंग्रेजी में

है । वित्त आयोग के प्रतिवेदन से यह भी पता चलता है कि जब इस बांट के आधार बनाने के सम्बन्ध में राज्यों के सुझाव मांगे गये तो वे बहुधा परस्पर विरोधी थे । किसी ने भी सारे देश को दृष्टि में रख कर सुझाव नहीं दिये, हरेक ने अपने ही स्वार्थ और लाभ का ध्यान रखा है । इसलिए यद्यपि संविधान के अनुसार इस सभा को इस सम्बन्ध में निर्णय देने का पूरा अधिकार है कि वितरण के आधार क्या हों, परन्तु मेरा सुझाव है कि यह निर्णय किसी स्वतन्त्र निकाय द्वारा किया जाना चाहिए । क्योंकि विवाद में पड़ने से चाहे कुछ भी हो, थोड़ा बहुत पक्षपात आ ही जाता है । अब वित्त आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर ही यह दो विधेयक प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिनमें उन सिद्धान्तों की व्यवस्था कर दी जायेगी जिनके आधार पर वितरण होगा ।

बहुत से राज्यों ने यह सुझाव दिया है कि जो कुछ उत्पादन शुल्क आज कल केन्द्र द्वारा लगाया जाता है उसे संग्रह करके वितरण के लिए रखना चाहिए, और सभी उत्पादन शुल्कों को इस विधेयक की परिधि में ले आना चाहिए । इससे कई प्रकार के लाभ होने की सम्भावना है । यात्री भाड़े के सम्बन्ध में वित्त आयोग की यह सिफारिश किसी को पसन्द नहीं आई कि इसका वितरण मीलों के आधार पर होना चाहिए । इसके लिए वित्त आयोग को परिश्रम करके कोई अन्य ढंग निकालना चाहिए था ।

प्रथम वित्त आयोग ने भी और इस आयोग ने भी यह सुझाव दिया था कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के वितरण का आधार खपत होना चाहिए, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े ही उपलब्ध नहीं है । अब आने वाले वित्त आयोग को यह कह कर छुटकारा हासिल नहीं करना चाहिए । इस प्रकार की विशेषज्ञ समिति की स्थापना हो जानी चाहिए जो कि विभिन्न राज्यों से आंकड़े एकत्रित करें ।

मैं बिहार से हूं, और मैं नहीं कहता कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, परन्तु सूखा बाढ़े और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों ने वहां के वित्तीय संसाधनों पर तो प्रभाव डाला ही है । केन्द्रीय सरकार सब राज्यों की सहायता करती है, और बिहार की भी की है । परन्तु आवश्यकता तो बहुत अधिक है, इसलिए मेरा कहना है कि सरकार को समुचित सहाय। और अनुदान देकर इस इलाके में चल रहे सहायता कार्य को प्रोत्साहित करना चाहिए । इन शब्दों से मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं ।

†**श्री वासुदेवन् नायर** (तिरुवल्ला) : कल वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि वित्त आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लेना चाहिए । और भी कई सदस्यों ने आयोग के कार्य की सराहना की । कोई सन्देह नहीं कि वित्त आयोग ने बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य किया है । परन्तु उन की कई एक परस्पर विरोधी बातों से सहमत होना सम्भव नहीं। मेरा निवेदन है कि संघ उत्पादन शुल्कों के वितरण के सम्बन्ध में वित्त आयोग के निर्णय स्वयं विरोधी हैं । प्रथम वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार संघ उत्पादन शुल्कों स राज्यों को २० करोड़ रु० मिलता था । अब वर्तमान सिफारिशों के अनुसार २७ करोड़ रु० मिलेगा । यह वृद्धि बहुत अधिक वृद्धि नहीं है । १९५७ के आय-व्ययक के अनुसार केन्द्रीय सरकार को संघ उत्पादन शुल्कों से २६० करोड़ की प्राप्ति की आशा ह । इसलिए इस सिफारिश को युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर
(वितरण) विधेयक

[श्री वासुदेवन नायर]

कई सदस्यों ने यह भी कहा है कि कई राज्य अपने साधनों का पूरा उपयोग नहीं करते । परन्तु सभी राज्यों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता । केरल में स्थानीय साधनों से ही ६५ लाख प्रतिवर्ष उपलब्ध किया गया है । परन्तु हमारे केन्द्र के जिम्मेदार लोग वहां जाकर कहते हैं कि यहां कर बहुत है । पता नहीं, इसका क्या मतलब है । वित्त मंत्री महोदय तो यह बात कई बार कह चुके हैं कि हमें करों के रूप में राज्यों से अधिक धन लेना है, क्योंकि इसके बिना योजना असफल हो जायेगी । परन्तु श्री मोरारजी देसाई केरल में जाकर कह रहे हैं कि इस राज्य में बिक्री कर बहुत अधिक है, जिस कारण बाहर के लोग इस राज्य में पूंजी लगाने में संकोच करते हैं । मैं कहूंगा कि इस सम्बन्ध में नीति की कोई एक रूपता होनी चाहिए । राज्य सरकार की सहायता करने के स्थान पर केन्द्रीय सरकार को उसके रास्ते में रुकावटें नहीं पैदा करनी चाहिएं ।

सामूहिक तौर पर वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्य सरकारों का पेट नहीं भरता । वे अपने साधनों का भी प्रयोग कर रही हैं । यदि वित्त मंत्री महोदय सहायता अनुदानों और उत्पादन शुल्कों के वितरण में कुछ परिवर्तन करना स्वीकार कर लें तो हम वित्त आयोग की सिफारिश स्वीकार कर लेंगे । परन्तु मुझे शिकायत है कि केरल की समस्यायों की ओर आयोग ने बहुत ही कम ध्यान दिया है। मैसूर को तो ६ करोड़ प्रतिवर्ष दे दिया गया है । मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इन बातों की ओर ध्यान देकर वित्त आयोग के प्रतिवेदन की कमियों को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे ।

†वित्त मंत्री (श्री टि० ट० कृष्णमाचारी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में बोले हैं उन्होंने मुझे इसमें एक कमी बताई है । वह कमी उन्होंने मुझे यह बताई है कि सरकार ने विशेषकर वित्त मंत्री ने वित्त आयोग को धन्यवाद नहीं दिया क्योंकि उन्होंने एक बड़ा महान कार्य किया है जिसके परिणाम हमारे सब लोगों के सम्मुख हैं । मुझ से जो यह भूल हुई है उसके लिये मैं लज्जित हूं किन्तु अब भी समय है और इस समय मैं सरकार की ओर से वित्त आयोग को धन्यवाद देता हूं ।

एक पहलू पर माननीय मित्र श्री भरूचा ने बहुत जोर दिया है । मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी इन्होंने कहा है उस पर माननीय सदस्य ध्यान देते । यदि जैसा वह कहते हैं मैं उस प्रकार काम करना आरम्भ कर भी दूं तो राज्यों के वित्त मंत्री उससे सहमत नहीं होंगे । कल्पना कीजिये कि यदि एक ऐसा प्रस्ताव सभा के सामने आता है जिसपर उन सब की सम्मति है तो भी प्रत्येक माननीय सदस्य अपना अलग प्रस्ताव रखेगा और इस तरह से वाद विवाद समाप्त ही नहीं हो सकता ।

इसलिये इस तरह के मामले हमें तीसरे पक्ष को सौंपने पड़ते हैं । चाहे बाद में हम ही यह कहें कि मध्यस्थ ने हमारे साथ अन्याय किया है किन्तु हमें उसका पंचाट मानना ही पड़ता है । वास्तव में सभा आयोग को अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन करती है । सभा निस्संदेह प्रभुत्व सम्पन्न है । यदि सभा इस प्रस्ताव को पन्सद नहीं करती तो इसे अस्वीकार कर सकती है । किन्तु उसके बाद क्या होगा ? क्या हम फिर आगे किसी पृथक समिति की नियुक्ति करेंगे । हमें कभी न कभी तो इस निर्णय को स्वीकार करना है क्योंकि सभा में तो हम इस बात पर चर्चा नहीं कर सकते । वास्तव में यहां हम निर्णय कर कैसे

---

†मूल अंग्रेजी में

सकते हैं क्योंकि यहां १४ राज्यों का प्रतिनिधित्व तो हो जायेगा मगर केन्द्र की बात सिवाय वित्त मंत्री के कोई भी नहीं कहेगा । मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में श्री भरूचा ने ठीक योगदान दिया है और मैं उसके लिये उनका धन्यवादी हूं ।

इस बात का एक दूसरा पहलू जिसे ठीक तरह से समझा नहीं गया है वह है यह कि वित्त आयोग विकास सम्बन्धी व्यय पर कभी सिफारिश नहीं करता क्योंकि यह पूंजीगत व्यय होता है । उन्होंने राज्यों की आवश्यकता के अनुसार हिस्से नहीं बांटे । उन्हें वास्तव में विकास के लिये दूसरे साधनों से रुपया लाना होगा । निस्सन्देह आप यह कह सकते हैं कि उन्होंने इस ऋण की समाप्ति के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया है । वह भी पूंजी व्यय से ही पता लगेगा । आर्थिक स्थिति में सुधार होने से तथा उससे बाद में लाभ होंगे उनसे राज्य सरकर ऋणों की समाप्ति कर सकेगी ।

इसलिये जब माननीय सदस्य इस आयोग के प्रतिवेदन का सम्बन्ध योजना से जोड़ते हैं तो मैं तो यही समझता हूं कि वह गलती करते हैं क्योंकि वित्त आयोग उस मामले पर अनुसंधान नहीं करता ।

यह कहा जाता है कि आयोग ने राज्यों की विशेष समस्याओं पर भी विचार किया है किन्तु ये समस्यायें पूंजी व्यय वाली समस्यायें नहीं हैं । अभी मैसूर के एक माननीय सदस्य ने होन मराडू योजना का उल्लेख किया । इस योजना पर ४५ से ५० करोड़ तक का व्यय होगा । यदि आप वित्त आयोग से कहें कि उस योजना के क्रियान्वित किये जाने का उपबन्ध किया जाय तो यह नहीं हो सकता--इसलिये केरल वाले भी इसे इडुकी योजना की पूर्त्ति की व्यवस्था करने के लिये नहीं कह सकते । वह काम अलग है और अलहदा ही किया जाना है । इस काम को राज्यों तथा केन्द्र दोनों ने मिलकर करना है । वास्तव में वित्त आयोग के समक्ष बहुत सी समस्यायें थीं जिन्हें वह माननीय सदस्य की इच्छानुसार भी सुलझा सकता था ।

हो सकता है श्री इमाम ६ करोड़ रुपये पर संतुष्ट न हुए हों किन्तु श्री दासप्पा समझते हैं कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है । श्री दासप्पा ने इतना ही कहा है कि मैसूर के बारे में वित्त आयोग ने विचार किया है इसलिये मैसूर के लिये यह बात महत्व की है । इसे तो मानना ही है ।

हो सकता है कि मद्रास या बम्बई के सदस्य सामान्य रूप से बोले हों किन्तु मैं सेठ अचल सिंह की बात नहीं समझ सका । शायद वह यह कह रहे थे कि जब कि अन्य राज्यों को अनुदान दे दिये जाते हैं इन्हें कुछ भी नहीं मिलता । ऐसा प्रतीत होता है कि इन राज्यों को शिकायत है ।

इस बात को मैं और भी लम्बा ले जा सकता हूँ । माननीय गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री बम्बई के हैं और मैं मद्रास का हूँ । हम तीनों भी यह कह सकते हैं कि इन तीनों राज्यों से कुव्यवहार किया गया है इसलिये हम इस प्रतिवेदन को नहीं मानेंग । उसके बाद हम यह कहते हैं कि हम एक दूसरा आयोग नियुक्त करते हैं--किन्तु

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

यह नहीं किया जा सकता। चाहे हम यह महसूस करें कि अमुक राज्य के लिये अधिक अच्छी बात हो सकती थी किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वित्त आयोग को किसी राज्य के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई द्वेष था या वे किसी के विरुद्ध थे।

इसलिये यह बात कि किन सिद्धान्तों पर इसने कर का वितरण करने की सिफारिशें की हैं हमें यह उनहीं पर छोड़ देना चाहिये।

इसके बाद रेलवे किराये के बारे में प्रश्न उठाया गया। केरल से माननीय मित्र श्री वासुदेवन नायर ने केरल की समस्याओं के बारे में कहा। उनकी अपनी समस्यायें ठीक हैं। हम मानते हैं कि केरल में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार खाद्यान्न पैदा नहीं होते। इसका कारण है कि वहाँ पर्याप्त वर्षा होती है और बाढ़ें आती रहती हैं। यदि वित्त आयोग इन बातों पर विचार कर सकता तो अवश्य करता किन्तु प्रत्येक बात पर पृथक दृष्टिकोण से ही विचार करना पड़ता है।

जहां तक मेरा संबंध है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास आकर यह प्रार्थना करूं कि अधिक कर लगाये जायें जिनसे केन्द्र के संसाधनों पर भी भार न पड़े और मेरी स्थिति भी इस प्रकार की हो जाये कि मैं राज्यों को अधिक सहायता दे सकूं। आखिर केन्द्र के अधीन सीधे दिल्ली आदि के थोड़े से क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र तो है ही नहीं जिन पर व्यय होता हो। रुपये का व्यय भी होना है। उड़ीसा, बिहार तथा बंगाल में भी रुपये का व्यय इस्पात कारखाने के लगाने पर होगा। यदि आपको कहीं तेल मिल जाये तो आपको वहां पर रुपये का व्यय करना पड़ेगा। इसलिये इस प्रश्न पर हमें वस्तुनिष्ट दृष्टि से सोचना है और मैं इस बात को समझता हूँ कि राज्यों को आज अधिक रूपये की जरूरत है।

मैं श्री पट्टाभिरामन तथा श्री राम की भावनाओं से सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं तो यही समझता हूँ कि हमारा संविधान संघीय प्रकार का है और हम यह भी कह सकते हैं कि यह अमेरिका के संविधान से भी अधिक संघीय प्रकार का है। अमेरिका में भारत से अधिक केन्द्रीकरण है। फिर इस सैद्धान्तिक चर्चा से हमें ज्यादा लाभ भी नहीं है। हम तो भारत का समस्त रूप से विकास करना चाहते हैं। जैसे जैसे जहां जहां समस्यायें उत्पन्न होती रहें वहां पर वैसे वैसे ही रुपया की सहायता देनी चाहिये।

श्री गुहा ने पश्चिमी बंगाल के बारे में कहा। वास्तव में वित्त आयोग ने भी पृष्ठ ४९ पर इसका उल्लेख किया है। कंडिका १३० में आयोग ने कहा है :—

> "पश्चिमी बंगाल अब भी कठिनाई में है। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों के कारण इसकी आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन पर भार पड़ रहा है और इसे पर्याप्त सहायता की आवश्यकता है। हम सिफारिश करते है कि प्रतिवर्ष इसे ३.२५ करोड़ का अनुदान दिया जाय। अनुच्छेद २७३ के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता के बन्द होने से पश्चिमी बंगाल के गत दो वर्षों के राजस्व में पर्याप्त खराबी होगी इस कारण इस अनुदान को ४.७५ करोड़ कर दिया जाये जो इन दोनों वर्षों के लिये हो।"

इस कारण यह बात नहीं है कि पश्चिमी बंगाल राज्य की सामान्य आवश्यकताओं की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। जब एक सदस्य यह कहते हैं कि अमुक राज्य की समस्यायें विशेष प्रकार की हैं मैं उससे इन्कार नहीं करता। मैं तो यही चाहता हूँ कि माननीय सदस्य

केन्द्र के लिये संसाधन भी बतायें ताकि केन्द्र इनका वितरण राज्यों को कर सके। मैं केवल इतनी बात चाहता हूँ। यदि मेरे पास रुपया हो तो मैं उसे राज्यों में बांटने के लिये तैयार हूँ।

श्री श्रीनारायण दास ने बिहार की संकट की स्थिति के बारे में कहा। बिहार की स्थिति बड़ी संकटमयी है। वास्तव में बिहार की स्थिति बड़ी ही दयनीय है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह राजस्व तकावी ऋण इत्यादि कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त उनकी फसलें खराब हो जाती हैं और उसी के साथ और भी मामले बिगड़ जाते हैं। इसका कारण यह नहीं कि वहां सक्षम सरकार नहीं बल्कि यह कि वहां जमींदारी का खातमा हो गया और लगान इकट्ठा करने की व्यवस्था न थी। मैं जब वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री था तब बिहार गया था और मैंने इसे विशेष सहायता दिये जाने के लिये सिफारिश भी की थी जैसा कि १९५२ में केरल के बारे में की थी। क्या ही अच्छा होता यदि उस समय मेरा प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया जाता। केरल के लिये भी उस समय कुछ हो सकता था।

अब बहुत से राज्यों को सहायता चाहिये। बहुत से राज्यों को तो विशेष सहायता चाहिये यदि मेरे पास धन हो तो मैं तो इसे सहर्ष देने को तैयार हूं। मैं राज्यपालों को यह नहीं कहता कि राज्य अपना काम अपने ही संसाधनों से चलाये। मैं यह भी समझता कि अखबारों में यह समाचार कैसे आया। मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं थी। यदि मैंने यह बात कही भी होगी किसी दूसरे संदर्भ में कही होगी। किन्तु राज्यों की आवश्यकताओं से इन्कार करने का कोई भी प्रश्न नहीं है।

मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि यदि हमारे पास धन हो तो हमें कोई अड़चन नहीं है। योजना आयोग इस कार्य के लिये वहां है। मैं भी उस आयोग का सदस्य हूँ और जो राज्य सहायता चाहते हैं मैं सदैव उनका वहां पर पक्ष लेता हूं। किन्तु वह बात तो सदा हमारे सामने रहती है कि हमारे पास धन है भी नहीं।

श्री गुहा ने ऋणों का प्रश्न उठाया। ऋणों सम्बन्धी उस सिफारिश से मुझे कोई चिन्ता व्याप्त नहीं होती। हमारे इलाके में एक कहावत है कि जब पानी आपके सिर के ऊपर से बह रहा है तो चाहे एक गिरह हो या १० गिरह इसका कोई भी महत्व नहीं है। मैं जानता हूँ कि इस देश में वित्त मंत्री के सिर के ऊपर से पानी बह रहा है। ५ करोड़ ज्यादा और लगाने में भी मैं अब चिन्ता नहीं करता। किन्तु उससे राज्यों के तुरन्त संसाधनों पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। मैं यह नहीं कर सकता कि भुगतान भी रोक दूं और ऋण भी जारी रखूं। इसलिये इस मामले का परीक्षण करना होगा। हम केवल लेखा पुस्तक से ही यह देखकर नहीं बता सकते कि ठीक स्थिति वास्तव में क्या है। इस बात पर बहुत से महालेखापालों से बातचीत करनी होगी। और उन्हें उत्तर देना होगा। उनके रिकार्ड देखे जायेंगे। इसलिये यह बात नहीं है कि हम किसी राज्य की सहायता नहीं करना चाहते या उनका भार हल्का नहीं करना चाहते हैं बल्कि वास्तस में यह प्रश्न बड़ा व्यापक है।

इस कारण जब कि मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूँ कि विभिन्न राज्यों को सहायता मिलनी चाहिये किन्तु उसी समय मैं यह सुझाव देता हूँ कि इस मामले को वित्त आयोग ने सुलझाया है अर्थात् उसने राज्यों की आवश्यकताओं पर विचार करके यह बतादिया है कि किस प्रकार इन करों का उनमें बंटवारा हो या उन्हें अनुदान के रूप में सहायता मिले।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

उसके बाद कुछ माननीय सदस्यों ने बंटवारे के आधार की आलोचना की और कहा कि क्या यह एकत्रण के आधार पर हो या खपत के आधार पर या फिर आबादी के आधार पर। किन्तु अधिकतर माननीय सदस्यों ने बंटवारे के आधार पर सहमति प्रकट की है।

यह ठीक है यदि आप बम्बई या कलकत्ते में हैं तो आप सोचते हैं कि एकत्रण का आधार ही सब से ठीक है। जब आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो समझाते हैं कि आबादी का आधार ही ठीक है। यदि आपके राज्य में लम्बी रेलवे लाइन है तो आप समझते हैं कि मीलों की लम्बाई ही ठीक है। यदि आपके रेलवे लाइनें न हों तब आप कहते हैं कि यह सरकार तथा रेलवे मंत्रालय की गलती है और उन लोगों की गलती के कारण हमें तो दण्ड नहीं दिया जा सकता। इसलिये जहां रेलवे लाइनें हैं ऐसे राज्यों को हमारी सहायता करनी चाहिये।

कई बार यह बात बहुत ही व्यर्थ लगती है। अब उत्तर प्रदेश में लगभग ५ करोड़ रुपया ही कर के रूप में एकत्रित किया जाता है। किन्तु इसे राजस्व में से १० करोड़ रुपया मिलेगा। उत्तर प्रदेश के ६३० लाख लोगों की कपड़े की खपत से ही यह कर वसूल होता है। इस चीज को भूला नहीं जा सकता ; जहां तक सम्पदा शुल्क का संबंध है इसमें विभिन्नता क्यों लाई जाये। वास्तव में जहां सम्पदा है वहां उस राज्य का यह कर्तव्य है कि उसका ध्यान रखे और ऐसी स्थिति पैदा करें कि उस सम्पदा का मूल्य न गिरे। यदि कोई सरकार किसी ग्राम को खाली करादे तो हम शुल्क तो लगा ही देंगे किन्तु उससे जो वसूली होगी वह बिल्कुल ही थोड़ी होगी। हो सकता है इसी आधार पर वित्त आयोग ने ध्यान देकर इस तरह की कार्यवाही की हो।

अब यहां पर प्रत्येक माननीय सदस्य ने अपने अपने दृष्टिकोण के बारे में कहा है। यदि आप सबके दृष्टिकोणों को एकत्रित करके देखें तो आप भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जिस पर आयोग पहुंचा है।

श्री बिमल घोष ने सुझाव दिया है कि हमें आस्ट्रेलिया का अनुकरण करना चाहिये। मैं अपनी स्थिति से वास्तव में अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहता। संविधान सभा के समय में हमने इसी प्रश्न के बारे में एक समिति नियुक्त की थी और उन्होंने इस प्रश्न पर भी विचार किया था। भारतीय स्थिति पर वह बात लागू ही नहीं होती है। वहां किसी बात का अन्तिम रूप इतना नहीं जितना हम सोच रहे हैं। हाल ही में संघीय संविधान के एक प्रोफेसर ने मुझ से पूछा कि क्या सरकार या संसद् द्वारा सामान्यतया वित्त आयोग की सिफारिशें मान ली जाती हैं। क्या आप कोई ऐसी प्रथा स्थापित करना चाहते है या आस्ट्रेलिया, कनाडा की तरह से चलना चाहते हैं ? मैंने उसे बताया कि हम ऐसी ही प्रथा बनाने जा रहे हैं। इसलिये मैं तो समझता हूँ कि यह कोई विशेष बढ़िया बात नहीं है कि हम इससे भी त्रुटिपूर्ण तरीका अपनायें। वास्तव में आस्ट्रेलिया की प्रथा ठीक नहीं है। जहां तक योजना आयोग का सम्बन्ध है माननीय सदस्य जानते हैं कि मैं भी उसका एक सदस्य हूँ। माननीय मित्र इस बात का अनुभव भी करेंगे कि निर्णयों में पर्याप्त रूप में वित्त मंत्री का हाथ रहता है क्योंकि उसे तथ्यों से वाकफीयत होती है। जहां तक सक्षमता का प्रश्न है मैं इस बात को सभासदों पर छोड़ता हूँ।

इसलिये हमें यह तरीका बदलना नहीं चाहिये क्योंकि यही अच्छा तरीका है।

यद्यपि किसी प्रकार का सुझाव इस दिशा में देना मेरे लिये ठीक न होगा किन्तु मेरी यह स्थिति नहीं है कि मैं राज्यों में सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्रियों पर किराये का बंटवारा

करने के प्रश्न पर मैं ही सुझाव दूं। सब माननीय सदस्यों की बातें सुनकर मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ पहले कहा था वह भी इस समय ठीक है।

†श्री बीरेन राय : सम्पदा शुल्क के नियमों के बदलने के बारे में क्या है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं खेद के साथ कहता हूँ कि इस समय मैं इस पृथक प्रश्न पर नहीं बताना चाहता। इसे बजट के समय लिया जा सकेगा।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि कुछ संघ उत्पादन-शुल्कों के शुद्ध आगम के एक अंश को राज्यों में वितरित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ६, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ से ६, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं दूसरे विधेयक को मतदान के लिए रखता हूँ।
प्रश्न यह है :

"कि सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर के शुद्ध आगम को राज्यों में वितरित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ६, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १ से ६, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर): प्रश्न यह है कि संविधान द्वारा वित्त आयोग की व्यवस्था कर चुकने के बाद ही, हमने योजना आयोग की स्थापना की है। वित्त आयोग ने स्वयं ही कहा है कि इससे कुछ अनियमिततायें उत्पन्न हो गई हैं। मैंने वित्त मंत्री से यही पूछा था कि वे इस समस्या का हल करने के लिये क्या कर रहे हैं? ये दोनों आयोग लगभग एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं। वित्त आयोग ने इस बात की जांच नहीं की है कि योजना आयोग ने कुछ राज्यों के लिये जो कुछ राजस्वों का आवण्टन किया है वह उचित भी था या नहीं?

इस समस्या के हल के लिये मैंने यह सुझाव नहीं रखा था कि हमें आस्ट्रेलिया की नकल करनी चाहिये, क्योंकि वहां योजना आयोग जैसी कोई चीज ही नहीं है। यदि वित्त मंत्री एक ही आयोग को पर्याप्त समझें, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, योजना आयोग ने कुछ निर्णय कर दिये हैं, और यदि उनके सम्बन्ध में कुछ राज्यों की कुछ विशिष्ट कठिनाइयां या आवश्यकतायें हों तो उनपर विचार करने के लिय कोई संगठन या निकाय रहना ही चाहिये उसी के सम्बन्ध में मैंने आस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया था। मैं जानता हूं कि भारत में आस्ट्रेलिया की ज्यों की त्यों नकल नहीं की जा सकती।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय मित्र ने अभी भी स्थिति को ठीक से नहीं समझा है। स्थिति यह है कि योजना आयोग का कोई संविहित आधार नहीं है। दूसरी बात यह है कि वित्त आयोग ने योजना आयोग का उल्लेख इसलिये किया है कि योजना आयोग सामान्य राजस्व तथा व्यय में से कुछ अतिरिक्त राशियां निकालने की बात सोचता है जिनको कि प्रत्येक राज्य के राजस्व में दिया जाना चाहिये और जिसे योजना आयोग योजित विकास के लिये सुलभ मानता है। योजना आयोग राज्य के सामान्य कार्य-संचालन में जो रुचि दिखाता है वह केवल आनुषंगिक ही होती है ।

यदि हम योजना आयोग को कोई विशेष मामला सौंपते हैं, उदाहरण स्वरूप बिहार का प्रश्न सौंपते हैं, तो हम वैसा केवल इसी लिये करते हैं कि योजना आयोग ऐसे व्यक्तियों का एक क्षमताशील निकाय है जो अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त कुछ और कार्य भी कर सकते हैं। जहां तक योजना आयोग के अपने कार्य का सम्बन्ध है, योजित विकास और देश के विभिन्न भागों में सुलभ संसाधनों के पर्याप्त उपयोग की योजनायें तैयार करना अत्यावश्यक है। व्यय का जितना भी भाग विकास से सम्बन्धित होता है, उस व्यय को पूरा करने के लिये, योजना आयोग को प्रत्येक राज्य में सुलभ अतिरिक्त राशि या प्रत्येक राज्य की कराधान योग्य अतिरिक्त क्षमता की जांच तो आवश्यक रूप से करना ही पड़ती है ।

इसलिये, यह तो हो सकता है कि वित्त आयोग और योजना आयोग के अपने अपने कार्य-क्षेत्र कहीं कहीं समान हों, लेकिन यह प्रासंगिक रूप में ही होता है। वे वास्तव में पूरी तौर पर अतिछादी नहीं हो सकते। इसलिये ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हम योजना आयोग होने के कारण वित्त आयोग को अनावश्यक मान लें या हम योजना आयोग से ही किसी प्रकार, आस्ट्रेलिया की भांति, जब तब राज्यों के लिये संसोधनों का बंटवारा करने के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें करने को कह दें। हां, यह तो होता है कि हम बिना किसी संविहित अनुमति के कभी-कभी बंटवारे के कुछ मामलों के सम्बन्ध में योजना आयोग की सहायता ले लेते हैं। शायद आस्ट्रेलिया में यही होता है। हम योजना आयोग को बता देते हैं कि हमारे पास अधिक अन्न उपजाओं आन्दोलन के लिये ६० या ७० करोड़ रुपये हैं और इस संबंध

†मूल अंग्रेजी में

में उससे राय भी लेते हैं कि राज्यों में उस व्यय का बंटवारा किस प्रकार किया जाये। उन राज्यों में बंटवारे का क्या फल निकलेगा यह तो इस बात पर निर्भर करेगा। रोजगार इत्यादि अन्य कारणों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। योजना आयोग इसके सम्बन्ध में भी अपनी राय देता है। लेकिन, योजना आयोग से ऐसी राय पूछने का कारण तो नितान्त भिन्न हैं। निसंदेह ही, वित्त आयोग द्वारा योजना अयोग और योजना—काल का निर्देशन अत्यावश्यक हैं, लेकिन वह प्रासंगिक ही है। यदि माननीय सदस्य इस पर कुछ अधिक विचार करें, तो वे इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि उनका प्रश्न सही मान्यताओं पर आधारित ही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह ह :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की अनुपूरक* मांगें--सामान्य

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा वर्ष १९५७-५८ के आय—व्ययक (सामान्य) संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९५७-५८ के लिये अनुदानों की ये अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१८	भूतत्वीय सर्वेक्षण	२०,६५,००० रुपये
२३ क	नागा पहाड़ियां—तुएनसांग क्षेत्र	१,०७,२१,००० रुपये
९३	सम्भरण	३,९६,००० रुपये
१०४	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	१,००० रुपये
१२६	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय	१०,१०,००० रुपये

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश): एक औचित्य प्रश्न है। प्रथम अनुपूरक विवरण के अनुसार मांग संख्या १०४ सांकेतिक अनुदान की मांग है। उसे नियम-विरुद्ध घोषित कर दिया जाना चाहिये। इससे सभा का काफी समय भी बच जायेगा।

प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार सांकेतिक अनुदानों की मांग करना असंवैधानिक और अवैध है।

दूसरी चीज यह कि इसकी अनुमति देने वाला प्रक्रिया नियमों का नियम २१७ संविधान के विरुद्ध है।

तीसरी बात यह कि किसी भी नयी सेवा सम्बन्धी प्रस्तावित व्यय के लिये निधि की मांग करने का उचित तरीका यह है कि उसमें लगने वाले समूचे व्यय की मांग की जाये और उपलब्ध विधियों को व्यपगत अनुदान या बचत मान लिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत की गईं।

[श्री नौशीर भरूचा]

इसलिये, मांग संख्या १०४ नियमानुकूल नहीं है। इसके कारण यह हैं :

कि व्यय पर संसद् का नियंत्रण इसी प्रकार किया जाता है कि वह व्यय के एक शीर्ष विशेष के लिये राशि विशेष की मंजूरी देती है।

एक बार यह मंजूरी दे दी जाने के बाद अनुच्छेद ११४ (२) के अन्तर्गत, विनियोग विधेयक के दौरान में अनुदान की उस राशि में परिवर्तन करने का कोई संशोधन नहीं रखा जा सकता।

नियम २१७ के अन्तर्गत कार्यपालिका को अनुदान की उस राशि में परिवर्तन करने का प्राधिकार दिया गया है।

अनुच्छेद ११५ (क) और (ख). के अनुसार विनियोग विधेयक पारित हो चुकने के बाद केवल संसद् को ही उसमें परिवर्तन करने का प्राधिकार है।

इसके अतिरिक्त , अनुच्छेद ११५ में अनुपूरक मांगों और अतिरिक्त मांगों की व्यवस्था की गई है।

लेकिन, अनुच्छेद ११४, ११५ या ११६ में से किसी में भी सांकेतिक मांगों की व्यवस्था नहीं है।

सांकेतिक मांग के द्वारा तो कार्यपालिका को नयी सेवा पर होने वाले समचे व्यय की और अनुदान के उद्देश्य में भी परिवर्तन करने की शक्ति मिल जाती है। यह संविधान की भावना के विरुद्ध है।

संविधान इसकी अनुमति नहीं देता।

यदि नियम २१७ के अनुसार, हम कार्यपालिका को पुनः विनियोग करने की ऐसी शक्ति दे दें, तो वह किसी भी एक शीर्ष के व्यय को दूसरे शीर्ष की मद पर लगा सकती है।

सांकेतिक अनुदानों से यह भी ठीक-ठीक मालूम नहीं हो पाता कि उस शीर्ष के अन्तर्गत ठीक-ठीक कितनी राशि व्यय की जायेगी। इससे संसद् का नियंत्रण शिथिल पड़ता है।

सांकेतिक अनुदानों की मांगों से सदस्यों के साँकेतिक कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के अधिकार को झुठलाया जा सकता है।

इसीलिये, मांग संख्या १०४ संविधान की शक्ति से परे है।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णामचारी)** माननीय सदस्य की तर्क प्रणाली कुछ नयी सी है। मैं नहीं समझता कि नियम २१७ सांकेतिक अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करने से रोकता है। हां, उसमें पुनः विनियोजन द्वारा किसी सेवा सम्बन्धी प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिये आवश्यक निधी की मांग करने की एक प्रक्रिया विहित कर दी गई है। यह तो एक सामान्य प्रथा है कि हम किसी भी नयी या पुरानी सेवा के बारे में ब्यौरे वार जानकारी के अभाव में, उसके लिये आय-व्ययक में एक सांकेतिक मांग रख देते हैं। और, सभा उसके सिद्धान्त के सम्बन्ध में चर्चा करती है और यदि हम उस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेते हैं तो पूरी जानकारी सुलभ होने पर हम बाद में व्यय की समूची राशि बता देते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

वास्तव में, गत १७ वर्षों का मेरा इस सभा और इससे पहले की सभाओं का यही अनुभव है। मैंने ऐसे अनेकों उदाहरण देखे हैं जिनमें कि १,००० रुपये या एक लाख या एक करोड़ रुपयों तक के अनुदानों के सम्बन्ध में भी पूरी सामग्री नहीं जुटाई गई थी।

और, वास्तव में, इस वर्तमान आय-व्ययक में भी, जो अभी तैयार किया जा रहा है, मैं कई सांकेतिक अनुदानों की मांगें रख रहा हूं, क्योंकि कई मंत्रालयों ने अपनी मांगों का कोई ब्यौरा नहीं भेजा है। और मैं किसी मांग को भी पूरी तरह समझे बिना उसे आय-व्ययक में सम्मिलित नहीं कर सकता। इसीलिये, मैं सभा के सामने केवल सांकेतिक अनुदानों की मांगें ही रखूंगा, जिससे कि सभा उन सेवाओं से तो सहमत हो जाये। मैं बाद में सभा के सामने पूरा ब्यौरा रख दूंगा। मेरे लिये यह उचित नहीं होगा कि व्यय के औचित्य से पूर्ण सहमत हुए या उसकी पर्याप्तता या अपर्याप्तता समझे बिना ही मैं सभा से किसी निश्चित राशि की मांग करने लगूं।

बहुधा ऐसा होता है कि विभिन्न मंत्रालय मुझे यथेष्ट आंकड़े नहीं बताते तब मैं उनसे कह देता हूं कि उन्हें बाद में अनुपूरक मांगें रखनी पड़ेंगी और उस समय मैं केवल सांकेतिक मांगें ही आय-व्ययक में सम्मिलित कर लेता हूं। आय-व्ययक में सामान्य रूप में कई बार ऐसा किया जाता है ।

मैं यह नहीं मानता कि नियम २१७ अग्र-क्रयणाधिकार देता है। मुझे तो माननीय सदस्य के तर्क में कोई सार नहीं दिखता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री भरूचा चाहते हैं कि मैं नियम २१७ को संविधान की शक्ति से परे घोषित कर दूं। लेकिन, मुझे उसका कोई प्राधिकार नहीं है। उसके लिये, माननीय सदस्य को अलग से इस नियम का एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहिये । तब सभा ही इसका निर्णय करेगी। इसलिये मैं इस आपत्ति को नहीं मानता।

†**श्री नौशीर भरुचा** : मांग संख्या १२६ द्वारा १० लाख रु० की मांग एक नवनिर्मित निगम, अर्थात् उड़ीसा मिनरलस् डेवेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, के शेयर खरीदने के लिये की गई है। यह इसलिये कि दुर्गापुर के इस्पात कारखाने के लिये उड़ीसा की बोलानी की कच्चे लोहे की खानों का कच्चा लोहा आवश्यक है, परन्तु वे खानें निजी अधिकार में हैं। इसलिये, यह नया समवाय स्थापित किया गया है ।

मैं पूछता हूं कि निजी समवायों के खनन पट्टों को समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता ? उनकी अनुज्ञप्तियों का नवीकरण न करना सरकार के स्वयं विवेक पर ही है । सरकार उन निजी पट्टेधारियों को प्रतिकर भी दे सकती है । हमने एक ऐसा अधिनियम भी पारित कर दिया है । सरकार इस ढंग से सरकारी क्षेत्र में एक प्रच्छन्न रूप से निजी उद्यम को लाना चाहती है। शायद समवाय की नीति भी निजी उद्योगपति ही निर्धारित करेंगे ।

सरकार उनके पट्टों को समाप्त क्यों नहीं कर देती ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशेर भरुचा]

मांग संख्या २३ क नागा पहाड़ियों के तुएनसांग क्षेत्र के सम्बन्ध में है। यह मांग १ करोड़ ७ लाख रुपयों की है। इसमें से ५४ लाख रुपये पुलिस प्रशासन के लिये हैं। मैं चाहता हूं कि इसके लिये कुछ अधिक राशि की मांग की जाये, क्योंकि यह एक नया प्रशासनिक इकाई है और इसमें शिक्षा, चिकित्सीय सहायता, विकास परियोजनाओं, इत्यादि पर काफी खर्च किया जाना चाहिये, जिससे नागा जनता संतुष्ट हो और वहां शान्ति तथा व्यवस्था रहे। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन पर इतना अधिक व्यय नहीं करना चाहिये।

यदि पुलिस प्रशासन पर इतना व्यय अभी हो आवश्यक हो, तो हमें अन्य प्रयोजनों के लिये किये जाने वाले अनुदानों में वृद्धि करनी चाहिये।

मांग संख्या ९३ इसलिये की जा रही है कि सरकार ने १९४७ में किसी को जो खाद्यान्न बेचा था, वह मनुष्यों के खाने के योग्य नहीं था और उसने क्षतिपूर्ति का दावा किया था। लेकिन हमने उससे कोई सबक हासिल नहीं किया है, आज भी हमारे यहां स्टोरेज में बड़ा अपव्यय होता है। उसकी दशा आज भी वैसी ही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह चर्चा कल जारी रहेगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

†**श्री प्रमथनाथ बनर्जी** (कण्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से, जो ११ दिसम्बर, १९५७ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से, जो ११ दिसम्बर, १९५७ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प--जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा २९ नवम्बर, १९५७ को प्रस्तावित संकल्प पर चर्चा करेंगे। इस के लिये १ घंटे का समय था अब केवल ५९ मिनट शेष हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : योजना सम्बन्धी नीतियों और सभी मामलों के बारे में देश के सभी बड़े-बड़े राजनीतिक दलों का एक साथ बैठकर, उच्च स्तर पर चर्चा करना अब

---

†मूल अंग्रेजी में

अवलम्बनीय हो गया है। इस संकल्प के सम्बन्ध में चर्चा करना इसलिये आवश्यक हो गया है कि योजना की गत डेढ़ वर्षों की प्रगति को देख कर अब लोग योजना में परिवर्तन करने की मांग बड़ी तेजी से उठा रहे हैं।

इस योजना को असफलता और काट छांट से बचाने तथा जनता में इसके प्रति उत्साह पैदा करने के लिये हमें केवल कांग्रेस दल की ही ओर नहीं देखना चाहिये, बल्कि सभी दलों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कुछ मनगढ़न्त दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, जिन से उन्होंने सिद्ध करना चाहा है कि कम्युनिस्ट दल योजना की तोड़-फोड़ का प्रयास कर रहा है। यह संकीर्णता का दृष्टिकोण इस राष्ट्रीय संकट के समय उन्हें अधिक गम्भीरता दिखानी चाहिये।

योजना की कठिनाइयों के सम्बन्ध में सभी राजनीतिक दलों के साथ अभी तक कोई विस्तृत चर्चा नहीं की गई है।

इस योजना का क्रमिक विकास ही कुछ इस प्रकार किया गया है कि उस की परिणति आय के इस राष्ट्रीय संकट में हुई है। मेरे संकल्प का उद्देश्य उसी को रोकना है।

हमें इन सभी का पुनरीक्षण करना है और संकट के कृत्रिम कारणों को दूर करना है। हमें उन बाधाओं पर भी पार पाना है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं।

जान बूझ कर चारों ओर से एक शोर मचाया जा रहा है कि द्वितीय योजना के लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सकते। सभा को याद रखना चाहिये कि योजना में भारी और बुनियादी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देकर ही औद्योगीकरण करने की बात कही गई है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

सभी राजनीतिक दलों के साथ योजना आयोग की बैठक के समय प्रधान मंत्री ने स्वयं भी यह बात कही थी। उन्हों ने कहा था कि सार रूप में योजना में सब से महत्वपूर्ण उस के भौतिक लक्ष्य ही हैं। उन्हों ने यह भी कहा था कि समाजवादी ढंग के समाज के निर्माण के उद्देश्य को भी नहीं भुलाया जाना चाहिये।

और, इस के लिये, उन्हों ने कहा था कि हमें भारी उद्योगों पर ही जोर देना पड़ेगा।

लेकिन, हुआ क्या है ? भारी उद्योगों के विकास का दायित्व सरकारी क्षेत्र को सौंपा गया था, लेकिन सरकारी क्षेत्र तो बहुत अधिक पिछड़ गया है। योजना के प्रारूप में कहा गया था कि जब तक हम मशीन-निर्माण उद्योग में आत्म-निर्भर नहीं हो जाते, तब तक हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रभावशाली नहीं हो सकती। लेकिन, लक्ष्य निर्धारित करते समय उन बड़े पैमाने के उद्योगों के लिये आवश्यकता से अधिक राशि रख दी गई थी।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद द्वारा सरकारी क्षेत्र के लिये किया गया आवंटन बहुत कम था, संभवतः सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिये ५० और ६० के अनुपात में था। राष्ट्रीय विकास परिषद् की गत बैठक में माननीय वित्त मंत्री ने बताया था कि लगभग १० लाख टन गढ़ाई उत्पादन की आशा है जिस में से लगभग साढ़े चार लाख से पांच लाख टन का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में और लगभग पांच लाख से साढ़े पांच लाख टन का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में किया जायेगा। परन्तु औद्योगिक नीति के संकल्प में यह बताया गया है कि ये सभी वस्तुयें अनुसूची (क) में ही सम्मिलित हैं और इन का उत्पादन केवल सरकारी क्षेत्रमें ही किया जायेगा।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

हमारा वास्तविक लक्ष्य तो वही था, परन्तु जब योजना को पुनर्रूप दिया गया तो वह अपने वास्तविक लक्ष्य से पिछड़ गई। आज भी हमारी योजना अपने लक्ष्य से पिछड़ती जा रही है। बिजली की भारी मशीनों के निर्माण उद्योग का उल्लेख करते हुए श्री नंदा ने भी कहा था कि इस दिशा में ½ लक्ष्य की पूर्ति तो गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा ही की जायेगी।

इसीलिये मैं ऐसा अनुभव करती हूं कि जब तक सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी लक्ष्य पूरे न कर लिये जायेंगे तब तक योजना का शेष भाग सफलता पूर्वक पूरा न हो सकेगा। हमें आपस में मिल कर कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिये जिस से सरकारी क्षेत्र के समस्त लक्ष्य पूरे किये जा सकें। इसलिये मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करना आवश्यक समझती हूं।

हमारा देश अभी तो अविकसित स्थिति में ही है, इसलिये अभी तो विदेशों से कुछ वस्तुयें आयात करनी ही होंगी, परन्तु इस सम्बन्ध में हमें कुछ समय निर्धारित कर लेना चाहिये क्योंकि इन में हमारी विदेशी मुद्रा बहुत लगती है। हम योजना के प्रथम तीन वर्षों में तो वस्तुओं का आयात कर सकते हैं परन्तु हमें अन्तिम दो वर्षों में आयात की जाने वाली वस्तुओं को मात्रा घटा देनी चाहिये। उस समय तक हमें इस योग्य हो जाना चाहिये कि स्वयं ही इस्पात और भारी मशीनों का उत्पादन कर सकें।

आज ही सभा में पूंजीगत वस्तुओं और भारी विद्युत् सामान संयंत्र के आयात के सम्बन्ध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है उस में संयंत्र के आयात के सम्बन्धमें कोई उल्लेख नहीं है। वास्तव में, योजना में तो जनवरी से जुलाई, १९५७ तक की अवधि में संयंत्र तथा मशीनों के आयात के लिये १०७·६७ करोड़ रुपयों की व्यवस्था थी। मैं देखती हूं कि इस राशि के लिये जो वस्तुयें चुनी गई हैं वे सभी अनुसूची (ख) की वस्तु हैं। उस सूची में भारी मशीन बनाने वाले संयंत्रों का कोई उल्लेख नहीं है।

आज जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र इस दिशा में पर्याप्त प्रगति कर चुका है, सरकार द्वारा बड़ा शोर मचाया जा रहा है। आज विदेशों से अधिकतर ऋण गैर-सरकारी क्षेत्र को ही प्राप्त हो रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है कि विदेशों से प्राप्त होने वाले ऋण में से कम से कम ५० प्रतिशत भाग गैर-सरकारी क्षेत्र को प्राप्त होगा। बिरला प्रतिवेदन में तो यह स्पष्टतया उल्लिखित है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को अधिक से अधिक ऋण प्राप्त हो सकता है। जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है उस के लिये विदेशी सरकारें सरकारी क्षेत्र में तो जरा भी धन लगाने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये यह अत्यावश्यक है कि हम अपनी औद्योगिक नीति पर पुनर्विचार करें। और इसी उद्देश्य से मैं ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है।

विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में हमारी स्थिति अत्याधिक गंभीर है। ८०० करोड़ रुपयों की कमी अब बढ़ाकर १४०० करोड़ रुपये हो गई है, जोकि खाद्य समस्या के कारण अब संभवतः और भी बढ़ जायेगी। परन्तु हम इस कमी को काफी हद तक पूरा भी कर सकते हैं। निर्यात संवर्धन समिति ने इस सम्बन्ध में कई सिफारिश की हैं। जिन के अनुसार १०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बढ़ाये जा सकते हैं, और ४ वर्षों में ४०० करोड़ रुपयों की वृद्धि हो सकती है। अतः यदि राज्य-व्यापार का कार्य उचित प्रकार से चलाया जाये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कमी अवश्य पूरी हो जायेगी।

अन्त में खाद्य समस्या के सम्बन्ध में भी चर्चा करना अत्यन्त आवश्यक है। खाद्यान्न जांच समिति ने यह बताया है कि हमें लगभग तीस लाख टन अन्न का आयात करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मेरा यही प्रश्न है कि पूर्ववर्ती भूमिसुधारों को क्यों लागू नहीं किया गया? मुझे आशा है कि यदि इस समस्या के बारे में सभी राजनीतिक दलों के एक सम्मेलन में विचार किया जाये तो, इस का कोई समुचित हल हम अवश्य खोज सकेंगे। मैं चाहती हूं कि इन सभी राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने के लिये

देश के सभी राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन बुलाया जाये, और इसलिये मैं ने अपना यह संकल्प प्रस्तुत किया है ।

†**सभापति महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री विभूति मिश्र** (बगहा) : मैं स्थानापन्न संकल्प संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री केशव** (बंगलौर नगर) : मैं स्थानापन्न संकल्प संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं स्थानापन्न संकल्प संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : मैं स्थानापन्न संकल्प संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : मैं स्थानापन्न संकल्प संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : ये सभी स्थानापन्न प्रस्ताव तथा संशोधन सभा के सामने हैं । हमारे पास केवल ३५ मिनट का समय है । मैं पहले तो मंत्री महोदय को कुछ समय दूंगा, और फिर उस का उत्तर देने के लिये प्रस्तावक को कुछ समय दूंगा ।

†**श्री विमल घोष**: मेरा निवेदन है कि पांच दस मिनट का समय हमें भी दिया जाये ।

†**सभापति महोदय** : ऐसा करना कठिन है । जब यही निवेदन पूर्ववर्ती सभापति से किया गया था तो उन्हों ने भी इसे स्वीकार नहीं किया था । अतः मैं केवल दो ही व्यक्तियों को सरकार तथा विरोधी पक्ष को ही अवसर दूंगा । अब माननीय मंत्री अपने विचार प्रस्तुत करेंगे ।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : यह एक ऐसा विषय है जिस पर कई दिनों तक चर्चा की जा सकती है । हम इस के किसी भी पक्ष पर कई दिनों तक बड़ी सफलतापूर्वक चर्चा कर सकते हैं । परन्तु इस समय तो विरोधी पक्ष की माननीया सस्दया न ही अपने संकल्प को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त कर सकी हैं और न ही प्रस्तुत विषय के साथ अन्य न्याय कर सकीं इसलिये तो उन्हों ने इस विषय को राजनीतिक क्षेत्र में घसीटने का प्रयत्न किया है ।

मुझे स्मरण है कि स्वर्गीय श्री लियाकत अली खां ने ब्रिटिश काल में एक बार मुझ से यह कहा था कि मैं उन से उस वर्ष के आयव्ययक के सम्बन्ध में चर्चा करूं । तदनुसार मैं ने उन से लगभग १½ घंटे तक चर्चा की । वे एक अत्यन्त कुशल तथा योग्य व्यक्ति हैं, परन्तु उस चर्चा के अन्त में वे यह कहने लगे कि "मैं समझता हूं कि मुझे इस विषय को छोड़ ही देना चाहिये, ये बातें मेरी समझ से बाहर हैं । इसलिये चलो भारत विभाजन के सम्बन्ध में ही चर्चा करें । मैं अर्थशास्त्र और आयव्ययक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता ।" वैसे ही श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने भी यहां पर वास्तविक समस्या को पीछे ही छोड़ कर राजनीतिक आक्रमण किया है । उन्हों ने योजना के वास्तविक रूप, योजना आयोग, उसकी चिन्ताओं तथा उलझनों, योजना को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता, और योजना पूरी करने के लिये संसाधनों को ढूंढ़ना आदि इन सभी बातों को छोड़ दिया है । और वास्तव में ये बातें हैं भी ऐसी ही, जिन के बारे में साम्यवादी दल का कोई भी नेता जरा भी चिन्ता नहीं करता ।

फिर एक और दृष्टि से भी इस की कटु आलोचना की गयी है, और इस दृष्टिकोण से हम अच्छी प्रकार से परिचित हैं । योजनाओं की सभी बुराइयों का मूल उस का ढांचा ही है । योजना का ढांचा क्या था, उस का किसी को भी ज्ञान नहीं । विरोधी पक्ष के सदस्यों को प्रायः हम से अधिक ही ज्ञान होता है और 'योजना का ढांचा' एक ऐसा विषय है जिस के सम्बन्ध में कोई काल्पनिक घोड़े

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

दौड़ाये जा सकते हैं। उस का परिणाम यह हुआ कि हमें कई बहुमूल्य विचार प्राप्त हुए जिस के लिये हमें एक और भी ढांचा बनाना पड़ा। योजना का ढांचा कोई ठोस वस्तु तो है नहीं जिसे कि बांध कर रखा जा सके।

योजना के ढांचे ने क्या किया है। वह तो निस्सन्देह एक पुस्तक मात्र है। परन्तु मेरा उन माननीय सदस्यों से, जिन्हों ने कि अर्थशास्त्र में विशेष रूप से प्रवीणता प्राप्त कर रखी है, यह निवेदन है कि वे इकट्ठे मिल कर योजना के ढांचे में उल्लिखित वस्तुओं तथा अनुल्लिखित वस्तुओं की कीमतों का हिसाब लगायें। योजना के ढांचे में तो केवल एक ही ओर का उल्लेख है, दूसरी ओर का नहीं है। दूसरी बात यह है कि योजना के ढ़ांचे को कार्यान्वित भी तो करना है। और उस के लिये हमें संसाधनों तथा धन की आवश्यकता है। और तीसरी बात यह है कि इसे लोकतन्त्रात्मक ढंग से कार्यान्वित करना है।

यह कहना व्यर्थ है कि लोगों को कपड़ा न मिले, उन्हें मकान न दिये जायें, उन्हें कोई भी सुविधा न दी जाये, और केवल बड़ी बड़ी मशीनें ही बनायी जायें। बड़ी मशीनों के निर्माण में भी कुछ समय लगता ही है। मुझे हर्ष है कि कभी कभी विरोधी पक्ष के सदस्य ही अत्यन्त उदार बन जाते हैं। सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में वे हमारी कुछ एक गलतियों को क्षमा करने के लिये भी तैयार हैं। क्षमा करना तो एक दैवी गुण है। मुझे इस बात का अत्यन्त हर्ष है कि माननीय सदस्या हमें क्षमा कर रही हैं। परन्तु श्री भरूचा ने मुझे क्षमा नहीं किया। वे तो यह समझते हैं कि, चूंकि मैं ने ही सरकारी पक्ष प्रारम्भ किया है, इसलिये इस का सारा भार मुझे ही उठाना चाहिये। भाई मैं तो इस्पात के अयस्क अथवा किसी और वस्तु के बारे में किसी से संविदा भी नहीं कर सकता। वास्तव में, हम तो सरकारी क्षेत्र में भी पूर्ण रूपेण दक्ष नहीं हैं। हम कोई बड़ी बड़ी फैक्टरियों या उपक्रमों के प्रबन्धक भी नहीं हैं हम से कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। कभी कभी हम गलत लोगों से संविदा कर बैठते हैं। कभी जहाज़ों के आने में भी देर हो जाती है। माननीय सदस्यों ने हमारी इन गलतियों की ओर संकेत किया है। मैं उन का कृतज्ञ हूं कि उन्हों ने सरकारी पक्ष में किये जा रहे कार्य के प्रति अपनी उदार भावना का प्रदर्शन किया है और हमें क्षमा कर दिया है।

परन्तु वास्तविक प्रश्न यह देखने का है कि सरकारी क्षेत्र में हम पहुंचे कहां तक हैं? इस योजना पर तो आक्षेप करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यह सभा चाहती थी कि हम योजना को प्रस्तुत करें, और इसीलिये हम ने उसे प्रस्तुत किया था। मैं माननीय सदस्या से यह पूछना चाहता हूं कि क्या योजना में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद् के अतिरिक्त किसी और से भी भारी मशीनें मंगवाने की कोई व्यवस्था की गई है? मैं भारी मशीनों के बारे में कोई भी दावा करने के लिये तैयार नहीं। वास्तव में मैं ने ही तो इस बात पर जोर दिया था कि भारी मशीनों को राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद् के अधीन रखा जाये, और यह परिषद् भी हमारे द्वारा ही स्थापित की गई है जिस का उद्देश्य सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है।

जहां तक भारी मशीनों के संयंत्रों का सम्बन्ध है, उस समय भी हमें यही आशा थी कि इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही मंगाया जायेगा। इतनी अधिक कठिनाइयां होने पर भी क्या हम ने भारी मशीनों के संयंत्र प्राप्त करने में कोई समय व्यर्थ गंवाया है? उस के लिये व्यवस्था की जा रही है, हम उन्हें जल्दी ही मंगाना चाहते हैं क्योंकि हम भारत के विकास के लिये यहीं पर ढलाई के काम की भट्टियां अथवा कोक भट्टियां बनाना चाहते हैं।

अतः माननीय सदस्या का यह कहना न्यायोचित नहीं है कि हम ने इन संयंत्रों का विचार ही छोड़ दिया है। उन्हों ने बिजली के भारी सामान सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में प्रश्न पूछा था। उस

की वास्तविक स्थिति यह है कि उस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है। धन की अदायगी के बारे में अन्तिम बातचीत हो रही है। परन्तु इस दौरान में तत्सम्बन्धी समस्त कार्य भोपाल में कार्यान्वित किया जा रहा है। काम करने वाले लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। परन्तु इस बारे में एक बात अवश्य ध्यान में रखी जाये। भारी मशीनों, भारी संयंत्रों तथा इस्पात के कारखानों के सम्बन्ध में कहना तो बड़ा आसान है, परन्तु उसे वास्तव में कार्यान्वित करना बड़ा कठिन है।

एक माननीय सदस्य ने एक कच्चे शैड के आधार के गिर जाने का उल्लेख किया है। सरकारी क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों में यही तो कठिनाई है कि यदि कोई कच्चा शैड भी गिर जाये तो उसे बड़ी गम्भीर समस्या के रूप में मान लिया जाता है। यदि ऐसी छोटी छोटी बातों पर भी संसदीय जांच करानी है तब तो कोई कच्चा शैड बनाया ही न जाये। परन्तु प्रश्न यह है कि पक्के शैडों के लिये और धन कहां से आये।

माननीय सदस्या का यह कहना अन्यायपूर्ण है कि हमने सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं को छोड़ दिया है। सरकारी क्षेत्र में इस समय तीन इस्पात के कारखाने बन रहे हैं और मैं समझता हूं कि सरकारी क्षेत्र में सरकार की यह सब से बड़ी देन है। उन पर लगभग ५०० करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। उन के अतिरिक्त सिन्दरी उर्वरक कारखाना, नंगल उर्वरक कारखाना तथा भारी पानी का कारखाना भी चल रहा है। डी० डी० टी० के नये कारखाने को भी और अधिक बढ़ाया जा रहा है। कई अन्य कारखानों के लिये भी आदेश दिये जा रहे हैं।

जहां तक भारी बिजली के सामान का सम्बन्ध है, उसके बारे में बात चीत चल रही है। एक भारी मशीन उपकरण संयंत्र के बारे में तथा जहाजों के एक कारखाने के बारे में भी बात चीत चल रही है।

माननीय सदस्या को इस बात की कोई आपत्ति नहीं है कि हम कम काम कर रहे हैं उन्हें आपत्ति तो इस बात की है कि सरकारी क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र से पिछड़ गया है। उन का यह कथन निस्संदेह सत्य है कि गैर-सरकारी क्षेत्र ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। परन्तु उन के इस कथन से मैं सहमत नहीं हूं कि प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि गैर-सरकारी क्षेत्र को पूर्ण रूपेण हड़प लिया जाये। हमारी यह इच्छा कदापि नहीं, हम तो केवल यही चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र निरन्तर प्रगति करता जाये। परन्तु उसके साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि कुछ एक उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में भी फूलते फलते रहें। हम कोई बड़े बड़े निगम बनाने की इच्छा नहीं रखते। जब भी हम छोटे पैमाने के उद्योगों तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों का नाम लेते हैं तो उस समय हमारा वास्तविक तात्पर्य गैर-सरकारी क्षेत्र से ही होता है। उन्हें कार्यान्वित करने का काम गैर-सरकारी क्षेत्र का ही है। हम ने योजना प्रतिवेदन अथवा औद्योगिक नीति सम्बन्धी किसी भी वक्तव्य में गैर-सरकारी क्षेत्र को उपेक्षित नहीं किया है। अतः माननीय सदस्या का यह कथन गलत है कि हम ने कभी भी यह कहा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को विकसित होने का अवसर नहीं दिया जायेगा। अतः इस प्रकार से वित्त मंत्री पर राजनीतिक दृष्टि से आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं। वित्त मंत्री की नीति से ही तो गैर-सरकारी क्षेत्र आज इतनी प्रगति कर रहा है। परन्तु फिर भी यदि मेरी आलोचना की जा रही है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। क्योंकि मैं इसे सहन करने का आदी बन गया हूं।

माननीय सदस्या का कहना है कि गैर-सरकारी क्षेत्र पर्याप्त प्रगति कर गया है। तो इस में बुराई क्या है आखिर वह भी तो हमारी योजना का एक अविभाज्य अंग है। इस देश में गैर-सरकारी

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

क्षेत्र तो रहेगा ही । परन्तु जहां तक मुख्य तथा मूल उद्योगों का सम्बन्ध है, उन्हें केवल सरकारी क्षेत्र में ही विकसित किया जायेगा । इस से यदि कोई व्यक्ति अप्रसन्न होते हैं तो उस का कोई इलाज नहीं, वास्तव में हमारी भावी योजनाओं की यही तो नीति है ।

माननीय सदस्या का यह कथन भी गलत है कि मैं ने यह कहा था कि गैर-सरकारी क्षेत्र को बहुत सा रुपया मिलेगा । गैर-सरकारी क्षेत्र को कुछ रुपया मिलेगा तो सही । परन्तु उसे जो भी रुपया मिलेगा उसे देश में उसी प्रकार से इस्तेमाल किया जायेगा जो हमारी योजना के अनुकूल होगा, आज कल हम गैर-सरकारी क्षेत्र को नकद रुपया नहीं दे सकते । हम उन्हें केवल यही बता देते हैं कि १९६१ तक तो उन्हें जरा भी नकद रुपया नहीं दिया जा सकता । यदि वे चाहते हैं तो उन्हें आस्थगित ऋण प्राप्त करना पड़ेगा ।

न मैं यह चाहता हूं और न मेरे सहयोगी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ही यह चाहते हैं कि किसी ऐसी चीज का उत्पादन होने दिया जाय जो आयात की जाने वाली किसी वस्तु का स्थान न ले सके या १९६१ में किसी आवश्यकता को पूरा न कर सके । हम जिस चीज के बारे में भविष्य के लिये दायित्व स्वीकार करें उसे ऐसा होना चाहिये जो हमें उस समय के किसी चालू दायित्व से मुक्ति दिला सके । यदि ऐसा न हो तो हम उसे समझौते में नहीं आने देते क्योंकि हमें भविष्य का ध्यान रखना पड़ता है । एक बार सबक सीख चुकने के बाद हमें भविष्य के बारे में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि यह देश एक विशेष सीमा से अधिक भार वहन नहीं कर सकता। यदि आप गैर-सरकारी क्षेत्र को अपनी मशीनें आदि उधार मंगाने देते भी हैं तो उन्हें इस प्रकार की होनी चाहियें जो हमारी विदेशी मुद्रायें बचा सकें या निर्यात द्वारा हमारे लिये विदेशी मुद्रायें प्राप्त कर सकें । यदि मेरे मित्र ने कहा होता और यदि नीति की कोई बात होती तो मैं ने निश्चय ही उस के बारे में विस्तारपूर्वक बताया होता । यहां तक कि यदि गैर-सरकारी क्षेत्र भी कुछ सहायता पाना चाहता है तो उसे भी इन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा ।

मैं ने कहीं यह नहीं कहा कि आधा मुझे मिलेगा और आधा गैर-सरकारी क्षेत्र को । जहां तक मेरा अपना संबंध है, मेरी और योजना आयोग की कठिनाइयां केवल उस सीमा तक हल हो सकेंगी जिस हद तक हमें सरकारी क्षेत्र पर बकाया राशि के लिये प्रत्यक्ष रूप से कुछ सहायता प्राप्त हो जायेगी । यदि गैर-सरकारी क्षेत्र को कुछ सहायता प्राप्त हो सके और नये उद्योगों की स्थापना हो तो संभव है इस से हमारी अर्थ व्यवस्था को कुछ लाभ पहुंचे । इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता । जहां तक मेरी दिक्कतों का संबंध है, उन के लिये तो मुझे प्रत्यक्ष रूप से कुछ सहायता मिलनी ही चाहिये । इसलिये केवल इसी बात से समस्या का हल नहीं हो सकता कि गैर-सरकारी क्षेत्र को आधा मिले और आधा हमें मिले । इस से तो मेरी केवल आधी समस्या ही हल होगी ।

यदि माननीय सदस्या ने मेरी बात ठीक से समझी हो, तो स्थिति यह है कि मेरा संबंध प्रारम्भिक रूपसे योजना को क्रियान्वित करने से और अर्थ-व्यवस्था को उस की मौजूदा कठिनाइयों में से निकालने से है और इसलिये मेरा दृष्टिकोण यह है कि जो कुछ भी मिल सके, जो कुछ भी मैं प्राप्त कर सकूं वह ऐसी चीज हो जो केवल सरकारी क्षेत्र के लिये सरकार के लिये हो या केवल उन्हीं चीजों के आयात की अनुमति देकर, जिन का आना देश की अर्थ व्यवस्था को कायम रखने के लिये आवश्यक हो । जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, वह इस शर्त के अधीन रहते हुए अपना प्रबन्ध आप कर सकता है कि देश की अर्थ व्यवस्था पर उस का कोई दायित्व नहीं होगा ।

†**श्री पाणिग्रही:** क्या आप यह आश्वासन देंगे कि गैर-सरकारी क्षेत्र को बिल्कुल ही वंचित नहीं रखा जायेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : ऐसे मामलों में देश की ३ होगा जिन में विदेशी मुद्राओं की बचत न होती हो या विदेशी

योजना का ही प्रश्न लीजिये । इस के अलावा राज्य व्यापार मेरे मित्र श्री घोष राज्य व्यापार निगम के बारे में चर्चा करना तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं इस चर्चा के समय उपस्थित रह कि इस राज्य व्यापार निगम के बारे में, जिस ने मेरे विचार से सदस्यों के क्या विचार हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वा एक ऐसे विषय के बारे में काम कर रहे हैं जिस से वह भली भांति अच्छा रहा है । मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि राज्य व्य होगा । कुछ जगहों पर उन को हानि भी हो सकती है । इसीलि मूल्यांकन अलग अलग कार्यों के आधार पर नहीं वरन् उस के उस ने बहुत अच्छा कार्य किया है और हमारे लिये बड़ी मात्रा में लिये नये बाजार ढूंढे हैं और इस समय उस का उपयोग हमारे अभिकरण के रूप में किया जा रहा है । मुझे इस संगठन पर गर्व सन्तुष्ट नहीं हैं तो मैं इस के बारे में कुछ नहीं कर सकता । स्पष्ट के बारे में हम ने जो अनुमान लगाया है उन का अनुमान उस

अब खाद्य का प्रश्न आता है । खाद्यान्न समिति के सभा श्रीघ्र ही इस सभा के प्रमुख सदस्य बन जायेंगे ।

†**एक माननीय सदस्य** : वह तो बन भी गये हैं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरा ख्याल है कि उन्हों ने इस से पहिले मैं ने इतने कठिन विषय पर इतना व्यावहारिक प्रतिवदन नहा दखा । इस म वास्तावक-ताओं का सामना जिस साहस के साथ किया गया है वह अनुकरणीय है । मेरे माननीय मित्र उस के बारे में क्या कह रहे हैं ?

†**एक माननीय सदस्य**: समस्या हल हो गई है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : क्या हम केवल आमने सामने बैठ कर और लोगों से केवल बातें ही करके खाद्य समस्या हल कर सकते हैं ? हम लोग वास्तव में एक दूसरे पर बात कर सकते हैं एक समान विषय पर नहीं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उस बात पर तो आईये । आप तो बात करने के लिये तैयार ही नहीं हैं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं बात करने के लिये बिलकुल तैयार हूं वास्तव में इन माननीय मित्र से बात करने में मुझे बड़ा आनन्द आता है ।

†**एक माननीय सदस्य** : वह समान विषय क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यदि साम्यवाद को अलग कर दिया जाये तो मेरी यह माननीय मित्र बहुत अच्छी महिला हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जहां साम्यवाद आया, ऐसा लगता है कि मेरी यह मित्र अपने कुछ बहुत ही मानवीय और मानवोचित गुण खो देती हैं। यही कठिनाई है। हम बात ही क्या कर सकते हैं ; कुछ भी नहीं। ऐसा कोई समान विषय नहीं है जिसके बारे में हम बात कर सकें। मैं हमेशा यहीं देखता हूं कुछ न कुछ तोड़ फोड़ की कोशिश लोग करते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी पुरानी लुका छिपी चलती ही रहती है। प्रधान मंत्री ने ऐसा ऐसा कहा ; वह हमारे मित्र हैं। गृह-कार्य मंत्री, वित्त मंत्री और कुछ अन्य लोग उनके मित्र नहीं हैं। केवल प्रधान मंत्री ही उन लोगों से बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वह भी इनसे बातें करना नहीं चाहेंगे। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री की निष्ठा अपने सहयोगियों के प्रति इतनी कम नहीं है कि वह उनका साथ छोड़ देंगे। वह विषय ही कौन सा हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर सकें? इस संकल्प को प्रस्तुत करने से कोई लाभ नहीं। क्या इसी खाद्य समस्या के बारे में माननीय सदस्य हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि वह इस नये किसान आन्दोलन को रोक देंगे? हम सभी जोतने वालों को जमीन देना चाहते हैं। सभा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस बात को न चाहता हो लेकिन यह काम अचानक ही तो नहीं किया जा सकता। अनेक बार ऐसा होता है कि आपको भूमिहीन लोगों को जमीन देनी पड़ती है लेकिन यह तो आवश्यक नहीं है कि वह भूमिहीन व्यक्ति जोतने वाले भी हों। इस सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि विरोध पक्ष और हमारे बीच कोई समान बात नहीं है। होता यह है कि विरोध पक्ष आज तो योजना के ढांचे को स्वीकार कर लेता है लेकिन दूसरे ही दिन उसे कोई दूसरी बात अच्छी लग जाती है और ऐसे में वह केवल इसीलिये उसे लेकर सरकार पर आक्षेप करने लगता है कि उससे उसे सरकार की आलोचना करने में आसानी होती है। मैं पूरी गम्भीरता के साथ सभा को यह बता सकता हूं कि इस योजना ने अपनी विशालता और अपने लक्ष्यों की वजह से ऐसी समस्यायें उत्पन्न कर दी हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिन दूसरे देशों में योजनाएं बनाई जाती हैं वहां इन कठिनाइयों का ध्यान नहीं रखना पड़ता क्योंकि जब कठिनाइयां उठती हैं, वह जहां की तहां दबा दी जाती हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हम गड़बड़ी करने वालों का निर्दयतापूर्वक दमन करके कठिनाई को दूर नहीं कर सकते। हम गड़बड़ी करने वालों को गोली नहीं मार सकते; हमें उन्हें समझा बुझा कर काम चलाना पड़ता है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम) : आपने इन सब को भी तो आजमा कर देख लिया है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : आवश्यकता पड़ने पर हमें उनकी इच्छाओं को कुछ सीमा तक पूरा करना पड़ता है और क्योंकि हमें उन्हें अपने साथ ले चलना है इसलिये कभी कभी हमें अपनी कार्य प्रणाली और लक्ष्यों में भी परिवर्तन कर देना पड़ता है।

यदि ईश्वर ने चाहा तो हमारी योजना पूरी हो जायेगी और ४८०० करोड़ रुपये का लक्ष्य भी पूरा हो जायेगा बशर्ते कि कम्युनिस्ट पार्टी ने इस अर्थ व्यवस्था में जितना स्थान हासिल कर लिया है उससे और ज्यादा स्थान हासिल न कर पाये। इसमें सन्देह नहीं है कि हम सभी योजना के वित्तीय और अन्य सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन मैं अब भी यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि अपने माननीय मित्र से केवल-मात्र चर्चा कर इस कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। कोई व्यक्ति इस योजना को छोटा करना नहीं चाहता। मैं भी चाहता हूं कि इस योजना को और भी बढ़ाया जाये। मैं चाहता हूं कि यह योजना अपनी अवधि के भीतर ही और भी

---

†मूल अंग्रेजी में

अच्छी सुविधायें प्रदान करे। लोगों का जीवन स्तर उंचा उठाये, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाये और राष्ट्रीय उत्पादन न सिर्फ १३००० करोड़ तक ही वरन् उससे कहीं अधिक बढ़ाये। लेकिन इसके लिये मैं सामने बैठी हुई अपनी मित्र के केवल इसी भाषण से सन्तुष्ट नहीं हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी इस अत्यन्त वांछनीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये पूरा सहयोग करेगी। इसके लिये मुझे कुछ और भी आश्वासन चाहिये।

मुझे इस संकल्प का विरोध करना ही पड़ेगा। आप ऐसी किसी चीज में संशोधन नहीं कर सकते जो असंशोधनीय हो। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे कि मिट्टी बालू या तिनके की तो बात ही अलग कुछ भी लिये बिना ही ईंटें बनाने की कोशिश की जाये। आप किसी विरोधात्मक प्रस्ताव को समर्थन करने वाला प्रस्ताव नहीं बना सकते। इसीलिये मैं प्रस्तावकों को यह सुझाव दूंगा कि वह इन संशोधनों को रहने दें। मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

†**सभापति महोदय** : अब केवल ८ या १० मिनट बचे हैं। प्रस्तावक महोदय पांच मिनट ले सकते हैं ताकि मैं किसी अन्य वक्ता को भी अवसर दे सकूं। मैं ऐसे दो–एक व्यक्तियों को और अवसर देना चाहता हूं जो बोलने के लिये बहुत उत्सुक हैं।

†**श्री विमल घोष** : काश मैं मंत्री महोदय के बोलने के पहले अपनी बात कह सकता।

मैं इस संकल्प का समर्थन नहीं कर सकता हूं क्योंकि यह परस्पर विरोधी बात कही गयी है। इसमें कहा गया है कि कठिनाइयों के बावजूद भी भौतिक लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन जब हमें यही नहीं मालूम कि क्या कठिनाइयां हैं तब इसे पूरा किया ही कैसे जा सकता है ?

मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि संकल्प के अलावा यहां मुख्य प्रश्न संसाधनों का भी है। यों तो विकास टिकाऊ कीमतों और खाद्य का प्रश्न भी है लेकिन मैं आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के संसाधनों के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

जहां तक आन्तरिक संसाधनों का सम्बन्ध है ऐसा प्रतीत होता है कि अल्प-बचत और ऋणों के सम्बन्ध में हमारे अनुमान गलत सिद्ध हो रहे हैं और लगता है कि हम अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पायेंगे।

बाहरी संसाधनों के बारे में भी मैंने देखा कि इसमें भी हमारा अनुमान गलत हो गया है लेकिन यहां मैं केवल एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वाशिंगटन में अपने भाषणों में से एक में अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि योजना चाहे कितनी भी त्रुटिरहित क्यों न हों पश्चिमी राष्ट्रों से बड़ी सहायता मिले बिना इसे पूरा नहीं किया जा सकता। मुझे इस की दो बातों पर आपत्ति है। हमारे प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि सहायता न मिलने पर भी हम योजना को आगे बढ़ायेंगे; लेकिन वहां यही जाहिर किया गया है कि जब तक बहुत-सारी सहायता नहीं दी जायेगी तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। मुझे इसके दूसरे भाग पर भी आपत्ति है कि यह बड़ी सहायता केवल पश्चिमी राष्ट्रों से ही मिलनी चाहिये। यह तो बड़ी ही अवांछनीय बात थी।

आस्थगित भुगतान के बारे में भी एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने कहा था कि वे योजना में काट-छांट नहीं करेंगे और न उसे प्रावस्था भाजित बनायेंगे लेकिन तब आस्थगित भुगतान का क्या अर्थ है ? इसका अर्थ तो यह हुआ कि जहां तक विदेशी मुद्राओं का प्रश्न है यह योजना पांच वर्षों की न होकर सात या आठ वर्षों की हो जायेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि हम आज से ही पांच या जरूरी हो तो छः या सात वर्षों की योजना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विमल घोष]

बनायें। हमें अपने बाहरी और भीतरी संसाधनों की जांच कर स्थिति के सम्बन्ध में सही अनुमान लगाना चाहिये कि हम किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि वास्तव में दायित्व को सात आठ वर्षों तक स्थानांतरित करके और यह कह कर कि हम पांच ही वर्षों में वह काम किये ले रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं।

इसलिये मेरा सुझाव है कि योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों, अर्थ-शास्त्रियों और संसद्-सदस्यों की एक समिति बनायी जाय जो हमारे भीतरी और बाहरी संसाधनों के इस प्रश्न की जांच करे और यह बताये कि उन्हें कैसे बढ़ाया जा सकता है और तब उनके आधार पर यह सुझाये कि योजना में क्या सुधार और परिवर्तन किये जा सकते हैं। 'पांच' शब्द में ही कोई खास पवित्रता नहीं है। हमें ऐसी योजना बनानी चाहिये जो योजना की अवधि के भीतर ही उसके लक्ष्यों को पूरा करा सके।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : जिस प्रकार योजना तैयार करने के समय संसद् सदस्यों, प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का सम्मेलन किया गया था, क्या उसी प्रकार उन्हीं लोगों का सम्मेलन बुलाना संभव नहीं होगा जिससे विरोध पक्ष के लोगों के विचार जाने जा सकें ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्यों की सुविधानुसार मैं और मेरे सहयोगी निश्चय ही आमने-सामने बैठकर किसी भी प्रश्न पर चर्चा करने के लिये तैयार हैं।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : हमारी एक परामर्शदाता समिति है जिसकी बैठक जल्दी ही, १६ तारीख से होने वाली है और उसका प्रयोजन केवल इन्हीं बातों पर चर्चा करने का है। इस समिति में सभी दलों के लोग हैं और यदि और लोग भी, जिनके नाम उसकी सदस्य-सूची में नहीं हैं, उसके कार्य में दिलचस्पी रखते हैं तो उन्हें भी उसमें भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जाता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मुझे खेद है कि वित्त मंत्री महोदय इतने भावुक कैसे बन गये हैं। हो सकता है कि उनके प्रतिकूल काफी बातें कही जाती हैं और वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाना चाह रहे होंगे।

मेरी आकांक्षा थी कि यदि उन्होंने सम्पूर्ण प्रश्न पर राजनीतिक और आर्थिक आधार से चोट की होती तो ज्यादा अच्छा होता। मैं इस वाद-विवाद के प्रति इसलिये भी आभारी हूं कि इसने यह दिखा दिया है कि किसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण के प्रति सरकार की बातों का मूल्य वास्तव में कितना है।

वित्त मंत्री को यह बात चाहे पसन्द हो या नहीं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी मरी नहीं है, वह जिन्दा है। वह पहले किसी भी समय से ज्यादा लोकप्रिय है, इस देश की एक सरकार का नियंत्रण उसके हाथ में है और वे चाहे इस बात को पसन्द करें या नहीं, हम इस राष्ट्र के एक अंग हैं और जनता के एक बड़े भाग का स्नेह हमें प्राप्त है। हमने सोचा था कि वे राजनीतिक स्तर पर बातचीत करेंगे। लेकिन अब यह बात हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गयी है कि वित्त मंत्री को पूरा विश्वास है कि प्रधान मंत्री अपने सहयोगी का ही साथ देंगे, बात-चीत करने के लिये हमारे पास कोई समान आधार नहीं है और इस सभा में उनके बहुमत के कारण यह संकल्प गिर जायेगा। मुझे केवल अपने देश के लिये ही खेद है क्योंकि

---

†मूल अंग्रजी में

इस समय हमारे देश के सामने जो संकट है उसे टालने के लिये राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये, कांग्रेस का दलगत दृष्टिकोण नहीं ।

दुर्भाग्यवश, उन्होंने मेरी कई बातों का उत्तर नहीं दिया है । यह जरूर है कि अपने व्यक्तिगत बैरी—प्रोफेसर महल नवीस की उन्होंने खूब धज्जियां उड़ायी हैं । उनके समर्थन में तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन यह बात कहीं अधिक सही है कि जब तक हमें मशीन बनाना नहीं आता तब तक हमें विदेशियों की दया के भरोसे ही रहना होगा और इसीलिये चाहे वह इस बात को पसन्द करें या नहीं, योजना में मुख्य रूप से मशीन बनाने की योजनाओं पर ही जोर दिया जाना चाहिये ।

फिर विदेशी मुद्राओं का प्रश्न भी है । हर तरह की मशीनों की कीमतें चढ़ रही हैं और पता नहीं इनका प्रश्न कैसे सुलझेगा । यदि वित्त मंत्री यह विश्वास दिला सकें कि इन लक्ष्यों को कायम रखा जायेगा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आंशिक रूप से उन्होंने मेरे संकल्प को स्वीकार तो कर लिया है, भले ही इस बात को मानें नहीं ।

फिर, गैर-सरकारी क्षेत्र को त्याग देने का प्रश्न था । यह प्रश्न तो किसी ने उठाया नहीं था । प्रश्न विकेन्द्रित क्षेत्र का था । उपभोग वस्तुयें बनाने वाले कारखानों की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग किया जाना चाहिये । सरकार ने विकेन्द्रित क्षेत्र से उतने प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार नहीं किया जितना किया जाना चाहिये था । इसके लिये जिस विशाल ढांचे की आवश्यकता होगी वह सभी दलों के सहयोग के बिना नहीं खड़ा किया जा सकता । सरकार ने न केवल वैसे इस बात पर ध्यान दिया, इस वाद विवाद तक में उसका ध्यान नहीं रखा गया । इसलिये गैर सरकारी क्षेत्र को छोड़ देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं । पूरा जोर भारी उद्योगों पर होना चाहिये । कुछ भी हो, हमारा विदेशी मुद्राओं का अंश बहुत सीमित है ।

हम एक दूसरे की बातों से असहमत हो सकते हैं । लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हम एक दूसरे से सहमत हैं । हमारा ख्याल है कि प्रावस्था-भाजन बहुत जरूरी है और यह बात नीतियों, योजना के संतुलन, राजनीतिक प्रश्नों और हमारे देश की आर्थिक स्वाधीनता के साथ जुड़ी हुई है । इसीलिये यह अनिवार्य रूप से एक आर्थिक और राजनीतिक प्रश्न है ।

†**सभापति महोदय** : जहां तक संशोधनों का प्रश्न है, क्या कोई माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उनके संशोधनों पर पृथक मत लिये जांय ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं एक भी संशोधन स्वीकार नहीं करती :

†**सभापति महोदय**: तब मैं संशोधनों को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय**: अब मैं संकल्प को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह

---

†मूल अंग्रेजी में

[सभापति महोदय]

है कि :

"इस सभा की यह राय है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना क समक्ष जो कठिनाइयां हैं उनके होते हुये भी योजना के भौतिक लक्ष्य, बिना किसी प्रकार की कटौती किये, योजना काल के भीतर ही साध्य किये जा सकते हैं ।

इस सभा की आगे यह राय है :—

(१) कि योजना की ऐसी कार्यान्विति को सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग द्वारा सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाये जिसमें योजना सम्बन्धी नीति तथा उपायों पर चर्चा की जाये ताकि उसमें आवश्यक रूपभेद और परिवर्तन किये जा सकें; और

(२) कि इस प्रकार के एक सर्वदलीय सम्मेलन के आयोजित किये जाने तक सरकार योजना में हेर-फेर और कटौती करने के बारे में सारी एक-पक्षीय घोषणायें करना लोक हित में बन्द कर दे ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

प्रदीप में एक बड़ा पत्तन बनाने के बारे में संकल्प

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सरकार उड़ीसा के तट पर प्रदीप में एक बड़ा पत्तन बनवाने की व्यवस्था करे ।"

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रदीप, मंगलौर और मालपी की छोटी बन्दरगाहों को सर्वाऋतु पत्तन बनाने के लिये ६४ करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। मेरे विचार में इस कार्य के लियें यह राशि बहुत कम है विशेषतया जब कि प्रदीप ने अपने यहां मुख्य बन्दरगाह बनाने का दावा किया है । उसका यह दावा सर्वथा उपयुक्त है । वहां पर बन्दरगाह बनाने के लिये बहुत थोड़े रुपये की आवश्यकता होगी तथा यह कार्य थोड़े ही समय में पूर्ण भी हो जायेगा । सरकार का इस पर जितना रुपया व्यय होगा उससे कहीं अधिक उसे आय होगी । १९४७ से ही चिटगांव के पाकिस्तान में जाने के बाद से हमें व्यापार की वृद्धि तथा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की दृष्टि से पूर्वी तट पर एक मुख्य पत्तन की आवश्यकता है । प्रदीप इस आवश्यकता को भली भांति पूरा कर सकता है । केन्द्रीय, जल, सिंचाई, विद्युत् तथा जहाजरानी आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण में भी महानदी के मुहाने पर स्थित प्रदीप के पत्तन को मुख्य पत्तन बनाने की सिफारिश की गई है । इसके बाद राष्ट्रीय तट मंडल की १९५४ की बैठक के निश्चय के अनुसार इस सम्बन्ध में पूना गवेषणा केन्द्र में किये गये परीक्षणों के अनुसार भी प्रदीप को मुख्य पत्तन बनाने के लिये सर्वथा उपयुक्त रिपोर्ट दी गई है ।

मई १९५६ में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के डिप्युटी डायरेक्टर श्री करतार सिंह ने भी इस पत्तन की छानबीन के बाद एक रिपोर्ट में कहा है कि प्रदीप में चिटागांग से भी अच्छी बन्दरगाह बनने की सभी समर्थताएं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन सब के प्रकाश में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बन्दरगाह की सामर्थ्य के बारे में पर्याप्त छानबीन हो चुकी है और देशी तथा विदेशी सभी विशेषज्ञों ने इसको मुख्य बन्दरगाह बनाने के पक्ष में मत दिया है । अतः अब सरकार को इस कार्य में कोई देरी नहीं करनी चाहिये ।

टेकनीकल दृष्टि से भी प्रदीप एक ऐसी अच्छी बड़ी बन्दरगाह बन सकती है जैसी की भारत की अन्य बड़ी बड़ी बन्दरगाहें हैं । आर्थिक दृष्टि से भी प्रदीप में बन्दरगाह बन जाने से कलकत्ता की बन्दरगाह पर भीड़ कम हो जायेगी और इससे काफ़ी समय तथा धन की बचत हो जायेगी । इस को मुख्य बन्दरगाह बनाने के लिये ७ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया है । मैं समझता हूं इससे होने वाले फायदों को देखते हुए यह राशि कोई ज्यादा नहीं है । यहां से लगभग प्रतिवर्ष २० लाख टन माल आने जाने की सम्भावना है । इससे हमारे देश की आय में कितनी वृद्धि हो जायेगी। उड़ीसा में धातुओं की बहुतायत है । यदि हम इस बन्दरगाह को मुख्य बन्दरगाह बना देंगे तो इन धातुओं को दूर की बन्दरगाहों तक पहुंचाने के लिये जो रेल भाड़ा व्यय होता है उसमें काफी बचत हो जायेगी। अनुमान लगाया गया है कि इससे उड़ीसा सरकार को परिवहन व्यय म प्रति टन १० प्रतिशत रुपये की बचत हो सकती है । यहां की निर्यात से हमें प्रतिवर्ष २ करोड़ रुपये की बचत हो सकती है । इस प्रकार हम ३ ही वर्षों में अपना ७ करोड़ रुपया निकाल सकते हैं । इससे उड़ीसा राज्य स्थित टाटा लोहा तथा इस्पात कारखाने तथा रूरकेला के लोहे के कारखाने के लिये माल मंगवाने और उनका माल भेजने में भी बड़ी सुविधा तथा बचत होगी तथा इससे विदेशी मुद्रा के व्यय में काफी कमी हो सकती है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इन सब बातों के आधार पर मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पहले ही प्रदीप में मुख्य बन्दरगाह बनाने का प्रयास करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सरकार उड़ीसा के तट पर प्रदीप में एक बड़ा पत्तन बनवाने की व्यवस्था करे ।"

अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब श्री कृष्णमाचारी से बोलने के लिये कहूंगा ।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाने और उसे वसूल करने तथा उस के शुद्ध आगम के एक अंश को राज्यों में वितरित करने तथा उन वस्तुओं को अन्तर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्य के लिये विशेष महत्व की वस्तुएं घोषित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछले कुछ काल से राज्य सरकारों से इस विषय पर परामर्श किया जा रहा था कि कुछ अधिकांश तथा सामान्य खपत वाली वस्तुओं पर राज्यों का बिक्री कर हटा कर उन पर अधिक उत्पादन कर लगा दिया जाये तथा उस कर को राज्यों में बांट दिया जाये। पिछले दिसम्बर में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह निश्चय किया कि चीनी, तम्बाकू तथा मिल के कपड़े पर बिक्री कर हटा दिया जाये तथा उसके स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन कर लगा दिया जाये तथा प्रत्येक राज्य खपत के आधार पर यह राशि राज्यों में बांट दी जाये। इस राशि के बटवारे का विस्तृत विवरण तैयार करने की जिम्मेवारी वित्त मंत्री पर छोड़ दी गई तथा प्रत्येक राज्य को इन वस्तुओं के बिक्री कर से जितनी राशि प्राप्त हो रही थी उन्हें कम से कम उतनी राशि अवश्य देने का आश्वासन दिया गया है। पिछले मई मास में वित्त आयोग को इन सिद्धान्तों के आधार पर यह अनुमान लगाने के लिये कहा गया था कि वह पता लगाये कि यदि ऐसा कर लगाया गया तो प्रत्येक राज्य को कितनी कितनी राशि मिलेगी। वित्त आयोग की वह रिपोर्ट इस समय सभा के सन्मुख प्रस्तुत की गई है। इस विधेयक में इस रिपोर्ट के आधार पर कुछ वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाने के लिये तथा उस कर को राज्यों में बांटने का उपबन्ध किया गया है।

मुझे आशा है कि इस विधेयक का स्वागत होगा। इससे भिन्न भिन्न दर के बिक्री कर की बजाये सर्वत्र एक ही जैसा कर लगने लगेगा। उस समय कर अपवंचना से जो हानि होती है वह भी बच जायेगी तथा सम्पूर्ण वस्तुओं पर उत्पादन के समय ही कर लग जायेगा और इस प्रकार पहले कहीं कहीं पर जो भाग बिक्री कर लगने से बच जाता था उस पर भी कर लग जायेगा। इस प्रकार इस विधेयक से राजस्व के बढ़ने में बड़ी सहायता मिलेगी। व्यापारियों की दृष्टि से भी यह विधेयक बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा, उन्हें इससे बिक्री कर लेने की असुविधा का सामना करने से छुटकारा मिल जायेगा।

अब मैं अतिरिक्त करों की दरों को लेता हूं। चीनी पर प्रति हंडरवेट ३.३१ नये पैसे कर लगाया जायेगा। यह कर प्रति पौन्ड पीछे लगभग ३ नये पैसे बैठता है। इस प्रस्ताव से वर्ष भर में १२.१८ करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है।

सुपरफाइन कपड़े पर प्रति वर्गगज १३ नये पैसे कर लगेगा, फाइन पर ८ नये पैसे प्रति वर्गगज, मीडियम पर ४ नये पैसे और कोर्स पर ३ नये पैसे। रेशमी कपड़े पर ३ नये पैसे, ऊनी कपड़े पर मूल्य का ५ प्रतिशत कर लगेगा। इस प्रकार इन सबसे एक वर्ष में २१.९० करोड़ रुपये की आय होगी।

तम्बाकू तथा तम्बाकू निर्मित वस्तुओं पर जो विशेष कर लगाये गये हैं उनकी एक सूची दे दी गई है। सारी सूची को यहां पढ़ना व्यर्थ होगा किंतु उनका संक्षेप इस प्रकार है :

अनुत्पादित तम्बाकू पर :— (क) हुक्का, चबाने वाले तम्बाकू तथा सिगारों के तम्बाकू पर ३ नये पैसे प्रति पौंड ; (ख) बीड़ियां बनाने वाले तम्बाकू पर २० नये पैसे प्रति पौंड। क्योंकि बीड़ियों पर इस समय पृथक बिक्री कर लगता था और इन पर पहले कोई उत्पादन कर नहीं था इसलिये इस तम्बाकू पर ही यह उत्पादन कर लगा दिया गया है; और (ग) पाइपों में इस्तेमाल किये जाने वाले तथा धूम्रपान मिश्रण के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले तम्बाकू पर ५० नये पैसे प्रति पौंड।

उत्पादित तम्बाकू पर :—केन्द्रीय उत्पादन कर की दृष्टि से सिगरेटों को आठ श्रेणियों में बांटा गया है । इनके लिये करों की दरें निम्नतम श्रेणी में, जिसमें कि ७.५० रुपये हजार तक के सिगरेट आते हैं, १ रुपये प्रति हजार से लेकर उच्चतम श्रेणी में, जिसमें कि प्रति हजार ५० रुपये से अधिक दाम वाले सिगरेट आते हैं, २१.५० रुपये प्रति हजार तक हैं । इनके अनुसार प्रत्येक श्रेणी से प्राप्त होने वाले केन्द्रीय उत्पादन कर की राशि ४० प्रतिशत बढ़ जायेगी ।

सिगार की नौ श्रेणियां की गई हैं । प्रत्येक श्रेणी पर उसके पहले उत्पादन कर का २५ प्रतिशत और अतिरिक्त कर लगाया गया है । इन करों के कारण तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों पर पूरे वर्ष में ७.४० करोड़ रुपये ग्रास आय होगी ।

इन सब प्रस्तावों के अनुसार कुल ४१.४८ करोड़ रुपये की अधिक आय होगी । इसमें से इन्हें इकट्ठा करने के प्राक्कलित व्यय तथा निर्यातों पर छूट एवं संघ क्षेत्रों का भाग रखने के बाद जितनी राशि बचेगी वह ३८ या ३९ करोड़ रुपये के लगभग होगी । यह राशि राज्यों को बिक्री कर के स्थान पर जितनी राशि देने के लिये कहा गया है अर्थात् ३२.५० करोड़ रुपये से ७ करोड़ रुपये अधिक होगी ।

क्योंकि बिक्री कर की वर्तमान दरें मूल्य के अनुसार निश्चित की गई हैं तथा वे प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न हैं इसलिये इन प्रस्तावों की उनसे तुलना करना संभव नहीं है । किन्तु सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि इस विधेयक की पहली अनुसूची में जितने कर लगाये गये हैं उनका उप भोक्ताओं पर उन वस्तुओं पर राज्यों द्वारा लगाये जाने वाले बिक्री कर की अपेक्षा कम भार पड़ेगा । जैसा कि कर जांच समिति ने कहा है बिक्री करों को इकट्ठा कर देने से सामान्यतया कम भार वाले एक कर से इन करों की अपेक्षा अधिक आय हो सकती है । क्योंकि केन्द्रीय उत्पादन कर उत्पादन स्रोत पर लगाया जाता है इसलिये उसका अपवंचन नहीं हो सकता है । इसलिये औसतन बिक्री कर से कम कर लगाने पर भी जैसा कि इस विधेयक में किया गया है, हमारा राजस्व बढ़ सकता है ।

इस विधेयक से संलग्न करों का अस्थायी संग्रह अधिनियम के अन्तर्गत की गई घोषणा के अनुसार यह कर १४ दिसम्बर, १९५७ से लागू होंगे । अब मैं यहां पर इस प्रकार प्राप्त कर राशि के वितरण के आधारों की व्याख्या में नहीं पड़ुंगा । किंतु जब इस विधेयक को विचार के लिये लिया जायेगा तब मैं इस प्रश्न का विस्तृत विवरण दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कुछ वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाने और वसूल करने तथा आय के शुद्ध आगम के एक अंश को राज्यों में वितरित करने तथा उन वस्तुओं को अन्तर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्य के लिये विशेष महत्व की वस्तुएं घोषित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वि० त० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं विधेयक को पुरस्थापित* करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित ।

सूती वस्त्रों के उत्पादन शुल्क में कमी करने और अतिरिक्त उत्पादन छूट को वापस लेने के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : श्रीमान्, मैं एक छोटा सा वक्तव्य देने की अनुमति चाहता हूं । भारत सरकार कपड़े के उत्पादन, आन्तरिक खपत, स्कन्ध स्थिति तथा मूल्यों के बारे में खास निगरानी रख रही है । कपड़े की स्कन्ध स्थिति का विचार रखना वैसे भी आवश्यक है । यद्यपि अभी कपड़े की कीमतें दिसम्बर, १९५६ के स्तर तक नहीं आई हैं तथापि मीडियम किस्म के कपड़े की कीमतें खास तौर पर काफी गिर गई हैं । मीडियम किस्म के कपड़े की मोटे किस्म के कपड़े की तुलना में स्थिति कुछ खराब हो गई है और मिलों में मीडियम किस्म के कपड़े के बड़े स्टाक जमा हो गये हैं । आशा की जाती है कि आज बिक्री कर की बजाये जो अतिरिक्त उत्पादन कर लगाने के प्रस्ताव रखे गये हैं उनसे इस कपड़े की स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा और वह मिलों के गोदामों से उठना शुरू हो जायेगा । किंतु फिर भी मैं समझता हूं इस कपड़े के लिये विशेष सहायता देना आवश्यक है । चाहे वह थोड़े ही समय के लिये क्यों न हो । इसलिये भारत सरकार ने यह निश्चय किया है मीडियम सूती कपड़ों पर तत्काल उत्पादन शुल्क २ आने प्रति गज से हटा कर १ १/२ आने प्रति गज कर दिया है । एतत् संबंधी एक अधिसूचना शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जायेगी । यह कमी केवल ३१ मार्च, १९५८ तक दी जायेगी ।

माध्यमिक कपड़े पर उत्पादन कर की इस कमी के कारण अब अपने साधारण अथवा औसतन लक्ष्य से अधिक सूती कपड़ा बनाने वाली मिलों को अतिरिक्त कपड़े पर जो प्रति वर्ग गज २ पाई की छट दी जाती थी उस छूट का देना अनावश्यक हो गया है । माध्यमिक सूती कपड़ा सम्पूर्ण उत्पादन का लगभग तीन चौथाई होता है । इस छूट को १ जनवरी, १९५८ से हटाने का निश्चय किया गया है । इस संबंध में भी शीघ्र एक अधिसूचना जारी कर दी जायेगी ।

प्रदीप में एक बड़ा पत्तन बनाने के बारे में संकल्प——(जारी)

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री सूपकार के संकल्प को लेंगे । कौन-कौन सदस्य उस पर संशोधन रखना चाहते हैं ?

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : प्रदीप को मुख्य पत्तन बनाने का प्रश्न केवल उड़ीसा की आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से ही नहीं देखा जाना चाहिये बल्कि हमें राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तथा अन्य

---

†मूल अंग्रेजी में

बन्दरगाहों में स्थानाभाव की कमी को दूर करने की दृष्टि से भी इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। जब मैं इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करता हूं तो मैं समझ नहीं सकता कि भारत सरकार इतनी सिफारिशों के होने के बावजूद भी १९४७ से अब तक इसे क्यों छोटी बन्दरगाह बनाये हुए है। खास कर जब कि पूर्वी तट पर एक मुख्य बन्दरगाह की अत्यधिक आवश्यकता है सरकार ने कराची के जाने पर पश्चिमी तट पर कांडला की बन्दरगाह बनाई है किन्तु चिटागांग के जाने पर पूर्वी तट पर कोई मुख्य बन्दरगाह नहीं बनाई है। मालूम पड़ता है श्री लाल बहादुर शास्त्री के विभाग का रवैया अब भी साम्राज्यवादियों का सा रवैया है। वह बड़ी बन्दरगाहों को छोड़कर छोटी बन्दरगाहों की ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। मेरे मित्र अभी बता चुके हैं कि कैसे देशी तथा विदेशी सभी विशेषज्ञ प्रदीप को बड़ी बन्दरगाह बनाने के पक्ष में हैं। इससे हमारा पूर्वी देशों के साथ, विशेषतया जापान के साथ, बहुत निर्यात बढ़ सकता है। मेरे विचार में इस समय हमारे देश में आये हुए जापानी शिष्टमंडल ने भी भारत सरकार से इस बात की चर्चा की है। मुझे हैरानी है कि उड़ीसा की धातुओं की सम्पन्नता को देखते हुए भी, खास कर कच्चे लोहे को, सरकार इस ओर क्यों उदासीन है। प्रदीप से संलग्न क्षेत्रों में रेलों के परिवहन के थोड़े से विकास से रूरकेला और विशाखापटनम को भी बड़ा लाभ हो सकता है। प्रदीप का नहरों द्वारा भी अन्य क्षेत्रों से संबंध हैं। इन नहरों का डेल्टा सिंचाई योजना के अन्तर्गत विकास होने पर इसका खनिज पदार्थों के क्षेत्रों से और भी सम्पर्क बढ़ जायेगा। इस प्रकार प्रदीप में मुख्य पत्तन बनाने की सभी उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। इस बन्दरगाह के संधारण तथा परिरक्षण का व्यय भी कलकत्ता की बन्दरगाह से कहीं कम होगा। जबकि कलकत्ता के इस कार्य के लिये ५० लाख रुपये का व्यय होता है प्रदीप में केवल १० लाख रुपये का व्यय होगा। कांडला के निर्माण में हमें आठ वर्ष लगे हैं और अब तक बन्दरगाह के नजदीक पीने का पानी नहीं उपलब्ध हो सका है। प्रदीप में ऐसी कोई कठिनाई नहीं होगी। मुझे पता लगा है कि इस बन्दरगाह के विकास के लिये जापानी सरकार भी हमारी सहायता करने को तैयार है। ऐसी परिस्थिति में भी सरकार चुप है। मैं समझता हूं सरकार केवल उत्तर भारत में रुपया लगाना चाहती है। उसे दक्षिण के विकास की कोई चिन्ता नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि हमें प्रक्रिया संबंधी सभी चक्करों को छोड़ कर द्वितीय पंच-वर्षीय योजनाकाल के अन्दर ही इस बन्दरगाह को मुख्य बन्दरगाह बना लेना चाहिये जिससे कि यहां से होने वाले व्यापार से सारा देश लाभ उठा सके।

अतः यदि सरकार साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का अनुगमन नहीं कर रही है तो उसे आज ही इसे मुख्य पत्तन घोषित कर देना चाहिये अन्यथा देश का विकास नहीं होगा। यदि सरकार ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया तो इसके लिये एक आन्दोलन प्रारम्भ होगा यद्यपि मैं उसे टालना चाहता हूं।

उड़ीसा विकासोन्मुख हो रहा है। उसके खनिज पदार्थों और संसाधनों का विकास करने पर ही उसकी उन्नति होगी।

†**श्री पाणिग्रही** : प्रदीप में मुख्य पत्तन के निर्माण हेतु जांच पड़ताल करने के लिये मैं परिवहन तथा संचार मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं। मंत्री द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करने के परिणाम स्वरूप ही हमें आज इतनी सामग्री मिल रही है और हम लोकसभा के समक्ष अपनी स्थिति के समर्थन में कुछ बोलने के लिये तत्पर हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाणिग्रही]

फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने सम्मति प्रकट की है कि ७ करोड़ रूपये के पूंजी विनियोजन से ४,५०,००० टन का वार्षिक यातायात सर्वथा उचित है। प्रदीप पत्तन का विचार सर्वथा नूतन नहीं है। यह हीराकुड बांध निर्माण परियोजना से सम्बद्ध है। यह वस्तुतः प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने हीराकुड बांध निर्माण योजना के लिये १०० करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की स्वीकृति दी है। किन्तु यदि प्रदीप पत्तन का विकास हो गया तो हीराकुड बांध परियोजना वस्तुतः पूर्ण हो जायेगी। नेशनल हार्बर बोर्ड की बम्बई में नवम्बर, १९५१ में आयोजित बैठक में भारत में एक नवीन वृहद् पत्तन का विकास सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत किया है। परदीप उक्त मापदण्ड पर सही उतरता है। उड़ीसा से पांच लाख टन चावल के वार्षिक निर्यात की आशा है। १९५५–५६ में उड़ीसा में पटसन का उत्पादन बढ़कर २,४५,००० टन है, यह सब पटसन पश्चिमी बंगाल की पटसन मिलों को जाता है और यदि इसे प्रदीप पत्तन से भेजा जाये तो काफी बचत रहेगी।

उड़ीसा से किया जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात लोहे और मैंगनीज अयस्क का है। ये अधिकांशतः विदेशों को जाते हैं और इनसे विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। उड़ीसा लौह अयस्क, मैंगनीज, कोयला, क्रोमाइट, चीनी मिट्टी, नमक, चूने का पत्थर भी भारी परिमाण में उत्पादन करता है। अनुमान है कि उड़ीसा में १४० लाख टन मैंगनीज अयस्क की संचिति है। इनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का भी विदोहन किया जा सकता है। प्रदीप के समीप सुकिन्द में ८०० लाख टन लौह अयस्क के निक्षेप का परिणाम प्रकट करने वाला सर्वेक्षण किया गया है।

उड़ीसा में जीवन-स्तर अत्यन्त निर्धनतापूर्ण है। १९५५ में सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य में ५०,००० में से अधिक व्यक्ति कुल खानों में नियोजित थे। स्वाभाविक है कि खनिज क्षेत्र लोगों को रोजगारी का महत्व साधन हैं। यदि इस पत्तन का विकास कर दिया गया तो लोगों को अतिरिक्त आय का अवलम्बन प्राप्त होगा।

भारत के पांच बड़े पत्तन, जिनमें कोचीन भी सम्मिलित है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में प्रतिवर्ष २०० लाख टन यातायात वहन करते थे। १९५५–५६ में कांदला समेत ६ पत्तनों ने २४० लाख टन यातायात संभाला। १९५६–५७ में यह बढ़कर २८० लाख टन हो गया और आशा है कि १९५७–५८ में यह ३०० लाख टन हो जायेगा। फिर यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार पश्चिमी तट में कांदला की आवश्यकता अनुभव की गई उसी प्रकार पूर्वी तट पर भी प्रदीप को पत्तन के रूप में विकसित किया जाना चाहिये।

पत्तनों में सामान का जमाव अत्यधिक है। बम्बई पत्तन ट्रस्ट के चेयरमैन ने कहा था कि इस पत्तन में सामान उतारने चढ़ाने की एक सीमा है। और माननीय मंत्री श्री राजबहादुर ने स्वयं एक बार कहा था कि कलकत्ता पत्तन से सामर्थ्य से अधिक काम के लिये कहा गया है। मद्रास पत्तन जांच समिति ने भी अभिव्यक्त किया था कि विगत दस वर्षों में वहां अयस्क का निर्यात काफी बढ़ गया है। १९५६–५७ में ४६३,४२२ टन में से ३१३,९८६ टन लौह अयस्क था।

अतः समग्र भारत के हित को परिलक्षित करते हुए और अन्य पत्तनों में सामान के जमाव में कमी करने की दृष्टि से प्रदीप पत्तन का विकास अनिवार्य हो गया है। माननीय मंत्री श्री राजबहादुर ने राज्य सभा में कहा था कि कांडला में यातायात कम है किन्तु प्रदीप की सम्भावनाएं और प्रत्याशा इस बात की सूचक हैं कि वहां निर्यात के लिये पर्याप्त माल उपलब्ध है।

यह सच है कि आसाम की जनता को आन्दोलन करने पर दूसरी तेल परिष्करिणी मिल गई है। लेकिन हमें परामर्श दिया जाता है कि हम आन्दोलन न करें। परन्तु हमारी बात भी कोई नहीं सुनता है।

माननीय मंत्री धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति हैं। वह पुरी दर्शनार्थ जायें और भगवान जगन्नाथ से प्रेरणा प्राप्त कर इस कार्य की ओर प्रवृत्त हों।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय : मैं अपने मित्र सुपाकर जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि शिपिंग के सवाल को उन्होंने एक बार फिर इस हाउस के सम्मुख उपस्थित किया है। उन्होंने तथा मेरे मित्र पाणिग्रही जी ने आंकड़े पेश करके यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि प्रदीप में एक अच्छी पोर्ट होनी चाहिये। यदि आप हिन्दुस्तान के मानचित्र को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिन्दुस्तान में जो १४ स्टेट्स हैं, उनमें से सात स्टेट्स तो लैंड लौग्ड स्टेट्स हैं और बाकी सात स्टेट्स ऐसी हैं जिन को सी कोस्ट स्टेट्स कहा जा सकता है। इन सात स्टेट्स में से छः स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास अच्छी पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्टस हैं और एक उडीसा ही ऐसी स्टेट है जिसके पास कोई मेजर पोर्ट नहीं है। इस वास्ते इस सदन को सद्भावना तथा सिम्पथी के साथ उड़ीसा के केस पर गौर करना चाहिये और कोशिश करनी चाहिये कि उसके पास भी एक अच्छी पोर्ट हो जाए।

लेकिन सवाल यह है कि यह प्रश्न किस तरह से हल हो सकता है। मेरे मित्र द्विवेदी जी ने इम्पीरियलिस्ट शब्द का प्रयोग किया है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जब जब भी इस सदन के सम्मुख पोर्ट्स का प्रश्न उठा है किसी ने भी इसको अपोज नहीं किया है और इस शिपिंग के मामले में कभी दो मत नहीं हुए हैं और अपोजिशन वाले तथा इस पार्टी वाले सभी मैम्बर इसके बारे में सहमत हुए हैं। शिपिंग के कागज को सब लोगों ने एक मत से स्पोर्ट किया है, इसका समर्थन किया है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि शिपिंग के मामले में भारतवर्ष में पिछले दो तीन वर्षों में जितना काम हुआ है उतना शायद संसार के किसी दूसरे मुल्क में नहीं हुआ और दूसरे किसी मुल्क ने इतनी तरक्की नहीं की है जितनी तरक्की भारत ने की है।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : यह अतिशयोक्ति है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं। इसके साथ ही साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिये कि शास्त्री जी तथा राज बहादुर जी ने हमेशा ही इस प्रश्न पर बड़ी हमदर्दी के साथ, सज्जनता के साथ विचार किया है और इस कागज को बहुत आगे बढ़ाया है। ऐसी सूरत में यदि हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे तो यह हम उनके प्रति अन्याय ही करेंगे। यदि किसी सज्जन को हम सज्जन नहीं कहेंगे तो यह हमारे लिये अनुचित ही होगा। इससे उसके हृदय को ठेस लगेगी। इस वास्ते हमें उन्हें उत्साहित करना चाहिये और उनसे कहना चाहिये कि वे पोर्ट्स के काज को और भी आगे बढ़ायें।

यहां पर आज इस हाउस में जो थ्यूरी एडवांस की गई है और जो तर्क उपस्थित किये गये हैं वे सब इस पर आधारित हैं कि उड़ीसा से जापान आयरन और खरीदेगा और उसको सहूलियतें पहुंचाने के लिये वहां एक पोर्ट का होना बहुत आवश्यक है। यही थ्यूरी है जो आपने एडवांस की है।

श्री नाथ पाई : तरक्की होगी, व्यापार बढ़गा, लोग खुशहाल होंगे और कई दूसरे काम होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : आपने यह कहा कि आपके पास कोई मेजर पोर्ट नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपके पास कोई पोर्ट हो और इसका मैं समर्थन भी करता हूं। लेकिन आपको इस सवाल पर दूसरे ही ऐंगल से गौर करना चाहिये। आज आपने इसको प्रान्तीयता के ऐंगल से देखा है। आपको इस प्रश्न पर प्रान्तीयता के ऐंगल से न देखकर तमाम भारतवर्ष के ऐंगल से देखना चाहिये। आज हमको इस प्रान्तीयता के ऐंगल को त्यागना चाहिये और उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। जहां तक प्रदीप का सवाल है वहां पर मेजर पोर्ट अवश्य होनी चाहिये। लेकिन साथ ही साथ आपने यह भी कहा कि कांदला में इतना रुपया खर्च किया गया है और उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। आपको मालूम होना चाहिये कि कांदला का पोर्ट क्यों बना है। इसका जो बैकग्राउंड है वह मैं आपको देना चाहता हूं। जब हिन्दुस्तान का विभाजन हुआ उस वक्त हमारे पास कोई पोर्ट नहीं थी। कराची की जो पोर्ट थी, वह हिन्दुस्तान के हाथ से निकल गई थी। ऐसी सूरत में यह हमारे लिये आवश्यक था कि हम कांदला की पोर्ट को तरक्की दें और उसका विस्तार करें। हमारा जो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट होता है राजस्थान को, पंजाब को तथा काश्मीर इत्यादी को, वह इस कांदला पोर्ट के द्वारा करना हमारे लिये आवश्यक हो गया। आपको यह भी मालूम होना चाहिये कि बम्बई में जो इतना कनजैशन हो गया था उसका सब से बड़ा एक कारण यह भी था कि कांदला की पोर्ट अभी इस योग्य नहीं हुई थी कि वहां से हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अधिक मात्रा में हो सके। दूसरी बात यह भी है कि कांदला में रेलवे लाइन नहीं है और जब रेलवे लाइन ठीक हो जायेगी तो बम्बई का जो कन्जैशन है वह कम हो जायेगा और इसका एक नतीजा यह भी होगा कि जो ट्रांस्पोर्टेशन का खर्चा है वह कम हो जायेगा, वह चीप हो जायेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि मेजर पोर्ट के स्थान पर आपने यह कहा होता कि उड़ीसा में सैकिंड शिपयार्ड बने, विशाखापत्तनम की तरह से, तो आपकी जो समस्यायें हैं वे हल हो जातीं। प्रदीप से कम से कम सौ मील के पास आपकी ओर माइंस हैं। वहां से अगर लोहा दूसरी जगह ले जाना होगा तो तीन सौ, चार सौ, छः सौ और आठ सौ मील दूर ले जाना होगा। आपका जो ट्रांस्पोर्टेशन का खर्चा होगा वह बढ़ जायेगा। इस वास्ते आपको जो थ्यूरी एडवांस करनी चाहिये थी वह यह थी कि आपके यहां सैकिंड शिपयार्ड हो और जो सैकिंड शिपयार्ड बने वह उड़ीसा में बने, प्रादीप में बने। इससे आपके पास एक पोर्ट भी हो जायेगी। लेकिन आपने तो यह कहा कि क्यों विशाखापत्तनम की तरक्की की गई है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वह सब बात गलत कह रहे हैं। मैंने विशाखापत्तनम के विकास का स्वागत किया था। मैंने कहा था कि उक्त क्षेत्र में रेलें खोलना चाहिये। मैंने यह भी कहा था कि पश्चिमी तट पर ध्यान दिया जाय और कांदला का विकास किया जाय। पूर्वी तट पर ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री रघुनाथ सिंह : आपको मालूम होना चाहिये कि जहां पर पहला शिपयार्ड बना विशाखा-पत्तनम में, उसके लिये यह आवश्यक था कि वहां पर उस पोर्ट की हम तरक्की करें। इसका कारण यह है कि जहां पर शिपयार्ड बनाया जाता है वहां पर मेजर पोर्ट का होना, मेजर हार्बर का होना आवश्यक होता है। यह वजह है कि उसकी तरक्की की गई है। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि अगर सैकिंड शिपयार्ड के वास्ते हम सब लोग सहमत हो गए होते और उसके वास्ते हम सब लोग जोर डालते और कहते कि वह महानदी के पास हो तो इससे सारे हिन्दुस्तान का हम उपकार करते। मैं राज बहादुर साहब से कहूंगा कि वह इस प्रश्न पर सहानुभूति के साथ विचार करें। प्रदीप का जहां तक सवाल है वहां पर अच्छी पोर्ट होनी चाहिये, मेजर पोर्ट होनी चाहिये। हिन्दुस्तान में जितनी अधिक पोर्ट्स होंगी, उतना ही अच्छा होगा जितने अधिक शिपयार्ड हिन्दुस्तान में होंगे उतनी ज्यादा तरक्की हिन्दुस्तान की होगी।

अन्त में मैं इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय प्रदीप के प्रश्न को सद्भावना के साथ सोचें, उस पर गौर करें और शीघ्र से शीघ्र उसकी उन्नति करने की कोशिश करें।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: हमें यह बात स्वीकार करना है कि देश को अनेक पत्तनों की आवश्यकता है। यह हमें मान लेना चाहिये कि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे अच्छे पत्तनों का विकास किया जाये।

किन्तु अधिक महत्वपूर्ण कार्य पहले होना चाहिये। देश विभाजन के पश्चात् हमारे पास केवल पांच वृहद् पत्तन थे---तीन पूर्वी तट पर और दो पश्चिमी तट पर। किन्तु १९४७--४८ में स्थापित एक समिति के सुझाव पर कांदला का विकास किया गया। मैं बिना विवाद यह कह सकता हूं कि कांदला पत्तन और गांधी ग्राम सरीखी सुन्दर उपनगरी सिंध के विस्थापित बन्धुओं और उनके अनथक परिश्रम, अध्यवसाय तथा त्याग के प्रति श्रद्धाञ्जलि है।

संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत छोटे छोटे पत्तनों का विकास राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार का समनुवर्ती उत्तरदायित्व है। केन्द्र पर मुख्यतः वृहद् पत्तनों की व्यवस्था, निर्वहन एवं विकास की जिम्मेदारी है।

प्रदीप पत्तन के विकास का प्रश्न प्रथम बार हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हुआ है। १९५० में यह प्रश्न उठाया गया था। फ्रांसीसी विशेषज्ञों की एक समिति ने इस विषय की जांच कर अपनी सम्मति दी थी।

मैं इसकी पृष्ठभूमि की संक्षिप्त चर्चा करूंगा। उन्होंने देवी, महानदी और चमरा का परीक्षण किया था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महानदी के मुहाने को पत्तन के रूप में विकसित किया जाये और प्रदीप का अयस्क निर्यात के लिये विकास किया जाये।

प्रथम योजना में यह परियोजना केवल तीन कारणों से शामिल नहीं की जा सकी। पहिली पूना व अन्य स्थानों में परियोजनाओं के नमूनों का अध्ययन किया जा रहा था। दूसरे धन राशि की कमी थी, तीसरे बिल्कुल पास ही विशाखापट्नम बन्दरगाह था जहां रेलवे तथा मोटर की सड़क इत्यादि की सुविधायें उपलब्ध थीं और उनका लौह अयस्क भेजने के लिये उपयोग किया जा सकता था।

प्रदीप के विकास अथवा उड़ीसा को एक बड़ा बन्दरगाह बनाने की समस्या एक ऐसी बात पर निर्भर है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं चल सकता है, वह यह है कि इस के एक ओर कलकत्ता है और दक्षिण में विशाखापट्नम है। उनके पीछे की भूमि पर्याप्त विकसित है लेकिन प्रदीप के भीतर की भूमि में संचार तथा उद्योगों का विकास करना होगा। जब तक बन्दरगाह की आवश्यकता अनुभव न हो तब तक प्रदीप के विकास करने से कोई लाभ नहीं होगा। यह कुछ आर्थिक बातों और कारणों पर निर्भर है जिन पर किसी का वश नहीं है।

राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिये ७·३ लाख रुपये दिये गये थे। द्वितीय योजना में इसके लिये २१ लाख का उपबन्ध है। जल-वर्णना सर्वेक्षण तथा नमूना परीक्षणों के लिये भी उपबन्ध किया गया है। प्रदीप का दो बार में विकास किया जायेगा। पहिले छोटे बन्दरगाहों की सारी सुविधायें प्रदान की जायेगी तत्पश्चात् बड़े बन्दरगाह के रूप में इसके विकास पर विचार किया जायेगा।

[श्री राज बहादुर]

छोटे बन्दरगाह के रूप में इस के विकास के लिये निम्नलिखित बातों की आवश्यकता होगी जिन्हें योजना में शामिल किया गया है। जेट्टियों और अवतरण नौकायों के लिये घाटों का निर्माण, क्रेन तथा ट्रालियों की खरीद, जल संभरण, विद्युत्, नौवहन के सहायक उपकरण, बन्दरगाहों तक मार्ग बनाना इत्यादि। प्रदीप की भावी संभावनाओं पर विचार करने के पूर्व इन कार्यों को करना होगा। उक्त कार्यों में २१.२ लाख रुपये व्यय होंगे। पहिले हमें उक्त राशि को व्यय करना है जिससे हम आगे की संभावनाओं पर विचार कर सकें। क्योंकि मुख्य बात यह है कि इस क्षेत्र से अपेक्षित यातायात होता है अथवा नहीं। यदि ऐसा नहीं होता है तो बन्दरगाह पर इतना रुपया व्यय करना अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं कही जायेगी। श्री पाणिग्रही ने अभी अभी कहा था कि कांदला के लिये भी हमें अपेक्षित यातायात उपलब्ध नहीं हो रहा है। कांदला के सम्बन्ध में इससे भी अधिक यातायात का अनुमान लगाया गया था। क्योंकि पश्चिम से होने वाला सारा आयात कांदला से हो सकता है। लेकिन वहां भाड़े पर दस प्रतिशत अधिकर लगता है। इस से वहां अधिक यातायात नहीं होने पाता। इसका परिणाम यह है कि सात अगस्त से वहां के दो बर्थ अल्पाधिक रूप से खाली हैं।

यदि हम बिना उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास किये बिना ही प्रदीप बन्दरगाह का बड़े बन्दरगाह के रूप में विकास करना प्रारम्भ करेंगे तो इसके भी यही परिणाम होंगे। साथ ही वहां अन्य बन्दरगाह भी हैं तो प्रदीप के प्रतिद्वंदी हैं उदाहरणार्थ काकीनाडा। विशाखापट्नम में जहाजों की भीड़भाड़ होने पर कुछ जहाजों को काकीनाडा भेजा गया था। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि श्री पाणिग्रही ने प्रदीप बन्दरगाह के विकास के लिये परिवहन तथा संचार मंत्रालय के द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा की है। मैं संक्षेप में आज तक किये गये कार्यों को बताऊंगा। उड़ीसा की सरकार से प्रयोगात्मक रूप से अवतारक नावों की व्यवस्था करने को कहा गया थो क्योंकि जहाजों को बन्दरगाह से बहुत दूर नदी पर ठहरना होता था। यह व्यवस्था करने के लिये तथा अवतारक नावें खरीदने के लिये सरकार को ५०,००० रुपयों का ऋण दिया गया। यह प्रयोगात्मक व्यवस्था सफल रही। तत्पश्चात् उड़ीसा सरकार को यह बताया गया कि अब प्रदीप बन्दरगाह में भारतीय पत्तन अधिनियम १९०८ विस्तृत करने में कोई आपत्ति नहीं है जिससे वित्त मंत्रालय यहां समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम भी लागू कर सकेगा। प्रत्येक पत्तन को पूर्ण विकास के पूर्व इन स्थितियों से गुजरना होता है।

हमने उड़ीसा सरकार को नमूनों के अध्ययन के लिये ७·३ लाख रुपयों के ऋण की व्यवस्था की थी। १९५७-५८ में इसी प्रयोजन के लिये २·४६ लाख रुपये दिये जायेंगे। हमने इस बन्दरगाह के सर्वेक्षण तथा पड़ताल के लिये राज्य सरकार को एक जापानी फर्म से ठेका करने की अनुमति दी। मैसर्ज कामिसाता एण्ड कम्पनी, जापान के साथ उड़ीसा सरकार का एक समझौता हुआ और वे लोग बन्दरगाह का सर्वेक्षण और जांच कर रहे हैं।

जुलाई १९५७ में राज्य सरकार ने एक संयुक्त योजना बनाई जिसमें उन्होंने निर्यात पर ७ १/२ प्रतिशत कर लिये बिना अयस्क निर्यात करने की अनुमति दी जाने की मांग की। इस पर विचार हो रहा है तथा कुछ ही दिनों में इस पर निर्णय ज्ञात हो जायेगा।

२६-८-५७ में यह निर्णय किया गया कि राज्य सरकार से दो योजनायें बनाने को कहा जाय। पहिली परियोजना से बन्दरगाह की क्षमता ५०,००० टन और दूसरी से ३ लाख टन हो जायेगी। इन योजनाओं की विस्तृत बातें तैयार होनी हैं और तत्पश्चात् उन्हें प्रस्तुत कर उन पर विचार किया जायेगा।

जापानी दल का इस बन्दरगाह के बारे में यह कहना है कि यह सड़क के निकटवर्ती छोटा बंदरगाह ही बन सकता है। बड़ा बन्दरगाह नहीं बन सकता है। हम भी उन की सलाह से अधिक नहीं जा सकते हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर ८·६ करोड़ व्यय होगा और वे छोटे बन्दरगाह के लिये ही हैं।

हमने इस पृष्ठभूमि पर इस समस्या पर विचार करना है। अतः इस स्थिति में हम यह संकल्प स्वीकार नहीं कर सकते हैं हम परादीप का एक छोटे या मझले बन्दरगाह के रूप में विकास करने में दिलचस्पी रखते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि समय के साथ साथ, जैसाकि अन्य बन्दरगाहों के सबंध में हो रहा है, इसका भी विकास होगा। पश्चिमी तट पर बम्बई तक तथा बम्बई के दक्षिण में और पूर्वी तट में भी कई बन्दरगाहों में विकास के लिये प्रतिद्वंदिता चल रही है। ओक़ा, सीखा, खारवाड़, भटकल, मंगलौर, तूतीकोरिन, काकीनाडा, प्रदीप गेंवखाली इत्यादि इसी श्रेणी में आते हैं। इस सम्बन्ध में विश्व बैंक दल के मत का भी ध्यान रखना होता है उन्होंने हमसे इस सम्बन्ध में सावधानी बरतने को कहा है क्योंकि कलकत्ता का भीतरी क्षेत्र पूर्ण विकसित है। उनका यह मत है कि कलकत्ता क्षेत्र में एक गहरे बन्दरगाह की आवश्यकता है जो ३८ फीट ड्राफ्ट वाले जहाजों को ठहरा सके।

उक्त सभी बन्दरगाहों के विकास पर, तथा कलकत्ता क्षेत्र में एक गहरे पानी का बन्दरगाह बनाने की मांगों पर वित्त मंत्रालय में बहुत सावधानी से विचार किया जायेगा।

मैंने सभा को सभी बातें बता दी हैं। मुझे उड़ीसा से तथा वहां की कला सस्कृति व सौन्दर्य से पूरी सहानुभूति है तथा हमारा कोई ऐसा साम्राज्यवादी उद्देश्य भी नहीं है जिसका हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है। हमें प्रत्येक प्रश्न को आन्दोलन भड़काने की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये अपितु हमें हृदय की एकता का प्रयत्न करना चाहिये जिससे हम अपनी समस्त समस्याओं पर शान्तिपूर्ण तरीके से विचार कर सकें, तभी हम समृद्धि तथा सौख्य के आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं दिन के अवसान में बोलने की इच्छा नहीं रखता था। किन्तु मैं इस बात का प्रतिवाद करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि हम टेकनीकल विषयों में प्रान्तीयता को घसीट रहे हैं। दूसरा कारण माननीय मंत्री का परादीप पत्तन का विकाक सम्बन्धी आश्वासन है।

मंत्री जी ने जो कुछ कहा है वह डेढ़ करोड़ व्यक्तियों को निराशा के झझावात में ले जायेगा। कांडला पत्तन पर १४ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और जनवरी से अप्रैल तक हम केवल २ लाख टन का यातायात ही वहां जुटा पाये हैं। माननीय मंत्री ने कहा था कि परादीप में माल और यातायात नहीं है।

†**श्री राज बहादुर** : यह मेरे कथन का विकृत रूप है। मैंने कहा था कि इस का विकास करना आवश्यक था।

†**श्री महन्ती** : मेरे पास समय कम है। हमने बड़े पत्तन की मांग की थी और माननीय मंत्री कहते हैं कि वे २१ लाख रुपये का अनुदान प्रदान कर रहे हैं। क्या इससे जनता संतुष्ट हो जायेगी? यह अल्पविकसित क्षेत्र के प्रति सौतेला व्यवहार नहीं है तो फिर यह क्या है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत करूंवह इस पर जोर नहीं दे रहे हैं।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय**: अब मैं मूल संकल्प को सभा के सामने मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा । प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सरकार उड़ीसा के तट पर प्रदीप में एक बड़ा पत्तन बनवाने की व्यवस्था करे ।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

†**श्री महन्ती** : हम ने मतदान के लिये जोर नहीं दिया था । हम इसे वापस लेना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब तो यह अस्वीकृत हो गया । श्री सूपकार को एक दम खड़े हो कर संकल्प वापस लेने की अनुमति मांगनी चाहिये थी ।

राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन से अनुसूचित बैंकों के कार्य संचालन के पुनरीक्षण के लिए एक समिति के बारे में संकल्प

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर) : मैं निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"इस सभा की राय है कि राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन से भारत के अनुसूचित बैंकों के कार्य-संचालन का पुनरीक्षण करने के लिये लोक-सभा के सदस्यों की एक समितिद्व, जिस में वित्तीय विशेषज्ञ भी हों, बनाई जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय**: संकल्प प्रस्तुत हुआ । माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन चालू रखेंगे ।

इस के पश्चात् लोक-सभा शनिवार, १४ दिसम्बर, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . .		२५७१—९६
तारांकित प्रश्न		
संख्या		
१०८१	मितव्ययता सम्बन्धी उपाय	२५७१—७४
१०८२	निर्यात संवर्द्धन निदेशालय	२५७४-७५
१०८३	गोआ की सीमा का अतिक्रमण	२५७५-७६
१०८४	गन्ने की खोई से अखबारी कागज का तैयार किया जाना	२५७६-७७
१०८५	एक्सरे उपकरणों का निर्माण	२५७७-७९
१०८६	विस्थापित व्यक्तियों से बकाया किराय की वसूली	२५७९-८०
१०८८	विस्थापित विद्यार्थी	२५८०-८१
१०८९	अल्युमिनियम परियोजना	२५८१-८२
१०९०	काजू उद्योग	२५८२—८४
१०९८	लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग के कर्मचारी	२५८४—८६
१०९९	प्रादेशिक समाचार प्रसार	२५८६—८८
११०३	कानपुरकाटन मिल्स में मजदूरों की छंटनी	२५८८-८९
११०४	खालों का उद्योग	२५८९-९०
११०५	अम्बर चरखा कार्यक्रम	२५९०-९१
११०६	कच्ची सामग्री	२५९१
११०७	प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया	२५९१-९२
११०८	इंडो-आसाही ग्लास कम्पनी लिमिटेड	२५९२—९४
११०९	गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग	२५९४-९५
१११०	काश्मीर में सीमेंट का संयंत्र	२५९५
१११९	विद्युच्चलित करघों का बन्द किया जाना	२५९६
१११२	तिब्बत से व्यापार	२५९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर . . .		२५९६—२६३२
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१०८७	सीमेंट की कीमतें	२५९६
१०९१	पूर्वी जर्मनी से आई कपड़ा मशीनें	२५९७
१०९२	सीमेंट का वितरण	२५९७
१०९३	पंजाब की कपड़ा और चीनी की मिलें	२५९७-९८
१०९४	कतार के भारतीय	२५९८
१०९५	ग्रैफाइट का निर्यात	२५९८
१०९६	काजू और गोल मिर्चों की निर्यात संवर्द्धन परिषद्	२५९९

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	
	अतारांकित प्रश्न संख्या	
१०९७	उड़ीसा के ग्रामोद्योग केन्द्र	२५९९
११००	केन्द्रीय रेशम कीट पालन गन्वेषणा केन्द्र, बरहामपुर (पश्चिमी बगाल)	२५९९
११०१	पैनिसिलीन	२५९९-२६००
१११३	साइकिलों के टायर और टयूब	२६००
१११४	उड़ीसा में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का डिवीजन	२६००-०१
१११५	बागान जांच आयोग का प्रतिवेदन	२६०१
१११६	मोदी टैक्सटाइल मिल्स, मोदी नगर	२६०१
१११७	पंजाब की औद्योगिक बस्ती	२६०२
१११८	मशीनों तथा भारी विद्युत संयंत्रों का आयात	२६०२
१११९	दृष्टांक	२६०२
११२०	निर्यात संवर्द्धन समिति	२६०३
११२१	दमन में पुर्तगाली सेना	२६०३
११२२	चाय निर्यात	२६०३-०४
११२३	घाना से सद्भावना एवं व्यापार प्रतिनिधि मंडल	२६०४
११२४	कहानियों का संकलन	२६०४
११२५	मद्रास में सिनेमा प्रविधिज्ञों की छंटनी	२६०४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६०६	श्रीनगगांगर में विस्थापित व्यक्ति	२६०५
१६०७	अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	२६०५-०६
१६०८	दिल्ली में बेदखली के मुकदमे	२६०६
१६०९	अम्बर चरखे का निर्माण	२६०६-०७
१६१०	बाट तथा माप की मीट्रिक प्रणाली	२६०७-०८
१६११	गन्ने की खोई से अखबारी कागज	२६०८
१६१२	अम्बर चर्खे	२६०८
१६१३	विदेशी सरकारों को प्रत्यावर्तन व्यय	२६०८
१६१४	सिन्दरी उर्वरक	२६०९
१६१५	बिजली का सामान	२६०९-१०
१६१६	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्	२६१०-११
१६१७	साइकिलें	२६११
१६१८	काम दिलाऊ दफ्तर	२६११-१२
१६१९	काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन)	२६१२
१६२०	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का विशेषज्ञ	२६१२
१६२१	नियोजन सेवा योजना	२६१२-१३
१६२२	व्यावसायिक गवेषणा तथा विश्लेषण सम्बन्धी योजना	२६१३
१६२३	रानीगंज कोयला क्षेत्रों में केन्द्रीय अस्पताल	२६१४
१६२४	पंगु मजदूर	२६१४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१६२५	कोयला क्षेत्रों में केन्द्रीय अस्पताल	२६१४
१६२६	क्षय-रोग आरोग्य शालायें तथा केन्द्रीय अस्पताल	२६१५
१६२७	खली	२६१५
१६२८	एसबेस्टस सीमेंट की चादरें	२६१६
१६२९	अल्यूमिनियम	२६१६
१६३०	ऊनी कपड़ा	२६१६-१७
१६३१	बिनौले के तेल के कारखाने	२६१७
१६३२	पटसन के बदले में काम आने वाली चीजें	२६१७
१६३३	उत्पादकता आन्दोलन	२६१७-१८
१६३४	विद्युच्चालित करघे	२६१८
१६३५	काश्मीर में गृह-निर्माण पर व्यय	२६१८
१६३६	काश्मीर के विस्थापित व्यक्ति	२६१८-१९
१६३७	काश्मीर में प्रचार पर व्यय	२६१९
१६३८	उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां	२६१९-२०
१६३९	विधान का प्रचार	२६२०
१६४०	खनिकों का परिवार	२६२०
१६४१	पंजाब में गन्दी बस्तियों की सफाई	२६२१
१६४२	केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों का हटाया जाना	२६२१
१६४३	भारी पानी का कारखाना	२६२१
१६४४	जूट मिलें	२६२२
१६४५	ओखला (दिल्ली) में औद्योगिक बस्ती	२६२२
१६४६	कुनैन का उपादन	२६२२
१६४७	पंजाब में शहतूत की पैदावार करने वाले	२६२३
१६४८	पंजाब में हथकरघा उद्योग	२६२३
१६४९	कुटीर दियासलाई उद्योग	२६२३-२४
१६५०	काजू	२६२४
१६५१	भूमि खरीदने के लिये ऋण	२६२४-२५
१६५२	गन्दी बस्तियों की सफाई	२६२५
१६५३	निष्क्रान्त सम्पत्ति	२६२५
१६५४	सहकारी गृह-निर्माण	२६२६
१६५५	करघों और तकुओं के लाइसेंस देना	२६२६
१६५६	पोर्ट ब्लेयर, अन्दमान, के नाविक विभाग की श्रमिक समिति	२६२६-२७
१६५७	निकोबार द्वीपों में खोपरा और सुपारी	२६२७
१६५८	जूते बनाने का उद्योग	२६२७
१६५९	वस्तुओं में अपमिश्रण	२६२७
१६६०	१९५८-५९ के लिये विकास योजनायें	२६२८
१६६१	चांदीपुर समुद्र तट (उड़ीसा) पर रेत	२६२८
१६६२	प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग	२६२८
१६६३	मोटर परिवहन श्रमिक	२६२९
१६६४	बागान श्रमिक अधिनियम	२६२९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६६५ कोयला खान कल्याण आयुक्त (बिहार) . २६२९-३०
१६६६ दिल्ली में पानी का स्तर २६३०
१६६७ राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति २६३०
१६६८ शराब का आयात २६३०-३१
१६६९ सिदन्री फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड २६३१
१६७० अमोनियम नाइट्रेट . . २६३१
१६७१ मशीनो और अन्य सामग्री का आयात . २६३१-३२
१६७२ छोटे पैमाने के उद्योग . २६३२

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य २६३२

(१) सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) ने वर्ष १९५५–५६ और १९५६–५७ में पंजाब राज्य को दिये गये सामुदायिक रेडियो सैटों की संख्या के बारे में १७ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया । .

(२) वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने सूती वस्त्रों "मीडियम" के उत्पादन-शुल्क में कमी करने और अतिरिक्त उत्पादन छूट को वापस लेने के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . २६३३

निम्नलिखि पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली तीन अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(२) समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियमों और प्रपत्रों १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ दिसम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३८६७ की एक प्रति ।

विधेयक—पुरःस्थापित . . . २६३३,२६६९-७१

निम्नलिखित विधेयक पुरः स्थापित किये गये :—

(१) अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक;

(२) अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक ।

विधेयक—पारित . . . . . २६३३—५३

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया गया और उन्हें पारित किया गया :—

(१) संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक ;

(२) सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधेयक ।

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . . .	२६५३—५५
वर्ष १९५७–५८ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन —स्वीकृत	२६५९
ग्यारहवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प—अस्वीकृत हुए . . .	२६५६—८०
गैर-सरकारी सदस्यों के निम्नलिखित संकल्पों पर विचार हुआ और वे अस्वीकृत हुए :—	
(१) श्रीमती रेणु चक्रबर्ती का द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प।	
(२) श्री सूपकार का प्रदीप में एक बड़ा पत्तन बनाने के बारे में संकल्प।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन . .	२६८१
श्री रामेश्वर टांटियां ने राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन से भारत के अनुसूचित बैंकों के कार्य-संचालन के पुनरीक्षण के लिये एक समिति गठित करने के बारे में एक संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
शनिवार, १४ दिसम्बर, १९५७ के लिये कार्यावली	
अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर अग्रतर विचार।	